(1100/MMN/SJN)

1100 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, 18 Indian people have died in an explosion in Sudan. Kindly allow us to raise this matter. Kindly spare some time to discuss this matter. It is the most important matter. …(*Interruptions*) Sir, 18 Indian people have died and six Tamils have also died in that particular explosion.

HON. SPEAKER: Please calm down. Please sit down.

अगर सभी माननीय सदस्य सहमत हों, तो आज से एक नई व्यवस्था लागू कर दी जाए। जब मैं प्रश्न काल के बाद स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति नहीं दूं, तब आप यह विषय उठाया कीजिए। रोज प्रश्न काल के शुरू होते ही खड़े हो जाना, क्या इस सिस्टम को आज से बंद कर दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

(Q. 241)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, with reference to the Ministry's reply regarding the National Perspective Plan, I would like to say that the river-linking initiative was the dream project of our former hon. Prime Minister, Atal Behari Vajpyee Ji. When a plan to connect 14 perennial rivers of the North, like Ganga, Brahmaputra, Narmada, to 16 non-perennial rivers of the South was envisaged in 2017, 30 projects were initiated that would eradicate floods and drought in the country and also reduce water wastage. Ken-Betwa, Daman Ganga, Pinjal, Par-Tapi-Narmada projects and two more projects, namely, the North Koel Reservoir Project in Jharkhand and Pancheswar Project in Uttarakhand, were to be started in 2017.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न संक्षिप्त में पूछिए। उत्तर भी संक्षिप्त में दिया जाए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): In this context, I would like to know, through you, Sir, the current status of the project.

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 'नदी जोड़ो' कार्यक्रम को चलाया था। हमने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत इंटर्लिंकिंग के जो 30 पाइंट्स हैं, उनको चिह्नित किया है। माननीय सदस्या ने जिनका जिक्र किया है। हमने इसमें 4 पाइंट्स छांटे हैं, उनकी डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। अगर दूसरे राज्यों की सहमति उस के ऊपर बन जाएगी, तो उस कार्य को अमली रूप पहनाया जा सकता है। अभी तक सभी राज्यों में उसके ऊपर सहमति नहीं बनी है, इसलिए जो ये योजनाएं हैं, वे अभी तक पूरी तरह से सिरे नहीं चढ़ सकी हैं।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): My second supplementary question is this. According to the 2017 data of the Central Water Commission, between 1984-85 and 2014-15, water in the Indus has dropped by 27.78 billion cubic metres. Similarly, between 2004-05 and 2014-15, the catchment area of Indus reduced by one per cent, that of Ganga by 2.7 per cent and that of Brahmaputra by 0.6 per cent.

(1105/RC/GG)

So, what steps has the Government taken to safeguard the river basins of the country? Otherwise, dry periods and droughts are inevitable.

श्री रतन लाल कटारिया : मान्यवर, जैसा कि भारत में औसतन वर्षा लगभग 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होती है, इसमें से हम 1999 बीसीएम वॉटर का ही इस्तेमाल कर पाते हैं।

माननीय सदस्य ने जिन रिवर्स के बारे में कहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप वॉटर अवेलेबिलिटी देश के अंदर कम होती जा रही है। भारत सरकार ने कई राज्य सरकारों के साथ मिल कर कई पॉइन्ट्स कार्यक्रम लिए हैं, जिनके अंतर्गत वॉटर की अवेलेबिलिटी को हम सारे देश के अंदर बढ़ा सकें।

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): सर, हम लोग वॉटर शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए रिवर लिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी नदियां हैं, जिनकी रख-रखाव की कमी के कारण वे डाइंग रिवर्स हो गई हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि किशनगंज शहर के बीचोंबीच एक रमज़ान नदी है, जिसमें बरसात के समय शहर में फ्लडिंग हो जाती है और बरसात के बाद वह नाला बन जाती है, जिसके कारण पूरे शहर में बीमारी फैल रही है। इसी तरह की बहुत सी और भी नदियां और जगह हैं। क्या माननीय मंत्री रमजान नदी का एनक्रोचमेंट हटा कर, उसका डीसैलिनेशन करना चाहेंगे? इसी तरह से हिन्दुस्तान में जितनी भी और नदियां, झील या पॉन्ड्स हैं, उनको भी माननीय मंत्री जी बचाने की कोशिश करेंगे?

श्री रतन लाल कटारिया : मान्यवर, अभी प्रायोरिटी बेसिस पर 30 इंटरस्टेट लिंकिंग रिवर्स की योजनाओं को हाथ में लिया गया है। इस प्रकार से अगर सारे देश के अंदर इन नदियों को लगाया जाए, तो इनकी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। माननीय सदस्य अगर चाहें तो इस बारे में मुझे लिख कर देंगे तो इनको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा।

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I know water is a State subject but I would like to bring to the notice of the hon. Minister that on June 19, 2019, Chennai city official in Tamil Nadu declared that the day zero or the day when almost no water is left has been reached as all the four main reservoirs supplying water to the city had run dry.

The Minister in his reply has stated that the Ministry of Housing and Urban Affairs is implementing Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, *i.e.,* AMRUT in 500 cities with Mission components such as water supply, storm water drainage, etc.

I would like to know from the Minister whether Chennai city is included in this Mission. If so, I would like to know the details.

श्री रतन लाल कटारिया : सर, चेन्नई सहित देश के जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, जहां पर इस प्रकार की वॉटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है, उन सबके बारे में विचार किया जा रहा है। इसके लिए कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इसी प्रकार से जो जल-जीवन मिशन योजना है, उसके अंतर्गत सन् 2024 तक हमारी यह कोशिश है कि जो भी घर हैं, उनको नल से जल उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ आज भारतवर्ष के अंदर 40 लीटर के लगभग वॉटर की अवेलेबिलिटी प्रति व्यक्ति है, उसको 55 लीटर तक बढ़ाने की कोशिश हम आने वाले समय में करेंगे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन इजाजत दे तो प्रश्न संख्या – 242, 244, 247, 249, 250, 253, 254, 255, 257, 258 को एक साथ ले लिया जाए?

…(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ, महोदय, इजाज़त है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सचेतक महोदय, इजाजत है। क्या मंत्री जी भी इस बात के लिए तैयार हैं? आपकी भी इजाजात है?

…(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): ठीक है महोदय। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सबकी और सदन की इजाजत लेनी पड़ती है।

प्रश्न संख्या 242 डॉ. आलोक कुमार सुमन – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(1110/MY/VR)

(प्रश्न 244)

*SHRI JUGAL KISHORE SHARMA (JAMMU):Sir, I would like to ask Hon'ble Minister for Road Transport and Highways about the developmental activities being taken up in Jammu and Kashmir. Whether there is any time limit to complete the repairing and widening of national highway between Jammu to Rajauri and Punch. If yes, then when would it be completed? What is the progress in this direction? Kindly let me know about it.

श्री नितिन जयराम गडकरी: आदरणीय स्पीकर महोदय, जम्मू-कश्मीर में प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने रोड डेवलपमेंट के लिए हाइएस्ट प्राइऑरिटी दी है। जो सबसे हॉट लाइन है, वह श्रीनगर से जम्मू है। इस काम में बड़े-बड़े टनल्स का भी निमार्ण हो रहा है। सम्मानीय सदस्य ने पुंछ के हाइवे के बारे में जो सवाल पूछा है, उसका काम शुरू है। उसमें लैंड एक्विजिशन की दिक्कत है और कुछ जगह फॉरेस्ट के कारण प्रश्न आए हुए हैं। फिर भी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी समस्याओं को सुलझाकर आने वाले एक साल के अंदर हम उसका काम पूरा करेंगे।

*SHRI JUGAL KISHORE SHARMA (JAMMU):Thank you for allowing me to speak. Through you, I would like to ask Hon'ble Minister whether there is any plan to make National Highway connecting Jammu to Udhampur via Lakhanpur, Kathua and Sabma six lane? If yes, then what is the time line for this?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्मानीय स्पीकर महोदय, पूरे देश में ट्रैफिक डेन्सिटी हर साल 9 से 12 परसेंट तक बढ़ती है। हमारे यहां जब 10,000 पी.सी.यू. का ट्रैफिक होता है तो फोर लेन में जाता है। जब 20,000 पी.सी.यू. का ट्रैफिक होता है तो सिक्स लेन में जाता है और कुछ जगह आठ लेन में भी कनवर्ट किया जा रहा है। इसके बाद 22 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि जो ट्रैफिक है, वह डाइवर्सिफाई हो। इस बीच में जब चुनाव के वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तब अधिकारियों के स्तर पर फेज-1 और फेज-2 की बात करने के कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि क्या एनएचएआई के पास पैसे की कमी है, क्या एनएचएआई इस काम को करने में कमी कर रही है। इस प्रकार की बातें अखबारों में भी आई थीं। उसके बाद इन सभी का रिव्यू करने के पश्चात हमने यह निर्णय किया है कि जो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायेबल है, जैसे उदाहरण के लिए टू-टु-फोर लेन, फोर-टु-सिक्स लेन, सिक्स-टु-एट लेन है। उसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पकड़कर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20 साल के लिए लोन मिलता है, परंतु वर्ल्ड में 30 साल के लिए मिलता है।

---

*Original in Dogri

महोदय, जब मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ मिलकर यह बात कैबिनेट में रखी थी तो उन्होंने मुझे रिजर्व बैंक के गवर्नर से भी यह बात कहने के लिए कही थी। कल मुझसे रिजर्व बैंक के गवर्नर मिलने वाले है। इस विषय पर उनके साथ चर्चा होगी। फिर भी जो 20 साल के लिए कनवर्ट हो सकते हैं, उसमें से लगभग 75 से 80 परसेंट प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो इकोनॉमिकली वायेबल हैं। फिर इसके लिए प्रश्न आएगा कि पैसा कहां से आएगा। हमने एक नया मॉडल निकाला है, जैसा आपको विदित है कि पीपीपी, बीओटी, हाइब्रिड एनूइटि है। अब हमने जो नया मॉडल निकाला है, वह ऐसा है कि हम बैंक को टोल 20 साल के लिए मॉर्गेज कर देंगे और उससे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कर्जा लेंगे। कर्जा लेने के बाद उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। मुझे बताते हुए खुश हो रही है कि स्टेट बैंक ने इस मॉडल को अक्सेप्ट करके पहली बार 50,000 करोड़ रुपये की अनुमति दी है और बाकी बैंक वाले भी इसके लिए तैयार हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायेबल है, 20 साल में हम लोग जो टोल रिटर्न कर सकते है, उसके ऊपर काम हो जाएगा।

(1115/NK/SAN)

हमने इसके ऊपर योजना बनाई है। मुझे लगता है कि 75 परसेंट प्रोजेक्ट्स क्लीयर हो जाएंगे, इसके लिए प्रोजेक्टू टू प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंगे, टॉल एस्क्रो अकाउंट में डालकर उनको पैसा वापस कर पाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है, उसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट एकदम कम हुई क्योंकि वहां एलाइनमेंट नहीं है। यह रोड नए हैं, उदाहरण के लिए, मुंबई-दिल्ली हाईवे एक लाख छह हजार करोड़ रुपये का एक ही हाईवे है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे के बाजू के लैंड की वैल्यू को कैच कर सकें, लॉजिस्टिक पार्क हो, ट्रांसपोर्ट प्लाजा हो, इस प्रकार से हम कुछ वैल्यू एड कर सकते हैं। हम इसकी भी कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी ओर केरल जैसे राज्य में लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, जिसे हम बीयर नहीं कर पाते हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक्सेपट किया कि 25 टके लैंड एक्विजिशन के लिए राज्य की तरफ से सहयोग करेंगे, जहां-जहां हमको लैंड एक्विजिशन की प्रोबल्म है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो प्रोजेक्ट इकोनॉकिली वायेबल नहीं है, उसमें अगर पचास परसेंट लैंड कॉस्ट राज्य सरकार करेगी तो उसमें से हम निकाल लेंगे। उसके साथ-साथ मैंने एक सुझाव दिया है। जब भी कोई प्रोजेक्ट राज्य में आता है तो उसमें चालीस परसेंट स्टील और सीमेंट लगता है। स्टील और सीमेंट पर जीएसटी लगता है, उसके बाद सैंड और मिट्टी लगती है। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स से रॉयल्टी लगती है। क्यों नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एनएचआई प्रोजेक्ट के लिए हमें रॉयल्टी फ्री कर दे? जो टैक्स मिलता है, That will be treated as equity given by the state government for that project. उसे हम लोग एग्जेम्पट कर दें, कैसे भी करके सौ प्रतिशत प्रोजेक्ट हो और राज्य को अच्छी और कंक्रीट का रोड मिले, यही हमारा प्रयास है।

मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज मैं सदन को जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि बजट का सपोर्ट अच्छा है। बजट सपोर्ट के साथ-साथ साढ़े नौ लाख करोड़ रुपये के हमने भारत माला प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए हैं। ये बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, एनएचएआई की क्रेडिबिलिटी ट्रिपल ए रेटिंग है।

पैसा खड़ा करने में कोई अड़चन नहीं है। बैंकों का भी सहकार बहुत अच्छा है। आने वाले समय में टू लेन को फोर लेन, फोर लेन को सिक्स लेन और सिक्स लेन को एट लेन बनाना है। उसके साथ-साथ ग्रीन हाईवे एक्सप्रेस की इकोनॉमिक वाइबेलिटी स्टडी करके सौ प्रतिशत करेंगे और बजट से दस-बीस परसेंट एडिशनल सपोर्ट भी देंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप निश्चिंत रहें। मैं मूल प्रश्नकर्ता के बाद सप्लीमेंटरी भी एलाऊ करूंगा क्योंकि सुरेश जी का आज अंतिम क्वेश्चन था। उनका आग्रह था कि सप्लीमेंटरी क्लब कर दिया जाए, इसलिए सभी को क्लब कर दिया। मूल प्रश्नकर्ता के बाद सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछने की इजाजत निश्चित रूप से मिलेगी।

प्रश्न संख्या 247 - श्री सुधीर गुप्ता - उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

प्रश्न संख्या 249 - श्री दीपक बैज - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

माननीय अध्यक्ष: आप दीपक बैज हैं क्या? मैंने क्या कहा था …(व्यवधान) कान पर ईयरफोन लगा लो कि मूल प्रश्नकर्ता के बाद सप्लीमेंटरी भी एलाऊ करेंगे।

प्रश्न संख्या 250 – श्रीमती रमा देवी

(प्रश्न 250)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को विस्तार से उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया है। पहले ही इतने अच्छे से जवाब दे दिए है कि हमें थोड़ा सा पूछना है, ज्यादा नहीं पूछना है। इतने एक्टिव मंत्री बहुत कम मिलते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों से दुर्घटना बढ़ती है और दुर्घटनाओं में मौत भी होती है, जब कभी राष्ट्रीय राजमार्ग को ठीक करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो सरकार धन उपलब्ध नहीं होने की बात करती है लेकिन आज जो कुछ भी उत्तर दिया है, धन कैसे लाएंगे और किस तरह उपयोग करेंगे और उस बारे में अच्छी तरह से समझाया, मैं इससे संतुष्ट हूं। टॉल व्यवस्था से महीने में करोड़ों रुपयों की आय होती है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं इस स्थिति में प्रति पचास किलोमीटर से सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह सरकार यातायात संबंधी टैक्स से काफी धनराशि प्राप्त करती है।

(1120/SK/RBN)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि विगत तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्यों के लिए मंत्रालय ने कितनी राशि की मांग की है? इसमें मंत्रालय को कितनी धनराशि मरम्मत और रखरखाव के लिए प्राप्त है? मंत्रालय के धन की कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, नेशनल हाईवे में मैन्टेनेंस की समस्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। जब से हमारी सरकार आई है, हमने सीमेंट-कन्क्रीट रोड बनाने का निर्णय किया है, इसमें डेढ़ फीट की सीमेंट की स्लैब पड़ती है। आपके मतदान क्षेत्र में भी रोड बन रही है।

जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, 1995-2000 में हमने मुम्बई-पुणे एक्सप्रैस हाईवे बनाया था। आज कम से कम इसे 25 साल हो गए हैं और इस रोड पर अभी भी कोई गड्ढा नहीं है। अब इससे भी मजबूत डिजाइन नेशनल हाईवे का है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 100 साल तक कन्क्रीट रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। आप सबके सहयोग से मुझे इस बात का विश्वास है कि हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन करेंगे। एक रुपये के लिए कांट्रेक्टर को आना न पड़े, हम करप्शन को एंटरटेन नहीं करते हैं।

मैंने एक बार मज़ाक में कहा था, इसे शब्दश: मत लीजिए कि अगर कोई कांट्रेक्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो उसे बुल्डोज़र के नीचे जाना पड़ेगा। हम क्वालिटी में किसी भी प्रकार की खराबी सहन नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है कि जितने कन्क्रीट और कन्वर्टर हैं, इससे मैन्टेनेंस कॉस्ट कम हो रही है।

रोड एक्सीडेंट के मामले में मेरे ध्यान में भी यह पहली बार आया, जब एक एनजीओ ने मुम्बई और पुणे एक्सप्रैस वे में बहुत अच्छा काम किया और 100 फॉल्ट निकाले कि इन कारणों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन में मेरे साथ अधिकारी थे, तब यह मेरे ध्यान में आया कि जो हाईवे मैंने 1995 में बनाया था, उसमें 100 फॉल्ट कैसे रह गए। यह रोड इंजीनियरिंग की प्राब्लम थी। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है वैसे ही कन्सट्रक्शन का भी ऑडिट होना चाहिए।

अब हमने तय किया है कि एक्सीडेंट के लिए ऑडिट करें कि कौन सी प्राब्लम्स हैं। छोटे-छोटे कारणों से लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। हमने पूरे प्वाइंट्स तैयार किए हैं। इसके बाद हम हाईवे को रेटिंग देने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग और रोड एक्सीडेंट के कारणों के प्वाइंट्स बनाएंगे और जो आउटस्टैंडिंग चीफ इंजीनियर्स रिटायर्ड हैं, उनको कांट्रेक्ट बेस पर एपाइंट करके रेटिंग करेंगे। यह रेटिंग डिजिटल डाटा बेस रहेगा, जिसमें प्राब्लम जितनी कम होंगी उसे अच्छी रेटिंग मिलेगी। हम पूरे एनएचएआई की रेटिंग कर रहे हैं।

मेरा सब चीजों में काम अच्छा है, लेकिन मैं एक फेल्योर को स्वीकार करता हूं। पांच साल में हमने कहा था कि 50 फीसदी एक्सीडेंट कम करेंगे। आपके कारण मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ, लेकिन एक साल देरी हुई और अब यह पास हुआ है। तमिलनाडु ऐसी सरकार है, जिसने 29 परसेंट एक्सीडेंट्स को कम किया है। उनका मॉडल हमने लिया और एक्सीडेंट के लिए रोड ऑडिट का भी लिया है, अब हम इसके आधार पर हर रोड की रेटिंग करके, इंस्पेक्शन करके एक्सीडेंट दूर करेंगे और क्वालिटी ऑफ कन्सट्रक्शन सही करेंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने तय किया है कि कॉस्ट आफ कन्सट्रक्शन को भी कम करना है और क्वालिटी ऑफ कन्सट्रक्शन को इम्प्रूव करना है। सरकार में कोई नई बातों के लिए तैयार नहीं होता है। मलेशिया में ब्रिज बना है, इसमें स्टील यूज़ करने के बजाय स्टील फाइबर यूज़ किया गया है। स्टील फाइबर यूज़ करने से स्ट्रैंथ इतनी बढ़ गई कि सौ मीटर के बीच एक नया पिल्लर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ब्रिज की कॉस्ट 20 परसेंट कम हो सकती है। हमने इसे मैंडेटरी किया है। हमने मुम्बई आईआईटी के इंचार्ज श्री रवि सिन्हा की अध्यक्षता में देश की एक्सपर्ट कमेटी भेजी। वहां से लाकर आईआरसी कोड में चेंज करके मैंडेटरी किया जिससे ब्रिजेज़ और फ्लाईओवर्स की कॉस्ट कम होगी। टनल में भी बहुत खर्च होता है। हम जम्मू-कश्मीर में टनल बना रहे हैं, 6,200 करोड़ की कीमत थी और मेरे पास 8,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आया है। मैंने कहा कि टनल में अपने लोगों को कम्पीटेंट बनाकर इक्विपमेंट देंगे, यह 6,000 करोड़ रुपये नहीं होना चाहिए। हम कॉस्ट आगे न बढ़ाएं, इसके लिए कॉस्ट स्टॉप प्रेक्टिस में वर्ल्ड की बैस्ट प्रेक्टिस को इम्पलीमेंट करने के लिए रोड, ब्रिज, फ्लाईओर, टनल कोड में लाना है ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो।
(1125/RAJ/SM)

इसके लिए हम ने दो आईआईटीज का नाम आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि मंत्रालय में कोई नया रिसर्च, इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। हम उनको रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी तरह पूरा काम देंगे और उनकी सलाह से सुधार करेंगे। इससे रोड ऐक्सिडेंट्स में भी सुधार होगा, रोड कंफर्ट्स भी मिलेगा और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होगी एवं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री पशुपति नाथ सिंह जी – उपस्थित नहीं।

(इति)

(प्रश्न 253)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा, अगर आदरणीय मंत्री जी से मिल जाता जो एक वर्ष, दो वर्ष या उससे भी अधिक समय से लंबित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, मैं उससे पूर्णरूपेण संतुष्ट भी हूं, परन्तु मैं सदन में अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजना के संबंध में बात रखने जा रही हूं, जो पिछले आठ वर्ष से लंबित है। आदरणीय मंत्री जी का प्रयास काबिले तारीफ रहा है, उनके प्रयास से मैं संतुष्ट भी हूं, परन्तु अभी तक उस प्रयास का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह परियोजना आठ सालों से लंबित है, उसके लिए आपके पास ऐसा क्या उपाय है? हमारी क्षेत्र की जनता आपके उत्तर को सुनने के लिए आतुर है। अगर आप इस सदन में उत्तर रखेंगे तो उससे हमारे क्षेत्र की जनता भी आश्वस्त होगी। मैं चाहती हूं कि शीघ्र, अतिशीघ्र यह काम हो। क्योंकि हम बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं। हमारा एक-एक दिन, एक-एक पल बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। रोड्स को खराब करके रख दिया गया है। यह परियोजना आठ साल से लंबित है। इस परियोजना को वर्ष 2012 में शुरू करने का अनुबंध किया गया था और अगले महीने वर्ष 2020 आ जाएगा। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी हमें आश्वस्त कराएं कि उनका अगला चरण क्या होगा, जिससे हम इस परियोजना को अविलंब शुरू कर सकें।

श्री नितिन जयराम गडकरी : अध्यक्ष महोदय, यह सिंगरौली की रोड की समस्या है। सम्मानीय सदस्या जो कह रही हैं, वह सही है। वह आठ सालों से बंद पड़ी हुई है। मैंने इसके लिए मीटिंग भी ली। सम्मानीय सदस्या भी वहां उपस्थित थीं। मीटिंग में उसके वर्क ऑफ स्कोप का पैसा देने के लिए कहा गया, वह भी ऑर्डर निकल गया। पर, दुर्भाग्यवश बैंक के इंचार्ज और कंपनी का इंचार्ज दोनों मीटिंग के बाद बदल गए। इसके कारण वह मामला रुक गया। इसलिए जब आपका प्रश्न आया तो मैंने फिर से कहा है कि आठ दिनों के अंदर फिर से मीटिंग बुलाएंगे और कल ही माननीय सदस्या ने कोल मिनिस्ट्री, प्रह्लाद जोशी जी को पत्र लिख कर इस रोड प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये के लोन के लिए अनुरोध किया है। मैंने सुना था कि कोल मिनिस्ट्री वाले 50 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह पूरा रोड कोल माइन्स, सिंगरौली में जाती है। आपका बहुत बिजनेस उसके कारण मार खा रहा है। पर, मैं कोशिश करूंगा कि कोल मंत्री जी भी कुछ मदद कर सकें। वह कह रही हैं कि यह आठ सालों से बंद है। इस मामले में बहुत-सी अड़चनें आई थीं। फिर से जब आठ दिनों के बाद मीटिंग करेंगे, तो कोल मिनिस्टर और सम्मानीय सदस्य को बुला कर, नए अधिकारियों के साथ बैठ कर इसका समाधान ढूंढ कर आगे जाएंगे। यह जरूर कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर लालवानी जी – उपस्थित नहीं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 254, श्री रामदास तडस – उपस्थित नहीं।

श्री सी. पी. जोशी – उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न 255)

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में यल्गतुर्ति-सिद्दीपेट एंड रुद्रारम-मेडक दोनों सैंक्शन हुआ, लेकिन मगर अभी तक वह नहीं हुआ, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं।

(1130/VB/SPR)

इसके अलावा आर्बिट्रेशन में हाइवे नम्बर 65 है, जो मियापुर से संगारेड्डी तक है, उसको पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हाइवे में स्ट्रेच किया गया। उसका कांट्रैक्टर मेनटेनेंस नहीं कर रहा है। अभी वह दोबारा आर्बिट्रेशन में गया है। कृपया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ।

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, आर्बिट्रेशन एक क्वासी जूडिशियल एक्टिविटी है। आर्बिट्रेशन में कब निर्णय करना है या नहीं करना है, यह उनके अधिकार में है। लेकिन अभी एक बात ध्यान में आई है कि आर्बिट्रेशन में देरी होने के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। जो अथॉरिटीज अभी आर्बिट्रेशन में हैं, हमने उनको टाइम-लिमिट देकर कुछ निर्णय करने के बारे में एडवाइज़री भेजने के लिए तय किया है। वह जो भी निर्णय करें, लेकिन चार महीने के अंदर आर्बिट्रेशन का निर्णय हो। आर्बिट्रेशन में कभी-कभी यह कोशिश की जाती है कि सरकारी अधिकारी और कांट्रैक्टर दोनों जब तक एक बात पर नहीं आते हैं, तब तक कोई आर्बिट्रेटर रिक्मेंड नहीं करता है। मैंने उनको कहा कि जब दोनों एक बात पर आएंगे, तो आपके पास क्यों आएंगे। जब उनमें डिसप्यूट है, इसीलिए तो आर्बिट्रेटर के पास आए हैं। अगर दोनों की बात नहीं होती है, तो आपका क्या ओपिनियन है, यह आप लिखकर तुरंत निर्णय करें। निश्चित रूप से इसके बारे में सरकार गंभीर है। जल्दी ही इसका निर्णय हो जाएगा।

सम्मानित सदस्य ने जिस रोड के बारे में कहा, उसकी जानकारी आज मेरे पास नहीं है। मैं इसमें निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा।

(इति)

(प्रश्न 257)

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या यह योजना लागू है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में लिखा है कि यह 12वीं पंचवर्षीय योजना तक लागू थी, अभी यह बंद है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उपरोक्त योजना क्यों बंद कर दी गई, क्या इसमें कोई कमी-खामी थी? क्या इस योजना को आगे लागू करने के लिए यह विभाग और सरकार आवश्यकता महसूस करती है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्माननीय स्पीकर महोदय, जब राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना बनी थी, तो यह वर्ष 2017 तक के लिए ही थी। जब यह योजना मंज़ूर हुई थी, तब इसकी सीमा वर्ष 2017 तक के लिए तय हुई थी। उसमें 573 एम्बुलेंसेज और 492 क्रेन्स राज्य सरकार को प्रोवाइड किए गए थे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ऑलरेडी 9,578 एम्बुलेंसेज चल रही हैं। इसमें हमने निर्णय किया है कि यह योजना समाप्त नहीं की जाए और अब एनएचएआई के ऊपर इसकी जिम्मेवारी डाली है। इसमें टोल प्लाज़ाज पर 448 एम्बुलेंसेज की व्यवस्था की है। इस संबंध में एक नया टेंडर भी निकाला है। ये एम्बुलेंसेज ऐसे बनाए गए हैं, क्योंकि जब किसी बस का एक्सीडेंट होता है, तो एक समय में ही 15-20 लोग जख्मी हो जाते हैं। इनमें तीन स्ट्रेचर्स होंगे। जिनका एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे दो लोग उसमें बैठ भी सकेंगे। इसके साथ ही, उसमें बस और कार को काटने के टूल्स भी होंगे। उसमें तीन लोग होंगे, जिनको पारा-मेडिकल प्रोसेस की जानकारी होगी और बस-कार आदि काटने के लिए आइटीआइ की जो ट्रेनिंग होती है, वे उसमें भी ट्रेंड होंगे ताकि वे लोग एक्सीडेंट होने पर तुरंत मदद कर सकें।

ऐसा ही एक टेंडर हमने निकाला है। पीपीपी मॉडल और बीओटीज़ में जितने भी टोल नाका हैं, हमने वहाँ पर ऑलरेडी एम्बुलेंस और क्रेन रखी हुई है। इसके साथ ही, जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स होते हैं, मैं उनको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले रोड्स हैं, वहाँ पर ये एम्बुलेंसेज पहले रखे जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी यह बात है कि एक्सीडेंट ही न हो। इसके लिए हमने दो स्कीम्स तैयार की हैं। एक स्कीम एडीबी को दी गई है। जहाँ एक्सीडेंट बार-बार होते हैं, ऐसी जगहों को ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए सात हजार करोड़ रुपये की एक स्कीम वर्ल्ड बैंक को और सात हजार करोड़ रुपये की दूसरी स्कीम एडीबी को दी गई है। नेशनल हाइवेज, स्टेट हाइवेज, डिस्ट्रिक्ट हाइवेज, म्यूनिसिपल हाइवेज आदि के तहत जो रोड्स हैं, इनमें ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करने में 14 हजार करोड़ रुपये का उपयोग होगा।

जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम रोड सेक्टर में रोड की इंजीनियरिंग की ऑडिट करवा रहे हैं, वैसे ही एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उनका भी ऑडिट करवाएंगे। मैंने आपको रेटिंग के संबंध में जो बात कही है, अगर उसके आधार पर हम काम करेंगे, तो एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत कम होगा। वर्ल्ड में ऐसे बहुत-से देश हैं, जहाँ एक्सीडेंट का प्रमाण ज़ीरो परसेंट है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वाले और इसमें मरने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या वाले देशों में भारत प्रथम क्रमांक पर है।

(1135/SJN/UB)

आप सभी के सहयोग के बिना यह नहीं हो पाएगा। एन्फोर्समेंट कानून में सुधार करना होगा, सिविल इंजीनियरिंग में सुधार करना होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करना होगा, उसके साथ इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लागू करना होगा। अगर इसके बाद भी एक्सीडेन्ट्स होते हैं, तो एम्बुलेंस और क्रेन्स को लगाना होगा। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विशेष रूप से बस नदियों में चली जाती थी। हमने स्पेशल प्लान को मंजूर किया है और उसके तहत बैरियर्स बनाने का कार्यक्रम तैयार है, ताकि कोई भी बस नदी में न चली जाए, वह वहीं पर रुक जाए। हम ऐसे प्रिवेन्टिव मेज़र्स ले रहे हैं, लेकिन इसमें और काम करने की आवश्यकता है। एनएचएआई की तरफ से एम्बुलेंस भी अपने पैसों से, भले ही योजना बंद हो जाएगी, लेकिन जहां-जहां आवश्यकता होगी, हम वहां-वहां पर एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने का काम करेंगे।

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस की व्यवस्था है? अगर है, तो कितनी है? क्या राज्य शासन से एम्बुलेंस के लिए कोई अनुरोध पत्र आया है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सम्मानीय स्पीकर महोदय, हमारे पास अभी 448 एम्बुलेंस टोल प्लाजा पर हैं। इसके साथ ही साथ हम जो नया टेंडर निकाल रहे हैं, वह टेंडर रिसीव हुआ है। हम उसमें भी एम्बुलेंसेस ले रहे हैं। जैसे राज्य सरकारों की एम्बुलेंसेस हैं, हम पूरे काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी टोल नाका हैं, वे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी एम्बुलेंसेस हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने और एम्बुलेंसेस मांगी हैं। सभी राज्य सरकारें यह मांगती हैं। हमने यह तय किया है कि जहां पर ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनका प्रतिशत ज्यादा है, हम वहां पर तुरंत एम्बुलेंस देंगे। यह व्यवस्था पूरे रोड्स पर करने के लिए काफी पैसा भी लगेगा। फिर भी, जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, हम वहां पहले देंगे। अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसे स्पाट्स निकलते हैं, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी।

(इति)

(Q. 258)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Speaker, first of all, I congratulate the hon. Minister, Shri Nitin Gadkari ji, on taking special care of the State of Kerala. The hon. Chief Minister of Kerala met the hon. Minister on several occasions and the hon. Members from Kerala also met the hon. Minister. He has taken very serious steps to develop the national highways in Kerala. On behalf of the people of Kerala, I am conveying my thanks to the hon. Minister.

Sir, regarding new National Highways in Kerala, there are several proposals before the Ministry of Road Transport and Highways. The proposals of Alappuzha-Kodaikanal National Highway, which connects backwater tourism to hill tourism, and the National Highway from Munnar to Kayamkulam via Mavelikkara are before the Ministry. I would like to ask the hon. Minister whether the DPR has been completed for the same and what progress is there in those projects.

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय स्पीकर महोदय, केरल में लैंड एक्विज़िशन कॉस्ट 48 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर तक जाती है। केरल में यह समस्या है कि रोड के बगल में बंगले और बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है, कॉम्पन्सेशन देना पड़ता है। हमने नए एक्ट में इतना अच्छा कॉम्पन्सेशन दिया है कि अगर 1,100 करोड़ रुपयों की रोड है, तो 700 करोड़ रुपयों का लैंड एक्विज़िशन है। इसलिए, मैं आपके मार्फत सम्मानीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि six-lane highway is being proposed. हम लोग उसको भी कर रहे हैं। एनएच-66, 530 किलोमीटर, हम कासरगोड टू तिरुवनन्तपुरम का काम तुरंत हाथ में लेने वाले हैं। इसी साल एनएच-66, 150 किलोमीटर का काम अवार्ड करने वाले हैं। अभी जो काम है, उसमें केरल के मुख्य मंत्री जी ने हमको 25 प्रतिशत लैंड एक्विज़िशन के लिए पैसे देने की भी बात कही है। हमारे पास अभी जो काम है, अभी शशि थरूर जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं इनके संसदीय क्षेत्र में उद्घाटन के लिए गया था। तिरुवनन्तपुरम बाईपास का बहुत डिफिकल्ट रोड था। लगभग बहुत अच्छा रोड बना है, वह अभी पूरा हुआ है।...(व्यवधान) अभी बन रहा है।...(व्यवधान) इतनी लागत है, तो मैं यह नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि मैं अब किसी नए प्रस्ताव को स्वीकारने की स्थिति में नहीं हूं। जो काम पहले से हैं, उनको पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर विचार किया जाएगा।

(1140/SNT/GG)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, my second supplementary is very simple and very important. The State of Kerala is affected by natural calamities like severe floods. Almost all national highways and State highways passing through the State are in a dilapidated condition. Almost all national highways are partially or full damaged. But the National Highways Authority of

India is not taking any steps for patch work and other works to improve the conditions of national highways. The same is the case with State highways.

The Government of Kerala has submitted a proposal for assistance from the Government of India. I would like to ask the hon. Minister whether the Government has taken any immediate steps to solve the problem which we are facing with regard to the national highways as well as the State highways.

श्री नितिन जयराम गडकरी: अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि केरल में बाढ़ के कारण रोड का बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी मुझसे मिले और उन्होंने भी डीटेल्स दी हैं। राष्ट्रीय महामार्ग के भी डीटेल्स मिले हैं। इसलिए हमने अपनी तरफ से उन रोड्स को रिपेयर करने के लिए राशि भी मंजूर की है। जो-जो भी ऐसे रोड्स हैं, उनको तुरंत रिपेयर करने के बारे में, जो राशि खर्च हुई, नहीं हुई है, उसकी रिपोर्ट ले कर मैं उनको जानकारी दूंगा।

स्पीकर महोदय, एक हज़ार 417 किलोमीटर हमने भारत माला में नया राष्ट्रीय महामार्ग केरल में दिया हुआ है। उस काम की भी डीपीआर हम बना रहे हैं और वह भी जल्दी ही निश्चित रूप से होगा। हमने मेंटेनेंस एण्ड रिपेयरिंग के लिए नैशनल हाईवे के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, उसमें से करीब-करीब 6546 किलोमीटर पूरे देश में, 7400 करोड़ रुपये इसकी कॉस्ट है और पीरियोडिकल रिन्युवल इंप्रूवमेंट क्वालिटी प्रोग्राम में हम लगातार उसको दे रहे हैं। परंतु केरल में बाढ़ के कारण नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके बाद बिटुमेन के नहीं बल्कि कंक्रीट के रोड बनाएंगे। बाढ़ में कंक्रीट के रोड का नुकसान नहीं होता है। आपके रोड का जो इंपॉर्टेंट है, उसमें और भी स्ट्रेचिस को दुरफस्त करने के बारे में ऑलरेडी आदेश दिए हैं। अगर आपके ध्यान में कोई स्पेसिफिक बात आती हैं तो मेरी जानकारी में लाइए, हम जरूर उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे।

SHRI SAPTAGIRI ULAKA (KORAPUT): Thank you, Speaker Sir.

Firstly, I would like to say I am very happy with the answer of Shri Nitin Gadkari Ji regarding road quality and all. I would like to put forward a question about my parliamentary constituency, Koraput. I had asked a question already regarding NH-26, and you have mentioned that the stretch of Borigumma-Jeypore-Koraput-Sunki is in a very dilapidated condition. Can you give us some timeline because the answer is not very clear like when this will be completed and all? You have cited examples like, rainfall, etc., as the reasons for the bad condition of the roads. But actually, the quality of work by the contractor is not good and because of that we are seeing potholes in national highways.

Sir, the people from my constituency would require your assurance that NH-26 will be repaired immediately and we will be able to move on the roads which are at present not even in the condition of CC road to say the least. Can

we have some help from you for NH-26 from Borigumma to Sunki, which goes through Jeypore and Koraput?

श्री नितिन जयराम गडकरी : स्पीकर महोदय, इसकी एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन यहां मैंने एक शुरूआत की है कि हर राज्य के एमपी को मैं प्रश्न काल के बाद डेढ़-दो घंटा मिलता हूँ, अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। स्वाभाविक रूप से कुछ राज्यों की बातचीत हुई है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस स्ट्रेच को ले कर अभी मैं आपको बुलाउंगा और इसी सैशन में इसके ऊपर हम जरूर मार्ग निकालेंगे।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं गडकरी साहब का अभिनंदन करता हूँ क्योंकि नागपुर से कामठी का रोड बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उसमें थोड़ी खामियां हैं। ड्रैगन पैलेस भी उसी में आता है। बीच में एन्क्रोचमेंट बहुत हुई है। उसको हटाने का काम नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से इतना बड़ा हाइवे नैरोबैंड हो रहा है। उसके बारे में कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरा, मुंबई-गोवा रोड इतने साले से शुरू है, कब तक खत्म होगा, यह मेरा आपके माध्यम से उनसे सवाल है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : सर, यह बहुत इंट्रेस्टिंग बात है। मुझे भी कहते समय कभी-कभी बड़ा दुख भी होता है और दर्द भी होता है कि कामठी कैंटोनमेंट में डिफेंस की कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड वॉल वहां डाली, इसका मतलब है कि उनकी लैण्ड वहां खत्म हो गई। अब वह पूरी लैण्ड एनएच की है। पूरे डिफेंस ने एक साल से वहां काम बंद कर के रखा है।

(1145/KN/RK)

जब हमने कहा कि यह कम्पाउंड वॉल है, आपने बनाई। जब आपकी जगह थी तो फिर आप आगे क्यों नहीं? फिर उसके फोटोग्राफ्स लेकर आए। फिर यहाँ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि काम करो। मैं यह नागपुर की बात बता रहा हूं। जब काम करने के लिए कहा तो वहां मेन्टेनेंस कमांड के लोग बंदूक लेकर आए और कान्ट्रेक्टर को वहां से भगाया। अब मैंने राजनाथ सिंह जी को पिछले डेढ़ महीने से पूरा सब्जेक्ट बताया हुआ है और उनके भी ध्यान में हैं। अभी वे उपस्थित नहीं हैं, पर मैं आज फिर उनको कहूंगा। मैंने कहा कि डिफेंस से लैंड लेना, धौला कुआं की लैंड लेते-लेते, मनोहर पर्रिकर जी और मुझे, शब्द बराबर नहीं है, लेकिन कितने पापड़ बेलने पड़े, यह मैं बता नहीं सकता। ऐसे काम अटका कर रखे हैं। कहीं न कहीं सरकार एक ही है। अगर इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिए लोग अटका कर रखेंगे तो लैंड न होने के कारण कॉम्पनसेशन बढ़ता है। कान्ट्रेक्टर हजारों-करोड़ रुपये के क्लैम डालता है। आप सब मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट यहां उपस्थित हैं, आपकी कॉन्स्टीट्यूएंसी में आप देखो कि काम क्यों बंद पड़े हैं। कॉन्ट्रेक्टर क्या हवा में काम करेगा? एक पेड़ उखाड़ने के लिए एनवायर्नमेंट फोरेस्ट वाले छ:-छ: महीने तक परमिशन नहीं देते। हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। स्पीकर महोदय, ऐसा माहौल है कि इस देश में काम करो, ऐसा कहने के लिए कोई नहीं आता। काम बंद करो। अगर ऐसी स्थिति में हर आदमी आएगा, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अच्छा, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि कामठी की

बात जो है, आज राजनाथ सिंह जी नहीं है, क्योंकि मैं वहां जिले का हूं। मैंने इससे ज्यादा क्या-क्या बोला है और क्या किया है, यह मैं यहां बता नहीं सकता।

माननीय अध्यक्ष : आप रहने दो।

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैं आपसे यही कह रहा हूं कि इस रोड का काम अभी शुरू होगा। सब एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी।

दूसरा, ऐसा है कि जो मुम्बई-गोवा का है, यह भी कोंकण के रहने वाले हैं। सर, वहां एक एकड़ जगह के पाँच मालिक हैं और पाँच भाई आपस में एक एकड़ के हिस्से के लिए कैसे झगड़ा करते हैं, अगर इसका उदाहरण देखना है तो यह कोंकण में है। एक दूसरे से ऐसी फाइटिंग चलती है। हमने लगभग लैंड एक्विजिशन पूरी की है। स्पीकर महोदय, हमने लैंड एक्विजिशन पूरी की है और एक साल के अंदर मुम्बई-गोवा फोर लेन 7 कंक्रीट रोड पूरी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूरी रोड पूरी होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव रंजन।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): गडकरी जी, आपका इंटर मिनिस्ट्रियल कॉर्डिनेशन अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है।...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैं यह बात टीका-टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ। I want to convince the hon. Member that the country needs positive attitude and approach from everybody. मैं दूसरी बात कहता हूँ। I am pro-environment. एनवायर्नमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायर्नमेंट डेवलपमेंट, ये एक दूसरे से विभक्त नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। पेड़ लगाने में मेरी सिटी सबसे ग्रीन सिटी में आगे जा रही है। एक पेड़ उसमें पर्याय नहीं है, फोर लेन करना है। अच्छा, कभी-कभी एक बात आप अपने यहाँ देखो कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और टेलीफोन वाले, आप रोड का काम पूरा करो, जैसे ही पूरा होगा, वैसे ही टेलीफोन वाला आता है और खोदना शुरू करता है। फिर इलैक्ट्रिक वाले पोल जो हैं, रोड फोर लेन की जगह होती है, वह बराबर टू लेन के बाद बीच में पोल लगा देता है। यह भी नहीं है कि यह पोल आखिरी लिमिट पर लगाना चाहिए, डिस्टैंस लम्बा लेना चाहिए ताकि पोल को शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग का खर्चा, पाइप लाइन का, मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट और हम मिलकर धीरे-धीरे उसको कर रहे हैं। मैं टीका-टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ और कॉर्डिनेशन अच्छा है। आज तक कभी ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने कहा और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी सुनेंगे नहीं। वे तो अधिकारियों से कहते हैं कि नितिन जी सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वह तुरंत करो। प्रॉब्लम यह है कि मेरा एक प्रसिद्ध वाक्य है- 'चाय से केतली ज्यादा गर्म होती है।' कभी-कभी नीचे वाले लोग ही ऐसा कर देते हैं कि एक-एक साल तक काम रुका रहता है। मुझे लगता है कि यह कॉर्डिनेशन अच्छा है। मैं टीका-टिप्पणी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर कॉन्स्टीट्यूएंसी में यह प्रॉब्लम है। मैंने आप सब को पत्र लिखा है कि आप अपने यहां के कलेक्टर के साथ पूरे रोड से संबंधित मीटिंग बुलाइये। हमारे अधिकारियों को बुलाइये। रोड सेफ्टी, रोड कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम को सुलझा दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हम लोगों को कलेक्टर कभी नहीं बुलाते।

श्री नितिन जयराम गडकरी : आप बुलाइये।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): हमें बुलाने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई कलेक्टर बात नहीं सुनता है।...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।...(व्यवधान)

(1150/PS/CS)

...(Interruptions) ...(Not recorded)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी के अलावा किसी की बात भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(Interruptions) ...(Not recorded)

श्री नितिन जयराम गडकरी : अगर रोड सेफ्टी और रोड कंस्ट्रक्शन दोनों काम में सुधार करने में आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये ऑब्सटैकल्स काफी निकल जाएंगे।...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव, नए निर्माण को काफी स्ट्रीमलाइन किया है। एक समस्या है, एक तरफ राज्य सरकारों की अनुशंसा पर आप नया नेशनल हाईवे ले रहे हैं, उसका परिणाम यह होता है कि वह स्टेट हाईवे नहीं रह जाता है, वह नेशनल हाईवे हो जाता है। राज्य सरकार उसका रख-रखाव नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ जो आपके पुराने एन.एच. हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। हम समय बचाने के लिए कई सड़कों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। कई एन.एच. की स्थिति काफी खराब है। आपके पास एन.एच. के रख-रखाव के लिए राशि भी सीमित है।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो पुराने एन.एच. हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उसके रख-रखाव के लिए आप कौन सी नीति बना रहे हैं ताकि उसकी स्थिति आगे सही हो जाए। एक बैड नेम, जिसको लोग खराब नाम देते हैं और कहते हैं कि यह एन.एच. है, यह बैड नेम नहीं जाए, इसके लिए सरकार कौन से कदम उठा रही है?

श्री नितिन जयराम गडकरी : महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य से क्षमा माँगते हुए कुछ सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह बिहार में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। आज मेरे पास लिस्ट है। वर्ल्ड बैंक के सैंक्शंड प्रोजेक्ट को हमारे डिपार्टमेंट ने विदड्रा किया। मैंने कहा कि इसे विदड्रा किया, यह कांस्टीट्यूएंसी तो हमारे मुख्य मंत्री जी की है, आपने इसे विदड्रा क्यों किया? In Fatuha-Harnaut-Barh Section of NH 30A, the project work for Daniyawan bypass and Barh bypass has been dropped due to land acquisition. For 4 nos. of ROB at km 132 and km 135 of NH 19; km 12 of NH 103; and km 100 of NH 327E, the appointed date was given, but work on the said project got delayed by three years. Now, the work is in progress. लैंड एक्वीजिशन नहीं हो पाया। The Government sanctioned the Koshi Bridge in September, 2018, but 3G has not been done. प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। Forest clearance has also not been obtained. बाद में टेंडर भी नहीं हो पाया। The work on Ghorghat bridge in Munger district has been delayed since

2014. वर्ष 2014 से है। कान्ट्रेक्टर भाग गया। लैंड एक्वीजिशन नहीं हुआ। The work on total 16 nos. of NHAI project of about 1070 km, costing Rs. 14,452 crore, has been delayed due to land acquisition and forest issues in Bihar. The project for the development of Nalanda-Bihar Sharif section of 92 kms has been delayed from 2014 due to land acquisition.

मैं फिर से एक बार माननीय सदस्य से कहता हूँ कि इसे पॉलिटिकली मत लीजिए, मैं आपकी सरकार पर टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरे जो एनएचएआई के चेयरमैन थे, वे अभी आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से फोन करके बात की। मैं बिहार में काम करना चाहता हूँ, वहाँ अच्छे रोड बनाना चाहता हूँ, आप सब माननीय सदस्य मिलकर लैंड एक्वीजिशन और अन्य समस्याओं को निपटाकर मेरी थोड़ी इसमें मदद कीजिए। हम बिहार के सभी रोड अच्छे बनाएंगे, कान्क्रीट के रोड बना देंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जहाँ आपने क्लियर किया है, वहाँ हमने करके दिया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय मंत्री जी, बिहार के बारे में जो भी कुछ आपने कहा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि 8 साल से हमारे यहाँ एन.एच. 19 बंद पड़ा था, आपके प्रयास से वह कार्य प्रारम्भ हो गया, इसके लिए मैं सदन के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ। 8 साल के बाद वह काम शुरू हुआ और यह आपके विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है और मेरे राजनीतिक जीवन के लिए भी, क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको बहुत वीडियो दिखाये थे। अब वह काम शुरू हो गया है।

महोदय, एक मूलभूत प्रश्न यहाँ उठता है, जैसे इस संकट के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, क्या आप प्रेफर करते हैं और अगर नीतिगत फैसला है कि जहाँ ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट हुआ, ये तमाम सड़कें वे हैं, जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हैं, एग्जिस्टिंग रोड हैं। क्या सरकार नीतिगत तौर से ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट्स को प्रेफर करती है ताकि उसमें लैंड एक्वीजिशन के बड़े इश्यूज नहीं आएं, रीसैटलमेंट के इश्यूज नहीं आएं, बाई पासेज के इश्यूज नहीं आएं?

(1155/RV/RC)

सर, दूसरी बात है कि जो डीपीआर बनती है, जिस पर पिछले सालों में लगभग दो हजार करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं, उसमें यह होता है कि गूगल का उपयोग करके डीपीआर्स बनाए जाते हैं। इसमें कहीं आर.ओ.बी. छोड़ दिया जाता हैं, कहीं आर.यू.बी. छोड़ दिया जाता है, कहीं ब्रिज बना दिया जाता है।

महोदय, बापट साहब यहां हैं। उन्होंने एक रोड पर रोक लगाई है क्योंकि उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर की जरूरत ही क्या है? डीपीआर बनते समय कभी भी सांसदों से कोई इनपुट नहीं लिया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि बाद में वे सड़कें विवाद के घेरे में बनी रहती हैं।

महोदय, आने वाले समय में जब डीपीआर तैयार हो रहा हो या डीपीआर के तैयार होने का क्रम बन रहा हो तो क्या माननीय सदस्यों से या पॉलिटिकल लोगों से या इसके स्टेकहोल्डर्स से कोई इनपुट लेने की व्यवस्था आप करना चाहेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय स्पीकर महोदय, सम्माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह सच है। पर, यह पाँच साल पहले की कहानी है। पहली बात यह है कि जो डीपीआर बनाते थे, वे 80 प्रतिशत पैसे लेकर 20 प्रतिशत पैसे मांगने के लिए कभी आते ही नहीं थे। मैंने उनकी एक कॉन्फ्रेंस में इन शब्दों में उन्हें कहा कि 'तुम याद रखना, अगर तुम्हारे डीपीआर के कारण कोई एक्सीडेंट हुआ तो तुम पर धारा 302 लगाकर तुम्हें जेल के अन्दर डालेंगे।' मैंने यहां तक उन्हें बोला। डीपीआर बनाने वालों से बहुत गलतियां हुई हैं। इसके कारण ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं कि जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे अच्छा कारण सरकारी यंत्रणा में यह होता है कि ड्राइवर ने दारू पीकर गाड़ी चलाई, इसलिए यह एक्सीडेंट हुआ। मैंने खुले रूप से कहा कि इसके लिए इंजीनियर जिम्मेदार है। ये डीपीआर में गलतियां करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में गलतियां करते हैं, जिनके कारण ये एक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए अब डीपीआर के बारे में काफी अलग नियम बना है। यह बात बिल्कुल सच है कि घर में बैठ कर गूगल से पेस्टिंग करके डीपीआर लाते थे। मुझे आपसे यह बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट के रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, वे ही डीपीआर बनाने की कंपनियां खोल कर बैठे हैं, वे ही ऐसा करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, वे ध्यान में आई हैं। अब इस पूरे सिस्टम को बदला है और उनके पैसे को भी हम लोग रोक रहे हैं। जब आखिरी में यह कम्प्लीट होगा, तब उन्हें उनका पेमेंट मिलेगा। 20 प्रतिशत की बजाय अब उनके ज्यादा पैसे रोक रहे हैं। इसलिए अब इसमें काफी सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम लोग सुलझा रहे हैं क्योंकि अभी उसके लिए कोई उपाय नहीं है, पर भविष्य में डीपीआर बनाने के बारे में पूरे सुधार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इनका प्रश्न था, हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज़ बना रहे हैं और यह बात बिल्कुल सही है कि ग्रीन हाईवेज़ से स्टेट अलाइनमेंट आती है और वह गांव के बाहर से जाती है। इससे लैंड एक्वीजीशन की कॉस्ट बहुत कम होती है और ये शहर के जो रोड्स हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। पर, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब हम ग्रीन रोड बनाते हैं तो सारे एम.पीज़. हमारे पास आते हैं और यह कहते हैं कि पुराने रोड्स का भी काम कर दीजिए। यह भी आप पूरा कर दीजिए, वे ऐसी मांग करते हैं। पर, अब सरकार की तरफ से हमने यह तय किया है कि पुरानी जगहों पर टू-लेन को फोर-लेन या सिक्स-लेन करने की बजाय ग्रीन अलाइनमेंट एक बेटर चॉयस है और ग्रीन अलाइनमेंट को भी एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवेज़ में कन्वर्ट करके हम नया नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, उस सुझाव को हमने स्वीकार किया है। हम उसी पर काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक लम्बी सूची दे रहा हूं, जो माननीय सदस्य यहां पर सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहते थे। उन सभी माननीय सदस्यों को आप इसी हफ्ते में बुलाकर चाय पर उनकी सारी समस्याओं को सुन लेना।

(इति)

(प्रश्न **243)**

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदय, आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार है और ऐसे में इसका असर हमारे देश पर पड़ना स्वाभाविक है।

महोदय, बेरोजगारी की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। लाखों की संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रुग्ण हो गए हैं और करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। जहानाबाद सहित पूरे बिहार में लगभग 17,500 उद्यम रुग्ण हो गए हैं और पूरे देश में साढ़े पाँच लाख से ज्यादा उद्यम रुग्ण हो गए हैं।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या रुग्ण ईकाइयों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना सरकार बना रही है**?**

(1200/MY/SNB)

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्मानीय स्पीकर महोदय, इसके लिए जो मैक्सिमम माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो बैंक का लोन है, वह डिफॉल्ट हुआ है। इसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स में उसको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता थी। इसमें रिजर्व बैंक ने एक स्पेशल कमेटी अप्वाइंट की है। उसमें बड़े परिमाण में करीब एक लाख इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किया है। उनमें जो अड़चनें आ रही हैं, राज्य सरकार का जो ड्यूज है, उसके बाद पीएसयूज का भी है। ऐसा होता है कि एमएसएमई को पेमेंट नहीं मिलती है। इसके लिए हमने एन्फ्रोस करने की शुरुआत की है कि उनको 45 दिन में पेमेंट मिले। समाधान पोर्टल के द्वारा जो सुझाव आता है कि 45 दिन में पेमेंट मिलनी चाहिए, इम इसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं।

महोदय, जो दो परसेंट की इंट्रेस्ट सबवेन्शन स्कीम है, उसको भी हम कुछ चेजेंज करके नई गाइडलाइन दे रहे हैं, ताकि इसका भी फायदा मिले। एक अच्छी बात हुई है कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में 20 एमएसएमई ने अपने कैपिटल मार्केट में जाकर अपने शेयर में पैसा मिलाया है, 10,000 करोड़ रुपये के लिए सिन्हा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर हम 10,000 करोड़ रुपये का प्रोविजन कर रहे हैं, ताकि एमएसएमई कैपिटल मार्केट में जो भी शेयर खड़ा करना चाहेगी, उसमें 10 परसेंट इक्विटी हम लेंगे। हमने उसको यह भी सपोर्ट दिया है।

महोदय, स्ट्रेस एसेट फंड में कहीं पावर की प्रॉब्लम है, कहीं लेबर की प्रॉब्लम है, कहीं मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। यह बात सही है कि एमएसएमई में स्ट्रेस की अवस्था है। सम्मानीय सदस्य ने जो चिंता बताई है, वह सही है। इसीलिए भारत सरकार की ओर से एमएसएमई और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्पेशल नीति बनाने के बारे में अध्ययन हो रहा है और जल्द से जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत हुई है। हम दोनों बैठकर एक अच्छी स्कीम तैयार करके कैबिनेट में लेकर जाएंगे। चूंकि यह सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। 29 परसेंट देश की ग्रोथ एमएसएमई से आती है, 49 परसेंट एक्सपोर्ट एमएसएमई से आता है और करीब 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई में क्रिएट किए गए हैं। इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें हम रूरल, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपकी जो चिंता है, उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए, उनको बैंक की तरफ से कैसे रिलीफ दिया जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

(pp.22-30)

महोदय, एक और अच्छी बात है कि हमने 85,000 करोड़ रुपये एमएसएमई को लोन दिया है। उसको कोलैटरल और गारंटी देने की जरूरत नहीं है। **हमने** 85,000 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस किया है। इंश्योरेंस का जो ट्रस्ट है, उसमें डेढ़ परसेंट भरकर गारंटी देने के लिए कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। मैंने आज ही उनको कहा कि यह लिमिट डेढ़ लाख करोड़ रुपये तक लेकर जाएंगे, ताकि डेढ़ लाख करोड़ रुपये इस देश में उसको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको कर्जा मिलेगा। दूसरी बात, जो दो करोड़ रुपये तक लिमिट है, जब दो करोड़ रुपये का कर्जा वापस करता है तो एक ही बार स्कीम दी गई थी। मैंने कहा कि जो वापस करता है, उसको और कर्जा देने के लिए स्कीम का फिर उपयोग कीजिए। हम उस रूल में भी सुधार कर रहे हैं और बाकी आपका जो सुझाव होगा, उसका भी उपयोग करेंगे।

(इति)

प्रश्न काल समाप्त

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1203 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के बाद मैं आपको कुछ व्यवस्थाएं दूंगा।

.....

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1204 बजे

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अर्जुन राम मेघवाल।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री किरेन रिजीजू की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दादरा और नागर हवेली वक्फ बोर्ड, सिलवासा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

1. (एक) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वक्फ बोर्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (3) (एक) नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI R.K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the REC Limited (formerly Rural Electrification Corporation Limited), New Delhi, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the REC Limited (formerly Rural Electrification Corporation Limited), New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the NHDC Limited, Bhopal, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the NHDC Limited, Bhopal, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2018-2019.

(ii) Annual Report of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Wind Energy, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Wind Energy, Chennai, for the year 2018-2019.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 179 of the Electricity Act, 2003:-

1. The Central Electricity Regulatory Commission (Cross Border Trade of Electricity) Regulations, 2019 published in Notification No. L-113/2/7/2015-PM/CERC in Gazette of India dated 14th May, 2019.

2. Notification No. L-1/153/2019-CERC published in Gazette of India dated 29th July, 2019, containing corrigendum to the Central Electricity Regulatory Commission (Fees and Charges of Regional Load Despatch Centre and other related matters) Regulations, 2019.
3. Notification No. L-1(3)/2009-CERC published in Gazette of India dated 29th July, 2019, containing corrigendum to the Notification No. L-1(3)/2009-CERC dated 9th January, 2019.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-Energy, Kapurthala, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Solar Energy Corporation of India, Gurugram, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Solar Energy Corporation of India, Gurugram, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Airports Authority of India (Ground Handling Services) Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. AAI/OPS/707/GHR-2018 in Gazette of India dated 24th September, 2019 under Section 43 of the Airports Authority of India Act, 1994, together with an explanatory note.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Authority of India, New Delhi, for the year 2018-2019.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (GENERAL (RETD.) V. K. SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956

1. S.O.2503(E) published in Gazette of India dated the 12th July, 2019, regarding fee notification for the Project of Delhi-Hapur Section of six lane from design Km. 0.000 to Km. 50.934 (Existing Chainage from Km. 0.000 to Km. 50.000) on NH-9 (Old NH-24) in the State of Uttar Pradesh on Hybrid Annuity Mode.
2. S.O.2504(E) published in Gazette of India dated the 12th July, 2019, regarding fee notification for the Project of Aligarh-Moradabad Section of two lane from design Km. 85.650 to Km. 232.020 (excluding the structure from Km. 108.264 to Km. 108.382 of NH-93 (New NH-509) in the State of Uttar Pradesh on EPC mode.
3. S.O.2505(E) published in Gazette of India dated the 12th July, 2019, regarding fee notification for the Project of Rewa-Katni-Jabalpur Section of four lane from design Km. 311.585 to Km. 360.468 and from Km. 379.465 to Km. 399.657 (existing Km. 311.000 to Km. 359.500 and Km.

378.500 to Km. 397.000) on NH-7 in the State of Madhya Pradesh on EPC basis.

4. S.O.2611(E) published in Gazette of India dated the 22nd July, 2019, regarding fee notification for the Project of Bedma-Dahikonga Section of two lane from design chainage Km. 179.400 to Km. 240.570 (existing chainage from Km. 180.000 to Km. 241.000) on NH-43 (New NH-30) in the State of Chattisgarh under NHDP-IV on EPC mode.
5. S.O.2612(E) published in Gazette of India dated the 22nd July, 2019, regarding fee notification for the Project of Dhamtari-Kanker Section of two lane from design chainage km. 81.500 to Km. 129.912 (existing chainage from Km. 81.500 to Km. 130.000) on NH-43 (New NH-30) in the State of Chattigarh under NHDP-IV on EPC mode.
6. S.O.2613(E) published in Gazette of India dated the 22nd July, 2019, regarding fee notification for the Project of Dahikonga-Jagdalpur Section of two lane from design chainage Km. 240.570 to Km. 297.470 (existing chainage from km. 241.000 to Km. 298.000) on NH-43 (New NH-30) in the State of Chattisgarh under NHDP-IV on EPC.
7. S.O.2741(E) published in Gazette of India dated the 31st July, 2019, regarding fee notification for the Project of Punjab/Haryana Border-Jind Section of four lane from design Km. 238.725 to Km. 307.000 (existing Km. 238.695 to Km. 307.000) on NH-71 (New NH-352) in the State of Haryana under NHDP-IVB on EPC mode.
8. S.O.2742(E) published in Gazette of India dated the 31st July, 2019, regarding fee notification for the Project of Dausa-Lalsot-Kathoon Section of two lane & four lane from design chainage from Km. 0.000 to Km. 83.453 on NH-11A in the State of Rajasthan under NHDP-IVA on Hybrid Annuity Mode.
9. S.O.2847(E) published in Gazette of India dated the 7th August, 2019, regarding fee notification for the Project of Agra Road and Ajmer Road Section of six lane from Km. 0.300 to Km. 46.700 design chainage (Jaipur Ring Road between Agra Road and Ajmer Road) on NH-148C in the State of Rajasthan on EPC Mode.
10. S.O.3020(E) published in Gazette of India dated the 22nd August, 2019, regarding fee notification for the Project of Jabalpur-Mandla-Chilpi Section

of two lane from design Km. 0.000 to Km. 21.850 (existing chainage Km. 477.600 of NH-7 to Km. 22.800 of NH-12A) (New NH-30) in the State of Madhya Pradesh under NHDP-IV (Package-01).

11. S.O.3021(E) published in Gazette of India dated the 22nd August, 2019, regarding fee notification for the Project of Ambala-Kaithal Section of four lane from Km. 0.000 to Km. 50.860 on NH-65 in the State of Haryana Under NHDP Phase-III on EPC mode (Package-I).
12. S.O.3022(E) published in Gazette of India dated the 22nd August, 2019, regarding fee notification for the Project of Kanaktora to Jharsugada Section fo four lane from 0.000 to Km. 68.000 on NH-200 in the State of Odisha on EPC.
13. S.O.3133(E) published in Gazette of India dated the 29th August, 2019, regarding fee notification for the project of Four lane of Wardha-Butibori Section from design chainage Km. 465.500 to Km. 524.690 (existing chainage Km. 85.374 to Km. 29.000) of NH-361 in the State of Maharashtra on Hybrid Annuity Mode.
14. S.O.3299(E) published in Gazette of India dated the 16th September, 2019, regarding fee notification for the Project of two laning with paved Shoulder of Rudhauli to Basti side of Ghaghra Bridge section from design Km. 65.870 to Km. 122.300 of NH-233 in the State of Uttar Pradesh under NHDP-IV on EPC mode.
15. S.O.3300(E) published in Gazette of India dated the 16th September, 2019, regarding fee notification for the Project of 4 laning of Ambala-Kaithal Section from design Km. 50.860 to Km. 95.418 (existing Km. 46.980 to Km. 88.135) of NH-65 in the State of Haryana under NHDP Phase-III (Package-II) on EPC mode.
16. S.O.3301(E) published in Gazette of India dated the 16th September, 2019, regarding fee notification for the Project of Four laning of Bijapur-Gulbarga-Homnabad section from design Km. 195.000 to Km. 415.010 of NH-218 (New NH-50) in the State of Karnataka under NHDP Phase-IV on EPC.
17. S.O.3302(E) published in Gazette of India dated the 16th September, 2019, regarding fee notification for the Project of Two laning of Bhopal-

Sanchi Section from design Km. 0.000 to Km. 53.775 of NH-86 in the State of Madhya Pradesh under NHDP-III on EPC mode.

18. S.O.3303(E) published in Gazette of India dated the 16th September, 2019, regarding fee notification for the Project of Four laning of Kullu-Manali Section from design Km. 272.000 to Km. 309.345 of NH-21 (New NH-3) in the State of Himachal Pradesh under NHDP Phase-IVB on EPC mode.
19. S.O.3433(E) published in Gazette of India dated the 23rd September, 2019, regarding fee notification for the Project of Four laning of Kota Darah Section from design chaiange Km. 256.550 to Km. 290.880 (New chainage Km. 263.160 to Km. 297.490) of NH-12 in the State of Rajasthan on EPC mode.
20. S.O.3606(E) published in Gazette of India dated the 4th October, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 354 (old NH 21)(Khemkaran Town to Amritsar Bypass Section) in the State of Punjab on EPC mode.
21. S.O.3745(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2019, regarding fee notification for the project of Two laning of Eepuripalem-Ongole Section from Km. 195.000 to Km. 254.500 (Design Chainage from Km. 184.910 to Km.242.784) of NH-214A (New NH-216) in the State of Andhra Pradesh under NHDP-IV on EPC mode.
22. S.O.3746(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2019, regarding fee notification for the project of Four laning of Yavatmal-Wardha Section from design chainage Km. 400.575 to Km. 465.500 of NH-361 in the State of Maharashtra on Hybrid Annuity Mode.
23. S.O.3747(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2019, regarding fee notification for the project of 4/6 laning of UP/Haryana Border – Yamunanagar-Saha-Barwala-Panchkula Section from Km. 119.022 to Km. 176.400 (existing Km. 118.754 to Km. 179.249) of NH-73 (new NH-7 & 344) in the State of Haryana on EPC mode.
24. S.O.3748(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2019, regarding fee notification for the project of Four laning of Rewa-Katni-Jabalpur Section from design Ch. 242.400 to Km. 311.585 (existing Ch.

Km. 242.600 to 311.000) of NH-7 (New NH-30) in the State of Madhya Pradesh under NHDP Phase-IV on EPC mode (Package-I).

25. S.O.3749(E) published in Gazette of India dated the 18th October, 2019, regarding fee notification for the project of Four laning of Raipur-Bilaspur Section from Design Chainage Km. 48.580 to Km. 126.525 (existing chainage Km. 45.860 to Km. 124.650) of NH-200 (New NH-130 & 49) in the State of Chhattisgarh under NHDP-IV on EPC mode.
26. S.O.3839(E) published in Gazette of India dated the 24th October, 2019, regarding fee notification for the project of Four laning of Borkhedi-Yerla-Maharashtra/Telengana Border Section from Km. 36.600 to Km. 174.750 of NH-7 in the State of Maharashtra on EPC.
27. S.O.3840(E) published in Gazette of India dated the 24th October, 2019, regarding fee notification for the Project of Four laning of Mahulia-Bahragora-JH/WB Border Section from existing Km. 277.500 to Km. 333.500 of NH-33 (New NH-18) and Bahragora-Kharagpur Section of NH-6 (New NH-49) from existing Km. 199.200 to Km. 13.587 in the State of Jharkhand on EPC mode.
28. S.O.3980(E) published in Gazette of India dated the 4th November, 2019, regarding fee notification for the Project of Two laning of Chhapra Gopalganj Section from design Km. 0.000 to design Km. 94.258 (existing chainage Km. 0.000 to Km. 93.500) of NH-85 in the State of Bihar Under NHDP-III on EPC.
29. S.O.3981(E) published in Gazette of India dated the 4th November, 2019, regarding fee notification for the Project of Four laning of Rewa-Katni-Jablapur Section from design Km. 399.657 to Km. 467.916 (existing Km. 397.000 to Km. 465.500) of NH-7 (New NH-30) in the State of Madhya Pradesh under NHDP Phase-IV (Package-IV) on EPC mode.

(2) A copy of the Highway Administration (Amendment) Rules, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.658(E) in Gazette of India dated 16th September, 2019 under sub-section (3) of Section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002.

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 3 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002:-

(i) S.O.3292(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding establishment of Highway Administration under sub-section (2) of Section 3 of the said Act.

1. S.O.3293(E) published in Gazette of India dated 16th September, 2019, regarding establishment of Highway Administration under sub-section (2) of Section 3 of the said Act.

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

   (एक) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (दो) केरल भूमि विकास निगम लिमिटेड, तिरूवनन्तपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

   (दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES (SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre (Indo German Tool Room), Aurangabad, for the year 2018-2019.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Agra, for the year 2018-2019.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Process Cum Product Development Centre), Meerut, for the year 2018-2019.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Indo German Tool Room), Ahmedabad, for the year 2018-2019.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre (Central Tool Room), Ludhiana, for the year 2018-2019.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Kolkata, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Central Tool Room and Training Centre), Kolkata, for the year 2018-2019.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Centre (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Centre (Central Institute of Hand Tools), Jalandhar, for the year 2018-2019.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Fragrance and Flavour Development Centre, Kannauj, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Fragrance and Flavour Development Centre, Kannauj, for the year 2018-2019.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Centre for the Development of Glass Industry), Firozabad, for the year 2018-2019.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Central Footwear Training Institute), Chennai, for the year 2018-2019.

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Technology Development Centre (Electronics Service and Training Centre), Nainital, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Technology Development Centre (Electronics Service and Training Centre), Nainital, for the year 2018-2019.

(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MSME-Tool Room (Indo-German Tool Room), Indore, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MSME-Tool Room (Indo-German Tool Room), Indore, for the year 2018-2019.

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coir Board, Kochi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coir Board, Kochi, for the year 2018-2019.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha: -

1. "In accordance with the provisions of rule 127of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd December, 2019 agreed without any amendment to the Special Protection Group (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 2019."
2. In accordance with the provisions of Rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd December, 2019 agreed without any amendment to the Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th November, 2019."

(1205/CP/RU)

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (2019-2020) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की "अनुदानों की मांगें" (2019-20) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) जल शक्ति मंत्रालय – पेयजल और स्वच्छता विभाग की "अनुदानों की मांगें" (2019-20) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILISERS
First Report

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilisers on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Fifty-fourth Report of the Committee (2018-19) on 'Pricing of Drugs with Special Reference to Drugs (Prices Control) Order, 2013' of the Ministry of Chemicals and Fertilisers (Department of Pharmaceuticals).

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
पहला से तीसरा प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की "अनुदानों की मांगें (2019-20)" संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) पंचायती राज मंत्रालय की "अनुदानों की मांगें (2019-20)" संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की "अनुदानों की मांगें (2019-20)" संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल, सब का काल।

श्री अधीर रंजन जी।

विशेष उल्लेख

1206 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मान्यवर, मैं इस सदन में हमारे गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस सदन में एक गम्भीर मुद्दा उठाना चाहता हूं। आपको शायद यह जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला स्थित करेनार में आईटीबीपी के एक कैंप में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ की आपसी लड़ाई में यह खबर मिली है कि फौज के एक जवान ने अपने साथी जवानों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इसमें 6 जवानों की मौत हो गई है और 2 गम्भीर रूप से घायल भी हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? इस सरकार को इसकी जानकारी जरूर होगी। यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के अंदर इस तरह की आपसी लड़ाई क्यों इतनी बढ़ जाती है। आप देखिए, नौसेना में यह नहीं होता, वायु सेना में यह नहीं होता, थल सेना में कम होता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज़ में दिन-पर-दिन इस तरह की घटनाओं में काफी इजाफा हो रहा है। यह हो सकता है कि उनको जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए था, जो उपयुक्त वातावरण उनको मिलना चाहिए था, वह आप नहीं दे पा रहे हैं। यह हो सकता है कि कुछ और खामियां हों, नहीं तो इस तरह की घटना क्यों घटेगी?

हर कैंप में, कम से कम हर रीजन में उन लोगों की मनोवैज्ञानिक सहायता करनी चाहिए। यह बड़ी दु:खद बात है कि जो जवान देश को बचाने के लिए अपना घर-द्वार छोड़ कर जा रहे हैं, उसके अंदर क्यों ऐसा तनाव पैदा होता है, क्यों ऐसी उत्तेजना पैदा होती है कि वे अपने साथियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं? इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए। …(व्यवधान) छोड़िए, उनको सुनने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, सुनने दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि नौसेना में ऐसा नहीं होता, वायु सेना में नहीं होता, तो आप उन्हीं लोगों से सलाह क्यों नहीं लेते कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के अंदर इस तरह की घटना न घटे? इसके लिए आप उन लोगों से सलाह-मशवरा कर सकते हैं। कम से कम इस तरह की आपसी लड़ाई में हमारे नौजवान फौजी मौत के शिकार न हों। इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए। …(व्यवधान) अमित शाह जी को कम से कम इस पर बोलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : सरकार तक आपकी बात गम्भीरता से पहुंच गई।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I am very sorry to state that 18 Indians employed in Sudan have died yesterday due to tanker blast.

I would request, through you, the hon. Minster of External Affairs to kindly see that all the bodies are brought here as quickly as possible and transported to their respective destinations. Specially six Tamilians have died in that blast. Moreover, proper compensation should be given by the Ministry of External Affairs as well as the Sudan Government. The Minister of External Affairs should quickly get into action to see that steps are taken in this regard.

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री टी.आर. बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, सूडान की घटना एक दर्दनाक घटना है। भारत के 18 लोग ब्लास्ट में मर गए हैं। उसमें बिहार के लोग हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार कम से कम अपनी तरफ से उनकी बॉडीज़ को यहां वापस मंगवा ले। जो भी मुआवजा विदेश में उनको मिलना चाहिए या विदेश मंत्रालय और सूडान में जो हमारी ऐम्बेसी है, उनके परिवार के लोगों को जो भी सहूलियत हो, वह उन्हें प्रदान करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1210/KKD/NK)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, price rise has become a serious issue in the whole of the country today. Normally, through the Government's Price Monitoring Cell, 22 essential commodities are monitored and distributed. These items are: rice, wheat, atta, gram dal, arhar dal, moog, dal, urad dal, masur dal, tea, salt, sugar, Vanaspati, groundnut oil, mustard oil, milk, palm oil, soya oil, sunflower oil, gur, potato, onion and tomato.

Sir, suddenly, the prices of onions followed by potato have gone to an extreme height. We are all concerned about it. What is the percentage of increase in price? I would just tell you that the average retail price of onions as on November, 2019 rose by 61.94 per cent over the month, and 243.64 per cent over the year.

So, I feel that the Government of India should send directions to all the State Governments to make active the Enforcement Department because Enforcement Department is a State subject. If ED becomes active in the State, de-hoarding can be made over there because hoarding is the main cause of price rise.

Sir, our Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee visits the market to do personal survey as to why prices are increasing of such items. This process of visit can be one of the major steps whereby Chief Ministers of the States can visit and know the real situation on the ground.

Also, the Price Monitoring Cell should be more active. They should rise to the occasion at proper time.

Sir, there is a proverb: "A stitch in time saves nine." आपको समय पर एक फोर का जरूरत होगा और असमय में नौ फोर की जरूरत हो पड़ेगी।

Price of onions has gone out of the limit and out of the hand. I would say that it is the failure of the Government of India and we all condemn it.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I had moved an Adjournment Motion today, and you did not allow it. But you said that you would allow me to raise this issue during *Zero Hour.* Hence I am raising this urgent and important issue, now.

Sir, it has been published in all the newspapers that the private telecom players have hiked the rates of prepaid services of mobile telephones by 40 per cent.

This unreasonable and steep tariff hike of prepaid services by the private mobile operators in the country has caused concern and added an additional burden on the customers, who had been utilising competitive rates till now.

This tariff hike is a contravention to the guarantee and commitment made to the customers by these companies, and it has almost ended the era of free and unlimited calling, which was a feature the telecom operators boasted about.

Sir, three telecom companies, namely, Vodafone-Idea, Bharti Airtel and Reliance Jio, who command the prepaid mobile services market, are clearly colluding to pass their inefficiencies and operating expenses on to the poor consumers. There is a cartel behind this, which is very unfortunate.

Sir, from time to time, we have been telling and it is our allegation that this Government is pro-corporates, pro-multinationals and pro-rich.

Sir, on the other hand, BSNL-MTNL is facing a severe financial crunch. The Government of India has not taken any step to revive the BSNL-MTNL. At the same time, this Government has always given permission to private telecom operators to hike the prices of mobile telephony. The Government has opened the door for them to do anything. This is against the interest of the common people of this country.

So, I would request the hon. Minister to take necessary steps so that this price hike is rolled back immediately. Thank you.

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव में एक धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ है, जहां माता एक हजार छह सौ फीट की ऊंचाई पर विराजमान हैं।

(1215/SK/RCP)

यहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और साथ के प्रदेशों के लाखों लोग नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे में आते हैं। ऐसे ही डोंगरगढ़ और बोरतलाव को जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय मार्ग महाराष्ट्र से जुड़ता है। यहां सड़क की लंबाई 15.30 किलोमीटर है। आरआरपी-2 योजना के तहत अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 744.63 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई थी, किंतु विभिन्न भौगोलिक स्थिति और भिन्न प्रकार की जमीन व मिट्टी होने के कारण तथा अत्यधिक यातायात दबाव के कारण पुनरीक्षित प्राक्कलन 1392.69 लाख रुपये दिनांक 22.09.2019 को डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास अभिकरण में लंबित है। केंद्रीय दल द्वारा मार्ग का निरीक्षण किया जा चुका है। सड़क निर्माण में विलंब हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार राशि स्वीकृत कर कार्य आरंभ किया जाए।

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much, hon. Speaker, Sir. Sarva Shiksha Abhiyan was introduced in 2000 to bridge the gap between the social category and the quality of education in response to the growing demand of quality education. The aim of Sarva Shiksha Abhiyan was to allow children to learn harness the human potential to its maximum, working on the principle of community solidarity, opportunity of free expression and communication.

जैसे डाइट था, वैसे ही सरकार ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन का कन्सेप्ट लाई थी। वहां एससी, एसटी और माइनोरिटी कन्सन्ट्रेटेट ब्लॉक्स को बाइट में लिया गया था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करीब 21 माइनोरिटी ब्लॉक्स और 15 एससी, एसटी ब्लॉक्स थे, लेकिन सरकार ने फाइनली आठ बाइट्स उत्तर प्रदेश में माइनोरिटी कन्सन्ट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में दिए हैं। इनमें मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, बुलंदशहर, सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ और बदायूं आदि हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में अमरोहा में एक बाइट है, पिछले पांच साल से हसनपुर तहसील में केंद्र सरकार से केवल एक किश्त गई है। यह सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की बात करती है, लेकिन अभी तक एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक भी किश्त उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दी है। दलित और अख्लियत के टीचर्स आराम से ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है।

मेरा अनुरोध है सरकार को निर्देशित किया जाए।

کنور دانش علی (امروہہ): جیسے ڈائٹ تھا، ویسے ہی سرکار بلاک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیچرس ایجوکیشن کا کنسیپٹ لائی تھی۔ وہاں ایس۔سی۔، ایس۔ٹی۔ اور مائنوریٹی کنسنٹریٹ کو بائٹ میں لیا گیا تھا۔ ایسے ہی اُتر پردیش میں قریباً 21 مائنوریٹی بلاکس اور 15 ایس۔سی۔ ایس۔ٹی۔ بلاکس تھے، لیکن سرکار نے فائنلی 8 بلاکس اُتر پردیش میں مائنوریٹی کنسٹریٹڈ ڈسٹرِکٹس میں دئیے ہیں۔ ان میں مرادآباد، بریلی، امروہہ، بلند شہر، سہارنپور، بارہ بنکی ، لکھنئو اور بدایوں وغیرہ ہیں۔

میرے پارلیمانی حلقہ امروہہ میں ایک بائٹ ہے۔ پچھلے 5 سال سے حسن پور تحصیل میں مرکزی سرکار سے صرف ایک قسط آئی ہے۔ یہ سرکار سب کا ساتھ، سب کا وِکاس سب کا وِشواس کی بات کرتی ہے، لیکن ابھی تک ایچ۔آر۔ڈی۔ منسٹری نے ایک بھی قسط اتر پردیش سرکار کو نہیں دی ہے۔ دلتوں اور اقلیتوں کے ٹیچرس آرام سے ٹرینِنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سرکار کو ہدایت دی جائیں۔

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Thank you Speaker *sahib*. Punjab has fought many battles for the country on many fronts. We need more respect and recognition. But, since September, till date, Punjab's share in GST, which amounts to Rs.6,200 crore, and Punjab's share in the Central taxes, which is almost Rs.1,000 crore, has not been given to Punjab. Punjab has 3.5 lakh employees and the monthly pay bill is Rs.2,000 crore and the monthly pension bill is Rs.950 crore. We are in a state of financial emergency because we are not getting our share from the Central Government. We do not have any funds for development. We are borrowing money to pay salaries.

I would request the Government to kindly release our share in GST and Central tax as soon as possible. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री जसबीस सिंह गिल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्पीड लिमिट 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने अक्सर देखा है कि गांवों से जो हाईवे गुजरते हैं, उन पर ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं। इन ब्रेकर्स पर न तो वाइट पट्टी होती है और न ही कोई साइन बोर्ड होता है। इस तरह से चलती हुई गाड़ी के सामने अचानक ब्रेकर आने से एक्सीडेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। गाड़ी में बैठी सवारियों को चोट भी लग सकती है।

(1220/MK/MMN)

ऐसा ही एक क्षेत्र मेरे चुरु के अंदर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसे ब्रेकर्स बनाए गए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए। साथ ही साथ जिस गांव के अंदर फोर लेन की रोड दी जाती है, वहां सर्विस लेन नहीं दी जाती है। मेरे क्षेत्र राजलदेसर और रतनगढ़ में एनएच-52 बना है, उसके अंदर फोर लेन तो बना दी गई है, लेकिन सर्विस लेन नहीं बनाई गई है। इससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरे क्षेत्र चुरु के अंदर आरओबी के साथ वीपीयू देने की प्लानिंग नहीं की गई। कंसल्टेंट की कमियों के कारण लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। हर गांव में जहां से हाइवे

गुजर रहा है, वहां पर एक व्हीकल अंडरपास जरूर बनना चाहिए, ताकि गांव वालों को सहूलियत मिले और हाइवे पर जो सवारियां चल रही हैं, उनको दिक्कतें न आएं।

माननीय अध्यक्ष: मैं सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि मैं बेल नहीं बजाना चाहता। सामने घड़ी है और आपका नाम भी है। आप उसको देखते रहें। केवल एक मिनट मिलेगा और एक्स्ट्रा केवल 15 सेंकेड।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भवनीपुर बुदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड में नई रेलवे लाइन बनाना अति आवश्यक है। इससे वहां के गरीबों के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कोंच से भेड़, जलौन, हद्रुख, कुठौंद और दिबियापुर तक नई रेलवे लाइन का कार्य अर्थ वर्क में प्रारंभ किया गया था। इस रेलवे के साथ साथ वर्ष 2016 के बजट में भिंड से लेकर लहार तथा कोंच और कोंच से लेकर राठ चरखारी महोबा तक रेल निर्माण का कार्य प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक उसमें काम नहीं किया गया है। मेरी केद्र सरकार से मांग है कि वर्ष 2020-2021 का जो बजट आ रहा है, उसमें इन दोनों लाइनों को शामिल करने का कष्ट करें, जिससे बुंदेलखंड के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले देश के हर राज्य में पंत प्रधान आवास योजना लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर जी का दिल से अभिनन्दन और धन्यवाद करना चाहूंगी। महाराष्ट्र में जितने भी गरीब और गरजू लोग हैं, उनको इस योजना से फायदा मिलेगा। आज जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, वे सभी भूमि का अतिक्रमण करके रहते हैं। वे 20-20 सालों से अपने-अपने गांवों में, शहरों में रहते हैं। आज उनका एक सपना है कि वर्ष 2022 तक हर व्यक्ति, जो जरूरतमंद है, उन्हें घर मिलना चाहिए। लेकिन, इसके लिए इतनी त्रुटियां निकाली जाती हैं, जैसे यदि किसी के पास परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ बोथ सिटीज का नहीं है या शहर का नहीं है तो उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अमरावती जिला के अंदर यवतमाठ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा ये सभी सब डिवीजन आते हैं और इनकी कुल जनसंख्या लगभ डेढ़ करोड़ है। डेढ़ करोड़ की जनसंख्या में केवल सवा दो लाख लोगों को घरकुल दिया गया है। पंत प्रधान आवास योजना के अंतर्गत केवल इतने लोग ही लाभार्थी हैं। लेकिन, जो एक करोड़ लोग बाकी हैं, उनके लिए इस योजना को कब तक पूरा करेंगे और कैसे करेंगे? मैं आपसे एक छोटा-सा अनुरोध करना चाहती हूं कि अमरावती के कार्पोरेशन में 65000 फार्म समिट हुए हैं और उनमें से केवल 6000 लोगों को घरकुल मिला है। अगर हम लोगों की संख्या और वोटरों की संख्या को देखते हैं तो यह एक लाख से ज्यादा है। मैं एक और बात कहना चाहती हूं। आपने टाइम के बारे में कहा है। मेरी टाइम पर ज्यादा नजर नहीं जाती है। सिटी में इस योजना के लिए ढाई लाख रुपये देते हैं और

इसी योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,38000 देते हैं जबकि वहां भी सीमेंट, लोखंड और मजदूर का भाव समान है। जब सब चीजें एक ही भाव की हैं तो मेरी विनती है कि आप सिटी में जो ढाई लाख रुपये दे रहे हैं, उतनी ही राशि ग्रामीण क्षेत्रों में भी घरकुल योजना के लिए दीजिए। मैं आपसे इतनी ही विनती करना चाहती हूं।

(1225/VR/RPS)

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Speaker Sir, through you I beg to draw the attention of this august House to the crisis which the Rajbanshi speaking people are going through.

Marginalized and fragmented, they are yet to have their own distinct identity to be recognized. They have a glorious folk tradition, which has already been eclipsed to a large extent because of the ups and downs of the cruel history. As a member of the said community, I feel very agonized at it. If that glorious tradition fades into total oblivion, it will be an enormous loss to mother India which is proud of its diversity with a rare kind of unity remaining at the core.

The demand for the recognition of our language is very much there and it will continue to remain. It is really very sad that this recognition is getting delayed mainly because of some undesirable controversies. Things have turned worse with the establishment of two different academies for the same language with two different names.

Meanwhile, our Government should take some measures so that we can protect the Rajbanshi culture and, at the same time, revive what has already been lost. The folk-drama of *Dotoradanga* is already extinct and *Kushan* based on Ramayana which was once immensely popular in North Bengal, is already on the verge of extinction.

Something needs to be done to revive them to their pristine glory. They are, in fact, the storehouses of basic human values without which no society can thrive. I hope our Government will attach due importance to the issue that I raise today and do something concrete as early as possible for the purpose. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. जयंत कुमार रॉय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to bring to attention of the hon. Minister of Textiles through you that Thiruvananthapuram is well-known for its handloom sector, including

the Balaramapuram centre popular for the production of traditional varieties of handloom with a contemporary style.

Unfortunately, the sector has suffered from unviability and lack of financial support, turning many establishments sick in the last few years and causing mass unemployment amongst weavers.

The Thiruvananthapuram District Industries Centre has made wonderful efforts to rejuvenate the ailing handloom sector by coordinating hundreds of weaver societies to employ the State's highest number of looms and generate fine cloth required for students under the Kerala Government's free school-uniform distribution plan introduced in 2016.

But despite significant handloom employment and good earnings, there is an uncertainty about the availability of young skilled weavers in handloom communities to carry the work forward in future, as most of them have understandably moved out to opt for alternative jobs for better prospects.

I, therefore, urge the Ministry to extend support to ensure sustainability of the revived sector by proposing an effective scheme for young weavers with immediate financial assistance and local benefits to inspire young weavers back to their traditional occupation. Thank you, Mr. Speaker.

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा, महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, जो 50 हजार साल पहले आसमान से तारा गिरने से वहां बनी है। लगभग दस लाख टन वजनी उल्का पिण्ड टकराने से यह झील बनी है। करीब 1.8 किलोमीटर डायामीटर की इस उल्कीय झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। इस झील के पानी पर आज भी देश-विदेश के कई साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे हैं। यह लेक कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका उल्लेख स्कन्द पुराण, पद्म पुराण और आइन-ए-अकबरी में भी है। लोनार झील को पर्यटन का 'ए-ग्रेड' केन्द्र सरकार से बीस साल पहले मिल चुका है, लेकिन उसके विकास के लिए कोई निधि केन्द्र सरकार से नहीं मिल रही है। आज 'ज़ीरो आवर' के माध्यम से, मैं संबंधित मंत्रियों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि लोनार झील पर बाहर से, परदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, वहां उनके आने-जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए। वहां उनके रहने के लिए भी अच्छी जगह बननी चाहिए। जो अपना भारत दर्शन कार्यक्रम बना है, उसमें लोनार झील का उल्लेख नहीं है, अगर उसमें लोनार झील का समावेश किया जाता है तो बाहर के पर्यटक भी देश में आ सकते हैं और लोनार झील देख सकते हैं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. जी. रणजीत रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री राजेश वर्मा ।

(1230/IND/SAN)

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): आपने जो मौका दिया है, उसके लिए हृदय से आभारी हूं। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की शारदा नदी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। शारदा नदी लखीमपुर और सीतापुर की सीमा के मध्य से निकली है। सीतापुर में नदी के किनारे बांध का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि लखीमपुर की सीमा में नदी पर बांध का निर्माण है। जब नदी में बाढ़ आती है, तब हमारे संसदीय क्षेत्र की तरफ बड़े पैमाने पर बाढ़ भी आती है और कटान भी होता है। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस तरफ बांध बन जाने की वजह से हमारे संसदीय क्षेत्र सीतापुर और संसदीय क्षेत्र धौरहरा का बहुत बड़ा भाग इससे लाभांवित होगा। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लखीमपुर की सीमा में बांध का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से सीतापुर की सीमा में भी नदी पर बांध का निर्माण कराया जाए, जिससे हम अपने क्षेत्र को बाढ़ से राहत दिला सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा को श्री राजेश वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष जी, राजस्थान में गुज्जरों को एमबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, जिनमें पांच जातियां शामिल की गई थीं। इसके लिए काफी लम्बे समय तक आरक्षण करना पड़ा, जिसमें 72 लोग शहीद भी हो गए थे। इस आंदोलन में राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश के गुज्जर समाज ने संघर्ष किया था, इसलिए यह केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के गुज्जर समाज के सम्मान का सवाल है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 1/11/2019 के पत्र संख्या – 16787-802 के माध्यम से इसमें मुस्लिम समाज की मरासी, मांगणियार, लंगा आदि दस जातियों को शामिल करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है और आयोग द्वारा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे के आदेश दिए गए हैं। जबकि पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर को सर्वे धीरे करने के चक्कर में कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि केंद्र सरकार एमबीसी को नौवीं सूची में डालने की कृपा करे और राज्य सरकार को इसमें दिशा निर्देश दे कि इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करे अन्यथा राजस्थान के साथ-साथ पूरे देश के गुज्जरों के समाज में आक्रोश पैदा हो जाएगा। गुज्जरों में दोबारा आंदोलन करने की कोशिश न हो

महोदय, इसी प्रकार राजस्थान सरकार ने देव नारायण स्कूटी योजना का नाम बदल कर काली देवी भील योजना कर दिया है। इसमें लड़कियों को स्कूटी दी जाती थी। इस बोर्ड का बजट लगभग पांच करोड़ रुपये था। अब इस योजना के बजट में कमी भी कर दी गई है और लड़कियों को स्कूटी भी नहीं दी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को इस विषय में निर्देश दे।

माननीय अध्यक्ष : श्री मलूक नागर को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निसिथ प्रामाणिक (कूचबिहार): आदरणीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी कुछ ऐसी घटना घटती है, जिसे देखकर हम कभी मौन नहीं बैठ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे संसदीय क्षेत्र कूचबिहार में हमारे देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले बीएसएफ जवान को गाय तस्करों के हाथों निगृहित होना पड़ा। इससे पहले 20 अगस्त, 2019 को हमारे भारत माँ के सपूत बीएसएफ जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी।

*Hon'ble Speaker Sir, this is not only the issue of Cooch Behar district or North Bengal. In almost all the districts adjoining Bangladesh, such incidents are rampant and a gang is operating under the auspices of the aunt-nephew government. The police and administration are hand-in-glove with the anti-social elements sponsored by the government. Illegal activities are carried out by the goons. We worship cows. But cows are being smuggled into Bangladesh illegally. Those pious souls, who have sacrificed their lives for the country, who have devoted their lives to the development of the nation – we are losing them untimely. Those who are whole-heartedly devoted to the safety and security of India, who put their own lives at stake, are being killed by the goons of the Trinamool Congress and the police administration. Thus I request you to take appropriate measures in this regard. …(*Interruptions*)

SHRIMATI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, this is not allowed. …(*Interruptions*)

श्री निसिथ प्रामाणिक (कूचबिहार): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Hon. Speaker, Sir, it is everybody's dream to build a house. It is happening and it happened in the name of Indira Awas Yojana during the Congress period and later, it became Prime Minister Awas Yojana.

This PMAY is doing extremely well, as far as Tamil Nadu is concerned, in the rural areas, but in the urban areas, it is being done in the name of Housing for All Scheme. Anticipating that the funds will come from the Government, several people, who migrated from the rural area to the urban area, have constructed the houses on their own.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

* Original in Bengali

(1235/RBN/RAJ)

But till now the funds have not been released under this scheme for the people who live in the urban areas, especially in the municipalities and major panchayats.

So, I request the Union Government to allot funds from the Ministry of Finance as well as from the Ministry of Housing and Urban Affairs to the people living in the urban areas who have already built houses anticipating that the funds will come from the Government. As it is, they have taken loans and they are paying the interest by taking another loan. As you know, owning a home is a dream of everybody. But in Tamil Nadu this scheme is not functional for the past two years.

So, I request, through you, the Government to allot funds for the 'Housing for All' scheme in the urban areas. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे लोक महत्व के विषय के बारे में बोलने का मौका दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र अररिया है। वहां पर नेपाल और बंगाल की सीमा है। हमारे यहां बहुत बाढ़ आती है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ऐसी तबाही मचाती है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और उसके साथ-साथ जान-माल की भी क्षति होती है। इस बार भी बाढ़ के कारण 15 लोगों की मृत्यु हुई है। हर साल बाढ़ आती है। हम लोग सरकार के माध्यम से सड़क और पुल बनाते हैं, लेकिन बाढ़ आती है और उसे बहा कर ले जाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी से विनती करूंगा कि यह किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। वहां वर्ष 2013 में महानंदा बेसिन परियोजना की शुरुआत की गई थी। हमारे यहां बकरा, परमान, नूना, कनकई, सुरसर, भुलवा ऐसी अनेक नदियां हैं। सरकार ने महानंदा बेसिन के नाम से एक परियोजना चलाई थी। चार फेज में सभी नदियों के तटबंध का काम पूरा होना था, लेकिन अभी तक एक फेज का काम पूरा हुआ है। अगर चारों फेज का काम पूरा हो जाए, नदियों का तटबंध बना दिया जाए, तो उससे किसानों की भलाई होगी और हम लोग जो विकास का काम करते हैं, सड़क और पुल बनाते हैं, वे भी सुरक्षित रहेंगे एवं जान-माल की भी क्षति नहीं होगी।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013 में जो महानंदा बेसिन परियोजना का काम एक फेज में हुआ था, उसके दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का काम जल्द पूरा किया जाए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हमें सरकार से काफी उम्मीद है। हमारे प्रधान मंत्री जी हर क्षेत्र में विकास का काम करते हैं। जल्द से जल्द इसमें राशि का आबंटन किया जाए और सभी नदियों का तटबंध बनाया जाए ताकि अररिया, पूर्णिया, शीतलगंज, कटिहार जैसे इलाके बाढ़ से सुरक्षित रह सकें।

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी (मल्काजगिरी): अध्यक्ष महोदय, यह समस्या तेलंगाना राज्य, मल्काजगिरी, लोक सभा क्षेत्र, जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड से संबंधित है। बीस साल पहले जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड 350 एकड़ में बना था, तब यह हैदराबाद शहर से बाहर था। बीस सालों में हैदराबाद बढ़ते-बढ़ते जवाहर नगर तक आ चुका है। इसलिए हैदराबाद के 50 लाख लोग अपना कचरा जवाहर नगर डम्पिंग यार्ड में डाल रहे हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपैलिटी को हैदराबाद के कोने-कोने में छोटे-छोटे डम्पिंग यार्ड बनाने के लिए डायरैक्शन दिया है। मगर, आज तक वह काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं एनवायर्नमेंट मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि इसे रिव्यू करना है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश देने के बाद भी जीएचएमसी छोटे-छोटे डम्पिंग यार्ड्स नहीं बना रही है, जिसके कारण वहां पर 14 लेक्स पॉल्यूट हो गए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया, सड़क ऐक्सिडेंट्स में मरे हुए जानवरों की लाशें भी डम्पिंग यार्ड में डाला जा रहा है और जब बारिश आती है तो उसका पानी आजू-बाजू की लेक्स में जाने के कारण, लेक्स खराब हो गई। इसलिए आप एनवायर्नमेंट मिनिस्टर को उसे रिव्यू करने का आदेश दीजिए।

श्री मलूक नागर (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मेरी बिजनौर लोक सभा क्षेत्र देश में अजीब तरह की है, जिसमें तीन कमिशनरीज और तीन जिले पड़ते हैं, इसलिए मुझे तीनों जिलों की बात करनी पड़ती है।

माननीय अध्यक्ष : पर, आपको बोलने के लिए एक्सट्रा मिनट नहीं मिलेंगे।

(1240/VB/SM)

श्री मलूक नागर(बिजनौर): महोदय, मेरठ जिले में मवाना से भद्वरकाली तक सड़क बहुत ही खराब है और बहुत छोटी है। उस पर लाखों लोगों का आवागमन होता है, इसलिए उस सड़क का चौड़ीकरण और रिपेयरिंग हो।

बिजनौर जिले में चाँदपुर से बास्ठा तक सड़क का चौड़ीकरण और रिपेरिंग का काम हो। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक जगह है, वहाँ गंगा पर एक पुल बन रहा है, जिसका काम कभी रुक जाता है, कभी चालू हो जाता है। अगर इस पुल का काम जल्दी पूरा हो जाए, तो लाखों लोगों के लिए दूरी में कमी, ट्रैफिक की कमी, तेल कंजम्पशन में कमी से फायदा होगा।

मुज़फ्फरनगर में सिकरैड़ा-रजवाहे की पटरी है, उसकी रिपेयरिंग और चौड़ीकरण की भी जरूरत है। इससे लाखों किसानों को फायदा हो सकता है।

इसलिए मेरठ, मुज़फ्फरनगर और बिजनौर जिलों में जो जनहित के काम हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा, उनको कराने की कृपा करें।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Speaker Sir. I would like to draw the attention of the House and the Government through you to the unfortunate incident of the withdrawal of the private insurance companies from the crop insurance sector despite making reasonable profits. Sir, the reason cited is the loss due to 100 per cent insurance payouts due to flood and other natural calamities during the year.

This is an unfortunate decision as they have defeated the very purpose of the crop insurance supporting the weakest of the population, the rural poor farmers who are left with no means to fund for themselves.

The companies have done so when, according to the annual report of Insurance Regulatory Development Authority of India, Rs.11,905 crore was collected by 11 private sector insurers as premium. But they faced insurance claim of only Rs.8,831 crore, clocking a profit of roughly Rs.3,000 crore. In the same financial year, the State-owned insurers incurred a loss of Rs.4,805 crore. The Comptroller and Auditor General of India in its report has been pointing out the same issue of this sector.

So, a mechanism has to be developed to compensate the farmers in the event of loss due to any reason – crop failure, due to bad weather events, pests or any other reason and, more so, due to adverse market conditions. All this would need Government's will and a vision to ensure the income and employment security.

Sir, I strongly suggest that the Government must urgently intervene to ensure that the farmers are, in no way, affected by the mechanism of the insurance companies who are out to reek in profit and make the farmers suffer.

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बैन्नी बेहनन द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

महाबली सिंह (काराकाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को इस सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: आपको तो मैं हमेशा मौका देता हूँ।

महाबली सिंह (काराकाट): वर्ष 1962 में बिहार के सोन नदी में इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ था। इस बैराज के निर्माण से दक्षिण बिहार के आठ जिले औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना के लाखों एकड़ भूमि में उस बैराज से सिंचाई होती थी। लेकिन करीब 55 साल बीत गये हैं और अभी तक उस बैराज की सफाई नहीं हो पाई है। सोन नदी में बाढ़ आने के कारण पहाड़ी मिट्टी और गाद के कारण पूरा बैराज भर गया है। उसमें जल के संचयन की क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए मैं आप के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस बैराज में जो मिट्टी और गाद जमा हैं, उनकी सफाई कराई जाए, ताकि दक्षिण बिहार के आठ जिलों के लोगों, जिनको सूखे का सामना करना पड़ता है, को राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष: ये बिहार के असली सांसद हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री महाबली सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट – उपस्थित नहीं।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir. There is a serious concern over the violation of privacy in the recent Hyderabad rape case. We all agree that what happened in Hyderabad last Wednesday night was a brutal and uncivilised act. We have also agreed that a strong and immediate message needs to be sent out by the police and the Government that this type of incidents against our women will not be tolerated and that justice should be swift, severe and immediate.

But, today, Sir, I would like to focus on what happened after the incident and what was reported in the Media. I would like to bring to the notice of everyone here, through you, that the right to privacy of the victim and the family was blatantly violated in this case. You may recall that during the Nirbhaya case, privacy was maintained as far as the identity of the victim and that of her family was concerned, which was very commendable. But that has not been maintained this time. The photograph of the victim is being shown and the name of the victim is being revealed.

I urge the hon. Minister for Information and Broadcasting to take the necessary action to avoid similar incidents in the future. At the end of the day, the privacy and dignity of the victim and the family are paramount and should never be compromised.

(1245/SPR/MM)

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Hon. Member, Shri Baalu had already raised the issue of tragic incident in Sudan. In my constituency, one Ramakrishnan, son of Shri Ramalingam lost his life in the said tragic incident. He lived in the Nagapattinam Taluk and the Thirumurugan Panchayat Union. He was from a very poor family. He is the breadwinner of his family. Hence, I urge upon the Union Ministry to take necessary action for bringing his body back and hand over the same to his family. I would also request the Government to provide compensation of at least Rs.25 lakh to his family.

DR. JAYAKUMAR K (TIRUVALLUR): Hon. Sir, thank you for the opportunity. In Coimbatore district, in a place called Mettupalayam, 17 people died in a wall collapse due to heavy rains. This wall of stone was constructed at a height of 20 feet. It is a very dangerous wall over there. It was constructed for the purpose of dividing the people. On the one side, the Scheduled Castes people were living.

The people who died due to the collapse of wall were all from the Scheduled Castes families. This is actually called an `untouchability wall'. Despite protesting, no compensation has been paid by the person who has built the wall. I do not think any police action has been taken. On the other hand, police action is being taken against those families who were sleeping over there, and who protested against the collapse of the wall.

I would request you, the hon. Speaker, to kindly advise the Tamil Nadu Government and its police force to take necessary action and to provide adequate compensation for these poor people living there.

I would also request the National Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to kindly send a team to investigate the case.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें। जो माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकते हैं, वही बोलने के लिए खड़े हों। जिनको एक मिनट से ज्यादा बोलने का समय चाहिए, वे अगले हफ्ते तक के लिए अपनी बात रखने का इंतजार करें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा (रोहतक): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, पूरे विश्व की भांति हमारा देश भी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी मेहनत से देश आज डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन डिजिटल बैंकिंग में बहुत धोखाधड़ी हो रही है। डिफरेंट ऐप्स के ज़रिए, जिनमें पेटीएम, एटीएम, फोन-पे, गूगल-पे, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और केवाईसी को अपडेट करने के बहाने से रोज़ाना गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वे इतना समय भी नहीं देते हैं कि जिस ऐप से पैसे निकल रहे हैं, उसको वह डिलीट कर सके। इतना जबरदस्त धोखा चल रहा है। अगर आप पुलिस को फोन करते हैं तो आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से बिलकुल कोई एक्शन नहीं होता है। अभी मंत्री जी यहां बैठे थे, जो चले गए हैं। अध्यक्ष जी, अगर आप रिकार्ड मंगाएंगे और देखेंगे कि कितनी धोखाधड़ी लोगों के साथ हो रही है। पिछले छ: महीने का रिकार्ड आप मंगवा लें, किस तरह से लोग लुट रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। पुलिस कहती है, मैं आपको दो दिन पहले का उदाहरण बताना चाहता हूं, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला के साथ धोखा हुआ और उसने जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस कहती है कि उस नंबर को ब्लॉक कर दो। अध्यक्ष जी, यह मसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि यह प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन इसमें किस तरह से लूट चल रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सरकार को निर्देश दें कि वह इस पर ध्यान दे। धन्यवाद।

(1250/SJN/UB)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। अरविन्द शर्मा जी, ने जो विषय उठाया है, मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसके लिए राज्यों को गाइडलाइंस देनी चाहिए। कई देशों में कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। राज्य पुलिस को इस पर एक्शन प्लान करना चाहिए।

…(व्यवधान)

SHRIMATI MALA ROY (KOLKATA DAKSHIN): Sir, Cyclone Bulbul has recently caused severe destruction in West Bengal. The Cyclone has affected the lives of lakhs of people in East Medinipur and North and South 24 Parganas. Over 14 lakh hectares of agricultural land has been destroyed. More than five lakh houses and six thousand electric poles have been damaged. Many people have been injured and some have also lost their lives. The total loss incurred by the State Government so far is nearly Rs. 24,000 crore which is expected to rise to nearly Rs. 50,000 crore. A detailed estimate was given to the team sent by the Central Government which had visited the affected districts to assess the extent of the impact. However, no assistance has been given from the Centre yet despite the assurance given by the hon. Prime Minister. The funds of the State Government are being used to provide relief and rehabilitation. Six lakh kids have been trained with the help of civic volunteers and self-help groups to help distressed families. We request the Central Government to release the funds at the earliest to protect the lives and livelihood of our people.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। महोदय, बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है और भारत सरकर की सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम बीएसएनएल के माध्यम से होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे महाराष्ट्र में बीएसएनएल पिछले हफ्ते से वेंटिलेटर के ऊपर चला गया है। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि दो दिनों से महाराष्ट्र में बीएसएनएल के एक हजार बीटीएस टावर्स बिजली का भुगतान न कर पाने की वजह से बंद हो गए हैं। बीएसएनएल टावर्स बंद होने के बाद सभी काम बंद हो गए हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, कनेक्टिविटी तो छोड़िए, सरकार की जो योजनाएं हैं, वह भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार से इसमें हस्तक्षेप करें और जो टेलिकॉम मिनिस्टर और बीएसएनएल के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उनको बुलाकर इसके ऊपर हल निकालने का काम किया जाए। आप महाराष्ट्र के साथ पूरे देश के लोगों को राहत देने की व्यवस्था करें।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, I stand here before this House to raise an issue of great importance in Kerala which is promoted as number one State in the country. The results and the facts are completely

contrary. A picture of Madhu, a tribal, who was beaten to death for stealing rice to satisfy his hunger last year itself freshens my mind and, recently, a mother called Sridevi along with her six children, was found eating mud because there was no food available and that happened in Thiruvananthapuram, the State's Capital. Now, the fact is that when the State volunteers appeared and watched their pitiable condition, they removed the children from their mother for institutional care. Now, removing children from the mother is not an answer to this problem. The problem is that the Adivasis, Dalits and the poor of the State are suffering, while Communist Party leaders are enjoying themselves travelling around the world with their families, but people are not cared for. Under these circumstances, I want the intervention of this House and the Central Government so that the mother and the children are brought together and they are able to be looked after.

माननीय अध्यश्र : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप इधर आ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप और इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इजाजत दे रहा हूं।

…(व्यवधान)

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आया था। मैंने सोचा कि वजन बढ़ा लूं, तो मैं अलग से दिखूंगा, लेकिन अब मैं खंभा पीड़ित हो गया हूं। मैंने यह सोचा था कि मैं सबसे अलग दिखूंगा, लेकिन अब मैं खंभा पीड़ित हो गया हूं, तो आप मेरा निराकरण कीजिए।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को सरकार ने निर्देश दिया था कि गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को अपने यहां निशुल्क एडमिशन देकर, उनकी 8वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था करें।

(1255/GG/SNT)

इसके एवज में सरकार प्रति विद्यार्थी के मान से निजी स्कूल संचालकों को किश्त का भुगतान करती है।

महोदय, योजना के शुरुआती वर्ष में शासन की इस महत्ती योजना के चलते कई गरीब परिवारों के बच्चों को देश के जाने-माने व नामचीन स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला।

यदि सरकार की यह योजना न होती तो गरीब परिवारों के बच्चों का इन स्कूलों में पढ़ने का सपना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि कई निजी स्कूलों की एक-एक माह की भारी-भरकम फीस कई गरीब परिवारों की पूरे वर्ष भर की कमाई से भी अधिक थी। लेकिन इस वर्ष योजना के तहत निजी स्कूलों में आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौवीं कक्षा में पहुंचते ही कई विद्यार्थियों को अपने स्कूल छोड़ने पड़ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बच्चे आरटीई के दायरे से बाहर हो गए हैं और अब ये निजी स्कूल इनसे अपने तय मापदंड के अनुसार फीस वसूलेंगे। इस वजह से कई योग्य विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में ही अटक जाएगी।

इस संदर्भ में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस योजना या इसी तरह की अन्य योजना के माध्यम से इन विद्यार्थियों की कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। जिससे इन गरीब विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से लगातार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखण्ड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनको जनरल कैटेगरी के कैंडीडेट्स से ज्यादा कट-ऑफ पर नंबर लाने पर सिलेक्शन हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति में सामान्य वर्ग का कट-ऑफ 86 प्रतिशत था और ओबीसी का कटऑफ 99 प्रतिशत था। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा, 2013 में ओबीसी कैटेगरी का कट-ऑफ 381 और जनरल कैटेगरी का कट-ऑफ 350 रहा था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब-इंस्पेक्टर के लिए बनी मेरिट लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 95.53 प्रतिशत रहा, जबकि जनरल कैटेगरी का कट-ऑफ 94.59 पर्सेंट रहा। मध्य प्रदेश में टैक्सेशन असिस्टेंट की परीक्षा में भी ओबीसी का कटऑफ जनरल से ऊपर रहा। दिल्ली सरकार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एससी कैंडिडेट की कट-ऑफ 85.45 पर्सेंट और जनरल कैटेगरी का कट-ऑफ उससे काफी कम 80.96 पर्सेंट रहा है।

महोदय, चूंकि वैधानिक प्रावधान यह है कि आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अगर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट से ज्यादा नंबर पाता है तो उसे जनरल सीट पर नौकरी दी जाएगी, न कि आरक्षित सीट पर नौकरी दी जाएगी। मगर ऐसा होता नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसमे एक कंडीशन रखी है कि अगर उसमें आरक्षित वर्ग के कैंडीडेट ने उम्र सीमा का या किसी प्रकार की कम फीस का कोई लाभ न उठाया हो। लेकिन आर्थिक सामाजिक रूप से ओबीसी और एससी के कैंडीडेट इतने पिछड़े हुए हैं कि इन छूटों का वे लाभ लेते ही हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आरक्षित वर्गों के कैंडीडेट्स को समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए यह तय किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में अगर ये सामान्य वर्ग के बराबर या उनसे ज्यादा नंबर लाते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी की सीट पर ही नौकरी दी जाए। धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा एवं श्री देवजी एम.पटेल को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे माननीय प्रधान मंत्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती

हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र गोवर्धन में श्री गिरीराज पर्वत है। भगवान श्रीकृष्ण के जीवनकाल की बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जो विराजमान है, आज भी गिरिराज पर्वत और ब्रज का रज है। जहां पर लोग 21 किलोमीटर का परिक्रमा करते हैं। विश्व से कई लोग यहां पर परिक्रमा करने आते हैं। कम से कम पांच से दस करोड़ लोग यहां पर आते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बायीं हाथ की अंगुली से गोवर्धन को उठा कर ब्रजवासियों को इंद्र से बचाया था। आज उसी गोवर्धन की सुरक्षा और विकास के लिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ। कई सरकारें आई गईं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि हमारी सरकार डेफिनेटली यह बात करेगी। आज से बहुत साल पहले यह जगह बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, लेकिन आज वैसा माहौल नहीं है। हम पुराने उस माहौल को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन आज जितने भी श्रद्धालु यहां पर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि परिक्रमा मार्ग पर बहुत अच्छी तरह से शौचालय होने चाहिए। वहां पर कूड़ा-करकट नहीं होना चाहिए। राधाकुंड और कुसुमसरोवर में आचमन करने के बाद इस बार कई लोग बीमार भी हो गए हैं।

(1300/KN/RK)

मैं चाहती हूँ कि गोवर्धन के विकास के लिए अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट होना जरूरी है। राजस्थान सरकार ने तो अभी तक अपने क्षेत्र में आने वाले गिरिराज पर्वत का कोई विकास नहीं किया है। सरकार और विभागों के बीच विशेष अनुमतियां लेने के लिए वर्षों लग जाते हैं और कई सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। गोवर्धन के संपूर्ण विकास के लिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि गोवर्धन की लोकेशन दो राज्यों- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होने के कारण केन्द्र सरकार को पहल कर श्री गोवर्धन विकास न्यास का गठन कर श्री गोवर्धन जी को तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तरह सुंदर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री गोपाल शेट्टी और श्रीमती रेखा वर्मा को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जीएसटी की वजह से केन्द्र सरकार की तरफ अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर का 41 करोड़ रुपये बकाया है, उसकी वजह से जो मेरे क्षेत्र के कार्य हैं, उनमें देरी हो रही है। आपका एवं सरकार का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। जो वेलफेयर के कार्य हैं- बुढ़ापा पेंशन, अंगहीन पेंशन, विधवा पेंशन वे नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा सैलरी नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट के 2200 करोड़ रुपये...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह विषय पहले आ गया। आप थोड़ा लेट हो गए। उन्होंने उठा दिया है।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र में आदर्श बैंक का एक घोटाला हुआ, जो लगभग 14,000 करोड़ रुपये का

बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें गरीब, किसानों का पैसा फंसा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, उसके जो भी मालिक हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मालिकों ने जहाँ भी पैसा इनवेस्ट किया है, जिन रिश्तेदारों को पैसा दिया है, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। उन्होंने जहां भी पैसा इनवेस्ट किया है, वह पैसा वसूल किया जाए, चाहे उनकी प्रॉपर्टी बेची जाए ताकि गरीबों का पैसा मिलें। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद सादिक।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। वहां पर सब्जी वाले ने अपना पेट काट कर, किसानों ने अपना पेट काट कर पैसा जमा किया है, उनके घर पर आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो ये बड़े-बड़े सेठ बन कर बैठ गए हैं और इन्होंने जो पैसा अपने रिश्तदारों के यहां लगाया है, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह सारा पैसा जनता का है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, राज्य सरकार कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार इलैक्शन के समय में उनको बचाने के लिए लगी हुई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहां से हमें कुछ करना पड़ेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

*SHRI MOHAMMAD SADIQUE (FARIDKOT):I thank you, Hon'ble Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on a matter of urgent importance.

Sir, in my constituency, a project is pending since long. A survey work has been completed for laying of Railway track from Moga to Kotkapura. However, Sir, due to pressure, from Pubjab's transport mafia, the previous government of Punjab literally threw the survey report in dustbin and no action was taken.

Sir, I urge upon the Hon.ble Railway Minister to kindly look into the matter. He has made promises to many members and given assurances regarding many projects. But, Sir, when I raise a demand, it is not fulfilled. This discrimination should not be done. The survey work for laying of the railway track has already been completed. In 2017, this project was shelved.

Hon'ble Speaker Sir, Punjab is a border state.

माननीय अध्यक्ष : Shrimati Sangeeta Azad.

SHRI MOHAMMAD SADIQUE (FARIDKOT): Sir, you are kind to everyone. Kindly listen to me too, Punjab is a border state. During the struggle for independence, Punjab has been at the forefront. We have provided food grains for the entire country. Our contribution is second to none and the entire

* Original in Punjabi

country knows this. Under the able stewardship of our Chief Minister Captain Amarinder Singh, Punjab is attaining new heights. So, I urge upon the Hon'ble Railway Minister to complete this project of laying railway track between Moga and Kotkapura so that a train can be started between the two stations and the people of the area can avail this benefit.

Thank you.

(1305/CS/PS)

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं केन्द्र पुरोनिधानित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना की ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 8,584 आच्छादित मदरसों में 25,500 शिक्षक कार्यरत हैं, जो अपने कार्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए मदरसों में पढ़ने वाले समाज के सबसे गरीब और पिछड़े बच्चों को शिक्षित कर सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं।

महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन आधुनिक शिक्षकों को कई वर्षों से केन्द्रांश मानदेय नहीं मिल रहा है। विशेषकर आजमगढ़ जनपद के सैकड़ों शिक्षकों को 48 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है, जिससे इन शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1306 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/RV/RC)

1404 बजे

लोक सभा चौदह बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती रमा देवी पीठासीन हुईं)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को रखने की कोशिश करें।

Re: Need to strengthen safety measures for women in trains and give preferential treatment to women passengers in railway ticket counters in Mumbai

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर):

Re: Need to operationalise CGHS dispensary at Silchar, Assam

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): 33 Postal dispensaries located at different places of the country merged with CGHS vide Ministry of Health letter no. S-11011/01/2016/CGHS-III dated 25th January 2019 and directed CGHS to start their functioning w.e.f. 1.4.2019. In Assam there were two P&T dispensaries, one at Dibrugarh and other at Silchar and were merged with CGHS. In Dibrugarh, CGHS dispensary started functioning whereas at Silchar, it is yet to start functioning.

(ends)

Re: Need to bestow more powers to Tripura Tribal Area Autonomous District Council

श्री रेबती त्रीपुरा (त्रिपुरा पूर्व):

Re: Need to install bronze statues of freedom fighters in Shahjahanpur parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर):

Re: Need to repair Jaya Prabha Setu road in Maharajganj parliamentary constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज):

Re: Need to provide life insurance cover to farmers under Kisan Credit Card Scheme

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़):

Re: Promotion of Sanskrit language in the country

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा):

Re: Need to provide water to Bharatpur parliamentary constituency, Rajasthan for drinking and irrigation purposes as per Yamuna pact.

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर):

Re: Need to review the location of proposed bye-pass connecting NH96 to NH231 in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):

Re: Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Morbi in Rajkot parliamentary constituency, Gujarat

SHRI MOHANBHAI KALYANJIBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): There is a need to set up a Kendriya Vidyalaya in Morbi in Rajkot parliamentary constituency, Gujarat.

(ends)

Re: Problems of contract workers

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Surveys by different organizations have found that workers are exploited in factories and industries. The minimum wage rate is not followed in such factories, the contractors and employers cut down wages/salaries, make them work for longer hours, pregnant ladies are terminated from their jobs, harassment of workers through unpaid overtime and incidence of child labour is also found.

According to a Literature Review Report by International Labour Organization, 2017 the contract workers are frequently terminated without any formal process, lack of proper structured contracts and proof of employment, underpayment and delayed payment of wages and absence of social security measures. The problem of underpayment was found in 82% of the enterprises covered.

Hence, I urge the House to consider this as an issue of utmost priority.

(ends)

Re: Need to run link express train from Khajuraho to Delhi

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):

Re: Need to ban sale of junk food in school premises

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी):

Re: Setting up of National Investment and Manufacturing Zone in Palakkad district of Kerala

SHRIMATI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): It was decided by the Government to acquire 470 acres of land at Kallingalpadam, Pathalampadam, Marygiri, Valluvechapara in Kannabra Village at Alathur Taluk in Palakkad District, Kerala for National Investment and Manufacturing Zone under Coimbatore — Kochi Industrial Corridor, and a sum of Rs. 2,000 crore was also allocated for this purpose. A Gazette notification had been issued in the month of July 2017 for acquiring around 320 acres of land at said places. A study report on Sun heat was also done and the report is with the Government. However, after all these developments, no further action has been taken in this regard. Therefore, I urge upon the government to speed up acquisition of land, fix and give one time compensation to land owners as per 2013 Act, land acquisition to be done without classification and rehabilitate the land owners whose land will be acquired for the said industrial corridor.

(ends)

Re: Need to establish Eklavya Adarsh Awasiya Vidyalaya in each block of Bastar parliamentary constituency, Chhatisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर):

Re: Need to resolve the long pending issue of patta land of farmers in Kallakurichi Parliamentary constituency, Tamil Nadu

SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): There is a need to resolve the long pending matter relating to allocating Patta Land to Kalvarayan Hills farmers in Kallakunich parliamentary constituency, Tamil Nadu.

(ends)

Re: Manufacturing and marketing of fertilizers and allied products by KRIBHCO

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): The main important objectives of KRIBHCO are to promote economic interest of its members by undertaking manufacture and marketing of fertilizers and allied products with maximum efficiency apart from strengthening co-operatives.

However, in the state of Andhra Pradesh, KRIBHCO has allotted more than 80 percent of production to private dealers. When other cooperatives like IFFCO are allotting 100 percent of their production to co-operatives then why is KRIBHCO deviating from their aim?

In this regard, I would like to request the Hon'ble Minister of Chemicals and Fertilizers to take strict action against KRIBHCO.

(ends)

Re: Construction of bridges in Nellore district, Andhra Pradesh

SHRI BALLI DURGA PRASAD RAO (TIRUPATI): 5 years back two bridges near Adishankara Engineering College in Nellore district, Andhra Pradesh were sanctioned but these two bridges have not yet been completed so far. It is surprising that Toll is being collected from people for the last five years.

There are three toll plazas on NH-5 at Venkatachalam, Bhudanam and near Kotapolu in Nellore district, Andhra Pradesh. What is the distance between the above-mentioned toll plazas?

I would also like to know the standard distance between two toll plazas and the NHAI guidelines in this regard.

(ends)

Re : Need to make Chandkhali Halt Station on Sealdah-Canning railway line in West Bengal functional

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Chandkhali halt station falls between Taldi and Canning stations on Sealdah-Canning line. But despite having a halt station, it is dysfunctional because construction of platform is still incomplete on one side, hence causing inconvenience to the villagers, students and passengers. I have been trying for the past 5 years to get it constructed but in vain. All my requests to former Minister of Railways and present Minister of Railways have been fruitless. Thus, I sincerely request the Minister of Railways to make the Chandkhali Halt station functional at the earliest.

(ends)

Re : Proposed inland water transport project between Thane, Kalyan and Vasai

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): The 50 KM long proposed inland water transport project between Thane, Kalyan and Vasái is a very crucial project for my Kalyan constituency. My constituency depends either on railways or on roads to commute to the other parts of Mumbai, Thane and its suburbs. With increased urbanization and rising pollution levels; need for an alternative mode of transport has always been felt, however, any concrete effort was not made earlier in this regard. So when the former Shipping Minister sanctioned Rs. 650 Crores for the first phase of this waterways Project; it was greatly welcomed by all. We have had several rounds of consultations in the matter, the DPR was approved; and this project was due to be started in the month of March itself. Even a Bhoomi-Pujan Ceremony was also planned; however, due to Lok Sabha elections around the corner, it couldn't be organized by the preceding government.

So, after formation of the new government, we again apprised our new MOS about the matter. An assurance to clear the budget for pre-investment activity was given by the Hon'ble MOS in June this year itself and the Hon'ble MOS had advised officials to start work on the first phase in the next three months.

The Thane Municipal Corporation had proposed this water transport project in two phases. Phase 1 was to connect Vasai-Thane-Kalyan while Phase 2 was to connect Thane-Navi Mumbai. In fact, the DPR of the second phase was to be completed by October or November this year however; work on the 1st phase itself hasn't been initiated as yet. Hence; I request the Hon'ble Minister to kindly expedite work on this project.

(ends)

Re: Downgrading of Tiruvarur Sorting office

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, Tiruvarur Sorting has been serving 2 districts of Tiruvarur and Nagapattinam under my constituency. As an all India measure, the Ministry of Telecommunications already implemented PNOP and MNOP systems. in the Department of Posts. According to these new systems, the speed and Parcel articles booked at Tiruvarur and Nagapattinam RMS meant for Tiruvarur and Nagapattinam are sent to Mayiladuthurai RMS for processing and again sent to Tiruvarur for further delivery. It creates unnecessary delay in the delivery process. Because of this my constituency people suffer a lot. Sometimes for a local delivery itself, it takes two days.

On the other hand, it has come to notice that the divisional administration of RMS Trichy, planned to downgrade the Tiruvarur Sorting office by reducing the staff strength and working hours. Now staff is working during nights to deliver the letters, parcels and speed posts to the customers. But the divisional administration planned to make it as a Day Set. This will create unnecessary delay in the delivery of all the letters to the public. Earlier the processed parcels and speed articles from Mayiladuthurai RMS came by midnight. But nowadays they are-sent in the early morning only, this also creates one day delay in the delivery of letters.

I urge the Government to take remedial steps in this regard.

(ends)

Re: Peace talks of ULFA and other outfits with Government of India

श्री नबा कुमार सरनीया (कोकराझार):

(1405/SNB/MY)

DISCUSSION RE: CROP LOSS DUE TO VARIOUS REASONS AND ITS IMPACT ON FARMERS

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदया, हम एग्रीकल्चर के विषय पर नियम 193 की चर्चा दो-तीन दिनों से लगा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसको पहले ले लिया जाए, क्योंकि वित्त मंत्री जी दूसरे हाउस में टैक्सेशन लॉ में बिजी है, इसलिए इसके बाद उस विषय को ले लिया जाए।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): ठीक है, नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू की जाए।

श्री कोडिकुन्निल सुरेश जी।

1406 hours

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to raise a discussion under Rule 193 on the topic `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers'.

At the outset I would like to submit that the Government has no intent, desire, and genuine concern towards addressing the issues of farmers in the country. The notice I gave for this discussion read -- `Agrarian crisis and farmers' distress'. The Government did not accept the language in which I submitted my notice for this discussion, instead have formulated the language for the discussion in another way. The Government chose to ignore the topic that would have exposed the failure of the BJP Government to the public. The Government formulated another language which read -- `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers'. They have not chosen the straight path but instead have taken a circuitous route to deviate from the core issue. But this anti-farmer and anti-agriculturist attitude of the BJP Government thus stands exposed in this House as the Modi Government is afraid of facing the truth of deeply disturbing agrarian crisis engulfing the country by refusing to address the real concern. The Congress and other like-minded parties decided to raise this issue in this august House.

The Ministry of Agriculture assumed a great importance under the various Congress Governments as the Congress party viewed agriculture as the most important aspect for the livelihood for its people. More than two-thirds of the population in this country derives its livelihood from agriculture and farming. It is

only natural to stand by them and the Congress party always stood with the farmers, labourers, the deprived and the working class. While the Congress Governments stood with the cause of the farmers, the NDA Governments, be it the first NDA Government of 1999 or be it the successive Modi Governments of 2014 and 2019 systematically diluted the powers of the Ministry of Agriculture and made it into a rubber stamp. There is no freedom for the Ministers in this Government to act on issues affecting farmers. This NDA Government is nothing but an extension of the corporates, ultra-rich and imperial interests. The Congress Governments understood the pain of the farmers, the agony of the tillers, crisis of the small and marginal farmers. Pandit Jawahar Lal Nehru stated and I quote: -

> "If our agricultural foundation is not strong, then the industry we seek to build will not have a strong basis either. Apart from that the situation in the country is such that if our food front cracks up, everything else will crack up. Therefore, we dare not weaken our food front."

(1410/RU/CP)

And true to his belief, Nehru Ji, in the First Five Year Plan (1951-56) devoted 17.4 per cent of its total expenditure to agriculture and community development. A major portion of the outlay for irrigation and power, that is, 27.2 per cent, also went to agricultural development. Unlike the BJP, the Congress Governments had a galaxy of Ministers for agriculture who understood the farmers and their situation.

I must draw the attention of the House to the following important steps taken by the Congress Party for the progress of farmers. By 1956, the Zamindari Abolition Act was passed in many Provinces. Due to conferment of land rights, around 30 lakh tenants and share-croppers were able to acquire ownership rights over a total cultivated area of 62 lakh acres throughout the country. This was the benefit of the passage of this Act. This was the most revolutionary step undertaken by the greatest ever Prime Minister, Pandit Nehru, who gave the farmers their right to land and cultivate and rescued them from the chains of landlords and zamindars. That was done by the Congress Party unlike the Government under Shri Narendra Modi which destroys the livelihood of farmers and makes them helpless. The Congress Party gave the farmers their land which they can proudly proclaim as their own.

Creation of institutions was the next step for building a confident farmer development-oriented India and towards this end, the Food Corporation of India was set up to maintain demand and supply situation such as maintenance of buffer

stocks. The Agricultural Prices Commission, the National Water Commission and National Agricultural Commission were established to suggest policy measures to tackle the issues of growth and distribution.

The next step was to create the "Temples of Modern India" by which irrigation became a possibility. Some of the game changing projects like Bhakra-Beas and Damodar Valley addressed energy shortage and irrigation infrastructure helping the farmers with technologies and support.

Then fertiliser plants were set up and these plants supplied subsidised fertilisers to farmers. Institutes were set up for research of crops and seeds which developed high yielding seeds and drought/disease-resistant crops. The concept of minimum support price was started to prevent distress selling of crops by farmers to village moneylenders.

Then came the Green Revolution under which the productivity of our farmers doubled and that made India self-sufficient in food grain production.

I would also mention about the change and progress of input use in Indian agriculture from 1950-51 to 1990-91. There was a change from using bullocks to tractors. For tilling per thousand hectares, mere 0.5 tractors were used and it became 5.8 tractors with the same measurement of inputs. This proves that there was progress in farming inputs and adoption of technology. From this situation, the Congress Governments and their visionary leaders like Pandit Nehru Ji, Indira Gandhi ji and Rajiv Gandhi Ji brought the country to a stage where we are able to stand tall and self-sufficient to feed 135 crore people of this country.

Can the Government under the Prime Minister, Shri Narendra Modi, ever say that they received a nation which was empty? It was made self-sufficient by the efforts of the Congress Party by transforming it bit by bit and by policy after policy through progressive reforms aimed at the welfare of even the last citizen of the country. So, when the Prime Minister and the NDA Governments make claims of building the country, they should remember that the Congress Party had built this nation which supported its farmers all the time.

(1415/NKL/NK)

That is why, the India, which BJP wants, will not become, as India's DNA is composed of sacrifices of the Congress Party and initiatives of its leaders.

All you did, apart from blaming the Government of Congress, was to destroy every institution that helped to visualise the development of the country for mere political revenge. The Planning Commission, which you renamed as 'NITI Aayog'

is nothing but 'ANITI Aayog', as it made the most falsified Report and fooled the country.

Madam, the doubling of farmers' income, which is a pet project of the Government is a plot to cover up its lack of interest in making agriculture sustainable. It states to double the farmers' income by 2022. What is the reality?

Most of the kharif crops, except cotton, are going to witness a drop in production from 12 per cent to 4.5 per cent, due to heavy rains and floods in many parts of the country during the last monsoon season.

Madam Chairperson, rice and main kharif oilseed crop soybean produced is expected to fall by 12 per cent to 90 million tonnes (mt) and 12.15 mt respectively, the pulses output is estimated to be nearly 8.2 mt, 4.5 lower than the previous year's production estimates of 8.59 mt.

A total of 137 districts in 12 States, that are, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab, and Uttar Pradesh, were affected by excess rains that led to floods in many regions and 4.5 million hectares of land was inundated, out of which 3.2 million hectares was the agricultural land. It is a very serious issue. What is the Government's policy and plan for addressing the losses suffered by the farmers in this matter?

Madam Chairperson, now, I come to the observation on the Ministry of Home Affairs. The Ministry of Home Affairs has confirmed, through the National Crime Records Bureau's Report that 11,379 farmers died by suicide in India in 2016. It is a Report of the National Crime Records Bureau, not my Report. This translates into 948 suicides every month, or 31 suicides every day. This is the Government's record. This is the record of the Ministry of Home Affairs.

Madam, in the 17th Lok Sabha, the question about farmers' suicides was asked ten times in every question. The Government has two standard answers. One is, "There is no proposal on waiver of crop loans under consideration of the Government of India", the other one is, "The Government had constituted an Inter-Ministerial Committee in 2016 to recommend a strategy for doubling of farmers' income by the year 2022."

Is there anything else this Government can actually say in this serious matter where farmers are ending their lives every day?

Madam, the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, is another half-baked programme that the Government will use in its defence. It is noted from

several quarters of the country that even as the cropping season is underway, the support of this Scheme has not reached farmers in most of the regions of the country.

(1420/SRG/SK)

Out of the allocation of Rs. 75,000 crore for Financial Year 2019-20, Rs. 27,937.26 crore have been spent until end of October and this was stated in the House by the Hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare and also my good friend, Shri Narendra Singh Tomar Ji himself. Do you agree?

What is the *Economic Survey* saying? I go into the *Economic Survey* with regard to the agricultural scenario in this country. Growth of agriculture sector has decreased from 6.3 per cent in 2016-17 to 2.9 per cent in 2018-19. Gross fixed capital formation in agriculture has decreased from 17.7 per cent in 2013-14 to 15.2 per cent in 2017-18. The contribution of agriculture to the Gross Value Added has decreased from 15 per cent in 2015-16 to 14.4 per cent in 2018-19. The agriculture sector growth decreased from 4.9 per cent to 2.1 per cent between 2019 and 2020 and still there are talks by this Government for doubling the farmers' income by 2022. How is it possible? Hon. Minister may let us know that.

I would invite the attention of this august House to the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and the UPA Government under the leadership of Shrimati Sonia Gandhi Ji. The UPA policies have led to a historical high agricultural output. This became possible because of the Government's thrust on improving agricultural inputs such as quality seeds, pesticides, and fertilizers. A scheme for developing and improving infrastructure for producing and distributing superior quality seeds to farmers at affordable prices was implemented and in initial stage, about 32.8 million tonnes of certified quality seeds were available. Better connectivity of rural areas, easy access to agricultural markets and facilitation of agricultural credit to small and marginal farmers gave a helping hand to them. Growth in gross bank credit for rural and semi-urban areas had been steadily increasing under the UPA Government, with agricultural credit increasing significantly. Gramin banks were established to help the farmers. The post-harvest loans were granted to farmers against negotiable warehouse receipts at commercial rates against the distress sale done by them in the past. Capital investment in agriculture and allied sectors rose from 13.5 per cent of GDP in 2004-05 to 20.1 per cent, coupled with higher support prices announced ahead of the sowing season. All this made farming lucrative again.

Just now I compared it to the UPA regime. Now, I come to the NDA regime as to what they have done over the last five years. As compared to the first NDA regime, average yearly Minimum Support Prices were higher by 55 per cent for wheat, 81 per cent for coarse cereals, and 75 per cent for paddy. The average annual food grain yield has increased by 207 kg per hectare. The average food grain production per year during UPA was 28 million tonnes, more than that of first NDA's rule. This excess food stock is enough to meet half of the nation's Food Security Bill requirement of 54.92 million tonnes per year.

The Vidarbha package by the UPA is another important milestone that addressed the agrarian crisis where Rs. 3750 crore package was announced by the UPA Government.

(1425/KKD/MK)

Above all, a scheme of debt waiver and debt relief for farmers of Rs. 50,000 crore and the one-time settlement relief on the overdue loans is estimated at Rs. 10,000 crore together coming to a sum of Rs. 60,000 crore in the Union Budget of 2008-09 in the UPA-I Government.

These are some of the measures of the UPA Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh-ji and the UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi-ji.

But what is happening today? The onion crisis in India has left people in distress. A kilo of onion is retailing at Rs 90 to Rs.100 in almost all the States of India. It is peaking at Rs. 120 to Rs. 130 a kilo in major cities. But are the farmers getting any benefit from the whole issue?

Madam, one report says that a farmer from Maharashtra was forced to sell onions at Rs. 8 per kilo, which is nearly 15 times less than the rate, which the consumers are currently paying for a kilo of onion.

So, traders are hoarding. Black marketing is on the rise; and the farmers get nothing and the consumer also gets a terrible jolt.

It was only because of the strong protests by the Congress Party that the BJP Government retreated from signing the RCEP Agreement, which would have destroyed the farmers of India. Not only the Congress Party but the entre Opposition in the country strongly opposed the signing of the RCEP Agreement. That is why this Government went away from the RECP Agreement.

Kharif and rabi crops suffered extensive damages, and the BJP Government ignored the farmers and refused to raise the MSP, which worsened the farmers' crisis.

The reasons for crop loss apart from climate change, are lack of planning and lack of execution of timely policies for helping farmers. There is no compensation for farmers to address their losses. Banks are refusing to give loans to farmers. Banks have become the parking grounds for the rich. There is no declaration of any special package to help the farmers in this continuing crisis.

So, it is not just the farmers, but the entire country is suffering from multiple atrocities and failures of the BJP Government. Unemployment, job loss, agricultural failure, industrial slowdown and recession are the gifts, which the Modi Government is giving to the people of this country.

Madam, the Modi Government has failed on all fronts. It has failed in managing the agrarian crisis. In their idea, Indian farmers are seen as 'perishable commodities.'

Once Agriculture used to feed three-fourth of India's population, but their livelihood is breathing its last as an insensitive Government is moving away from protecting them.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI RAMA DEVI): Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, I am concluding in another five minutes.

Let me, now, come to some points concerning my State of Kerala. Repeated floods and natural calamities including landslides have caused massive destruction in Kerala in 2018 and 2019.

Despite extensive damage to life, property, and livelihood due to these repeated floods in Kerala, the Central Government has ignored appeals for help and assistance.

The farmers in Kerala, who are mostly, small and medium-scale farmers, are in a desperate position due to extensive crop loss. They need to be compensated immediately.

The post disaster needs assessment by the Kerala Government and the UNDP reveals that Kerala has suffered a total loss of Rs. 31,000 crore in the year 2018 due to floods, which was the worst ever since 1924.

Nearly 341 landslides were reported from 10 districts. The devastating floods and landslides affected 5.4 million people, displaced 1.4 million people.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude, now.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, I am the initiator of this discussion. So, I should be given maximum time to speak. It is my right. Please do not ring the bell.

(1430/RP/RPS)

Madam, nearly 341 landslides were reported from ten districts. The devasting floods and landslides affected 5.4 million people and displaced 1.4 million people. The State Government reports that the floods and landslides caused extensive damage to houses, roads, railways, bridges, power supply, communication networks, and other infrastructure. The crops and livestock have been washed away. The Post Disaster Needs Assessment (PDNA) conducted by the UN under the leadership of the Government of Kerala estimates the total recovery needs to be at US$ 4.4 billion. The unforeseen and unimaginable impact of the flood in 2018 has left the State in dire straits.

Madam, now, I am coming to my last point. Nearly 52 per cent of Kerala's population lives in rural areas and 17.15 per cent of the population depends on the agricultural sector including crops, livestock and fisheries. Our hon. Minister for Fisheries is here. It is a means of livelihood. The sector contributes to 11 per cent of the total gross state value addition at current prices, crops 5.42 per cent, livestock 3.84 per cent and fisheries 1.78 per cent. All three sub-sectors – crops, livestock and fisheries – have suffered losses and damages in the flooding and landslides of 2018. Crops were most heavily affected, which is contributing 88 per cent of the total loss and damage to the sector, followed by livestock, which is 10 per cent, and fishery or aquaculture, which is 2 per cent.

Finally, subsistence agriculture across all three sub-sectors is an important source of income for rural communities.

To conclude, I would like to cite the words of Pandit Jawaharlal Nehru:

"Everything else can wait, but not agriculture."

Thank you.

(ends)

1432 बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति जी, जब भी संसद का सत्र होता है, उसमें किसानों की चर्चा जरूर होती है, इसलिए कि यह देश किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है और संसद भी उस चर्चा को कराने के लिए विवश रहती है कि हमें किसानों की चर्चा करानी ही चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों की चर्चा पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संसद एकमत होती है। मुलायम सिंह जी, जो यहां सबसे वरिष्ठ सांसद उपस्थित हैं, जरूर इस बात से सहमत होंगे कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संसद एकमत होती है। लेकिन जब किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा होती है, तो एक सरकार जो काम करती होती है, वहां के दूसरे दल के लोगों को लगता है कि यह सरकार क्यों काम करती है, यह सरकार विफल हो गई है और वे उसी पर चर्चा केन्द्रित करते हैं। यह कृषि और किसान की समस्या एक दिन में नहीं खड़ी हुई है और मैं शासन के दल से एक कार्यकर्ता हूं, सांसद हूं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका एक दिन में समाधान भी नहीं होना है। कृषि की समस्या एक दिन में खड़ी नहीं होती है और एक दिन में इसका समाधान भी नहीं होता है। इसका क्रमश: समाधान होता है। आपने उस समस्या के बारे में थोड़ा-बहुत जिक्र किया है। अधीर रंजन जी ध्यान देते तो मुझे बोलने में सुविधा होती। मैं आपको बताऊंगा, आपने किसानों की समस्या की चर्चा की।

(1435/IND/RCP)

आप बताइए कि वर्ष 1952 से लेकर 2014 तक किस सरकार ने किसानों को सीधे आर्थिक मदद देकर उसके मन में यह सद्भावना पैदा की हो कि यह सरकार मेरे लिए कुछ काम कर रही है। नरेन्द्र भाई मोदी की पहली सरकार है, जिसने खतौनी में दर्ज सभी किसानों को छ: हजार रुपये देने का काम किया है। कार्तिक का महीना रबी की फसल बुआई का महीना होता है, आप किसानों से पूछें कि उन्हें क्या फायदा मिला है। आप तो किसानों से बात नहीं करते हैं, आप केवल किताब में किसान पढ़ते हैं। मैं अभी किसानों से बात करके आया हूं। किसान कहते हैं कि कार्तिक का पहला महीना है, जो बहुत ही सुगमता से, बिना कठिनाई से बीता है और उनकी बुआई चल रही है। वर्ष 1952 से पंडित नेहरू के समय जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बात कर रहे थे कि उन्होंने गरीबों को जमीन दी। जमींदारी प्रथा उन्मूलन पंडित नेहरू के जमाने में 1956 में हुआ, सुरेश जी। उस समय दो तरह के किसान अपने देश में पैदा हुए। एक ऐसे किसान थे जिन्हें दो या ढाई एकड़ जमीन मिली और दूसरे वे किसान हुए जिन्हें 20-25 एकड़ जमीन मिली। जब गरीबों को जमीन दी गई और जमींदारी उन्मूलन समाप्त किया गया, तो *… (Not recorded)* के बहनोई को 300-400 एकड़ जमीन हरियाणा और राजस्थान में कैसे मिल गई। यह जानने और समझने की बात है, मैं इस बात को जानना चाहता हूं। 300-400 एकड़ जमीन *… (Not recorded)* को कैसे मिली? जमींदारी उन्मूलन भारत के किसानों के लिए है।…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): आप बैठिए। आप बहुत व्याकुल हो जाते हैं। यह आपके बोलने का विषय नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): सिर्फ माननीय सदस्य की बात रेकार्ड में जाएगी।

…(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति जी, कुछ रोग होते हैं, जिनकी दवा ढूंढ़ ली गई है। कैंसर की दवा, टीबी की दवा, हार्ट की दवा ढूंढ़ ली गई है, लेकिन एक रोग संसद में लोगों को लग जाता है, जिसकी दवा अभी तक नही ढूंढ़ी जा सकी है, वह रोग छपास का है। छपास का रोग इन लोगों को लगा है और इसकी दवा नहीं ढूंढ़ी गई है। इस रोग की दवा वहीं से ढूंढ़ी जा सकती है। हम कुछ बात करते हैं, ये खड़े हो कर कुछ बात करने लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसानों की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई है और एक दिन में इसका समाधान भी नहीं निकल सकता है। किसानों की आत्महत्या का सवाल उठाया, वे माननीय सदस्य सदन से चले गए हैं। किसान आत्महत्या कब से कर रहे हैं, यह देखना चाहिए। किसानों की आत्महत्या की गिनती गिनने से समाधान नहीं होगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारी पार्टी के शासनकाल में किसानों ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन यह देखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधान मंत्री थीं, उस समय कुछ किसान मरे थे, जिनकी खबर नहीं बनी। राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री बने थे, तब भी किसान मरे थे, जिनकी खबर नहीं बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधान मंत्री बने थे, तब भी किसान मरे थे, उस समय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब भी किसान मरे थे और खबर नहीं बनी थी। चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे और उनके आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह जी थे, जिनकी आर्थिक नीतियों को चर्चा में ला रहे थे, उस समय भी किसान मरे थे, लेकिन चर्चा में नहीं आए थे। किसानों की आत्महत्या तब चर्चा में आई, जब नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री थे और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और विदर्भ में बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद भी उन्होंने आत्महत्या की, तब किसानों की आत्महत्या का सवाल देश में बहस का विषय बना। मैं आज भी कहता हूं कि किसानों के देश में किसान यदि आत्महत्या करते हैं, तो इससे बड़ी दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती है। इसका समाधान करने के लिए केवल आर्थिक समाधान ही उपाय नहीं है। इस समस्या का सामाजिक समाधान भी होना चाहिए, सांस्कृतिक समाधान भी होना चाहिए और राजनैतिक समाधान भी होना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनैतिक नीतियां गांवों को केंद्रित करके नहीं बनाई जाएंगी, तब तक इन समस्याओं का समाधान करना मुश्किल काम है।

महोदया, अभी प्याज की चर्चा हुई। अधीर रंजन जी और सौगत राय जी से पूछिए कि प्याज कब बोया जाता है। रबी की फसल बोने का महीना चल रहा है, यदि माननीय सदस्य एक भी रबी की फसल का नाम बता दें, तो मैं इनका स्वागत करूंगा।

(1440/RAJ/MMN)

इनके नेता राहुल गांधी को किसी ने बता दिया है कि किसान की बात करो, जैसे जवाहर लाल नेहरू अवध किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में काम करते थे, तो लोग तुम्हें भी किसान नेता मान लेंगे। किसान नेता बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्तों पर चलना होता है। किसान नेता बनने के लिए जो काम प्रधान मंत्री के नाते नरेन्द्र भाई कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलना होता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, जिस तरह किसानों के कार्यक्रमों के

लिए दल का नेता होने के नाते जितना समाधान का रास्ता निकालते हैं, उस रास्ते पर चलना होता है। किसान की समस्याओं का समाधान निकालना कठिन रास्ता है, वह आप लोगों के बस की नहीं है। आप लोग दूसरी राजनीति करते हैं और उसी राजनीति ने आपको वहां बैठाया है और फिर उधर कर देगी, क्योंकि किसानों ने पहली बार जाग कर अपनी सरकार बनाई है। मैं इस बात को कह सकता हूं, हमारे सरकार के कई मंत्री यहां बैठे हैं, पहली बार किसानों ने समर्थन दे कर लाठी पटा के नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार बनाई है। जिसने हमारे खाते में सीधे छ: हजार रुपये खतौनी के नाम से भेजा है। इसलिए सरकार बनी है। यही छ: हजार रुपये की चर्चा पिछले सत्र में हो रही थी। यह मालूम नहीं था कि छ: हजार रुपये किसको मिलेंगे? अगर एक बीघा खेत में छ: भाई, भाई-बहन या मां-बाप का नाम है, दस भाइयों का नाम है तो दस भाइयों के नाम से छ:-छ: हजार रुपये मिले हैं। एक बीघा में 60 हजार रुपये मूल्य के अनाज का उत्पादन नहीं होता है।...(व्यवधान) सुरेश जी, आपको नहीं मालूम होगा। आप चिंता मत करिए। आप कागज में लिखा हुआ किसान, किसान नहीं होता है। सौगत राय जी, अधीर रंजन जी हैं तो वीरेन्द्र सिंह क्यों है, यह किसान यहां है। यह मुलायम सिंह जी जानते हैं। खतौनी में जिनका नाम है, सभी को छ:-छ: हजार रुपये मिल रहे हैं। आप लोगों को जानकारी इसलिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किसानों को छ:-छ: हजार रुपये दिलवाने की कोशिश नहीं की है।

वह प्याज की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी सत्तर के दशक में विधायक होते थे। एक बार प्याज के नाम पर सरकार बदल गई थी। इन लोगों को लगता है कि प्याज का सवाल उठाएंगे तो शायद इसी में से कुछ रास्ता निकलेगा। प्याज महाराष्ट्र में पैदा होता है, गुजरात में प्याज पैदा होता है, लेकिन उससे कम प्याज बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। मैं बलिया से चुन कर आया हूं। पहले मैं भदोही लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता था। वहां बलिया मोहम्मदाबाद तहसील का करइल इलाका है। गंगा-यमुना का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। वहां जा कर देखिए, किसान कैसे प्याज पैदा करते हैं। नासिक के किसान उस तरह के प्याज पैदा नहीं करते हैं। आज भी वहां एक-एक किसान के घर में सैकड़ों बोरे प्याज रखे हुए हैं और मेरे इलाके में 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बिक रहे हैं। यह प्याज की राजनीति आप कब तक करेंगे?...(व्यवधान) आप जिसे दिखाते हैं, वह प्याज नहीं है। आप हमारे मोहम्मदाबाद में चलिए, आपको 25 रुपये प्रति किलोग्राम एक ट्रक प्याज दिलवाते हैं।...(व्यवधान) हां, ठीक है, आप जो जानते हैं, वही जानिए, मुझे नहीं बताइए। मैं जो जानता हूं, वह कहने वाला हूं। इसलिए इस बात को कहना कि प्याज के भाव बढ़ गए हैं, तब मुझे कठिनाई होती है, जब खेती, खलिहानी चीजों का दाम बढ़ता है, तो इस सदन में हौवा मच जाता है। प्याज का दाम बढ़ेगा, चीनी का दाम बढ़ेगा, गेहूं का दाम बढ़ जाएगा, दूध का दाम बढ़ जाएगा तो हल्ला मच जाएगा कि दाम बढ़ गया। मैं किसान हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो पैदा करते हैं, उनका दाम वे तय नहीं करता है। यह पहला उत्पादन का क्षेत्र किसानी है, जो पैदा करते हैं, उनका दाम वे तय नहीं करते है। गिरिराज सिंह जी यहां बैठे हैं, वह पशुपालन मंत्री हैं। दूध का दाम दूध पैदा करने वाले किसान तय नहीं करते हैं। गेहूं का दाम, गन्ने का दाम किसान तय नहीं करते हैं,

कपास का दाम वे तय नहीं करते हैं। जब गन्ना कारखाना में चला जाता है, उससे चीनी बनती है, तो चीनी मील मालिक उसका दाम तय करता है कि इतना दाम तुम्हारा है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): वीरेन्द्र जी, आप आसन को संबोधित करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदया, मैं आसन की तरफ देख कर ही संबोधन कर रहा हूं। (1445/VB/VR)

श्री वीरेन्द्र सिंह(बलिया): माननीय सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि दो तरह के किसान होते हैं, एक किसान ढाई एकड़ भूमि का और दूसरा किसान 20 एकड़ भूमि का होता है। यहाँ कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इसे वे लोग नहीं कर पाए हैं, इसको हमें ही करना है। खेती की लागत कम करने के लिए आज मानवीय श्रम से खेती करना कम हो गया है। आज मैकेनिकली खेती करना ज्यादा हो गया है। जब इन लोगों ने नीति बनाई, जापान में ढाई एकड़ भूमि का औसत क्षेत्रफल है और अमेरिका में साढ़े चार सौ एकड़ भूमि का औसत क्षेत्रफल है। यानी एक व्यक्ति का साढ़े चार सौ एकड़ भूमि और जापान में ढाई एकड़ भूमि औसत होती है। जापान ने अपने ढाई एकड़ भूमि के किसानों के लिए उसी के हिसाब से मशीन बनाई कि ये किसान इन्हीं मशीनों से काम करेंगे। अमेरिका ने अपने साढ़े चार सौ एकड़ भूमि वाले किसानों के अनुसार मशीनें बनवाईं। लेकिन यही नहीं तय कर पाए हैं कि हमारे देश के किसान किस तरह के हैं। अगर मानवीय श्रम से खेती करना कम हो जाएगा, तो हमें किस तरह के यंत्र बनाने चाहिए। बड़ी-बड़ी मशीनें और ट्रैक्टर बनाने की क्या जरूरत थी? छोटे-छोटे किसानों के लिए छोटी-छोटी मशीनें बनवाते। …(व्यवधान) वह तो पहले ही बताए कि यह उन्हीं के जमाने में आया। जब केनेडी दिल्ली में घूमते थे, तो नेहरू जी उनके साथ होते थे।

मैं निवेदन करूँगा कि अपने देश में किसानों की भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार खेती को मैकेनाइज्ड बनाने के लिए उसी तरह के मैकेनिकल यंत्र- ट्रैक्टर, जुताई की मशीन, कटाई की मशीन, गुड़ाई की मशीन आदि बनानी चाहिए।

मुझे एक और चिन्ता हो रही है। अभी आर्थिक मंदी का हल्ला मच रहा है। गाँवों में खरीदने की ताकत कम हो गई है। मैं गाँव से आता हूँ। शायद इन लोगों को पता नहीं है। आप गाँवों के बैंकों में जाकर देखिए, कस्बों के बैंकों में जाकर देखिए, गाँव और कस्बों से जुड़े हुए जितने जिले हैं, वहाँ के बैंकों में जाकर देखिए कि कितने पैसे डिपॉज़िट होते हैं, वे कैसे डिपॉज़िट होते हैं? वे पैसे इसलिए डिपॉज़िट होते हैं, क्योंकि हमारे देश में आमदनी में बचत करने की परम्परा, बचत करने का रिवाज़ गाँवों में रहने वाले लोगों में है। इसलिए जो लोग आमदनी करते हैं, वे बचत करके बैंकों में जमा करते हैं। वे कौन लोग होते हैं? वे गाँव के अनाज बेचने वाले किसान होते हैं, गाँव के दूध बेचने वाले किसान होते हैं, ठेला लगाने वाले लोग होते हैं। वे लोग ही गाँवों, कस्बों और जनपदों से जुड़े हुए बैंकों में पैसे जमा करते हैं। महानगरों में इतना डिपॉजिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि महानगरों में पैसे निकालने वाले लोग ज्यादा होते हैं। इनके राज में जहाँ पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, इसलिए महानगरों में उतने पैसे जमा नहीं होते हैं।

क्षमा कीजिएगा, हमारी तरफ और उस तरफ भी जीडीपी से विकास का पैमाना नापा जाता है। गाँव का आर्थिक पैमाना, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था से नापी जाती है। जीडीपी का उससे कोई लेना-देना नहीं है। उसका पैमाना जीडीपी से तय नहीं होता है। आप देखिए, अभी कई पर्व मनाए गए। दीवाली मनाई गई, दशहरा मनाया गया, छठ मनाया गया, खरीददारी कहाँ कम हुई? आप आज भी गाँवों-कस्बों के बाजारों में जाकर देखिए, कितनी भीड़ रहती है। क्या वह भीड़ प्रदर्शन करने के लिए रहती है? वह खरीददारी करने के लिए होती है। शादी-विवाह में कितने पैसे खर्च होते हैं, एक लड़का शादी करने जाता है, तो चार-चार सूट बदलता है। मुलायम सिंह जी के जमाने में एक जोड़ा जामा पहनकर ही घर से जाते थे और विवाह करके आते थे, तो दो महीने तक वही कपड़ा पहने रहते थे, उस समय कहाँ खरीद होती थी। अगर आज खरीद नहीं होती है, तो कैसे लोग चार-चार कपड़े पहने रहते हैं? आज शादी-विवाह में खर्चे देखिए। हालाँकि फिजूलखर्ची से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन खरीदने की ताकत कम हुई है, यह जो लोग कहते हैं, वे हिन्दुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कृषि अर्थव्यवस्था की ताकत को नहीं जानते हैं। भारत इसीलिए मजबूत है, भारत इसीलिए ताकतवर है, भारत स्वाबलम्बी इसीलिए है, भारत स्वाभिमानी इसीलिए है, क्योंकि गाँवों की कृषि अर्थव्यवस्था हमेशा मजबूत रहेगी, उसका यही कारण है कि वह श्रम-आधारित है। गाँवों में लोग अपनी आय से बचत करने की परम्परा को जोड़कर रखे हुए हैं।

(1450/MM/SAN)

सभापति जी, इस देश को बदनाम करने के लिए, शासन को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं कि ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गई है। ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गयी है तो सड़कों पर गाड़ियों का जाम क्यों लगा रहता है? ऑटोमोबाइल की खरीद कम हो गई है तो आप दिल्ली में जाइए, गाजियाबाद जाइए, हमारे बलिया, गाजीपुर और भदोही में जाइए, हर जगह जाम लगा रहता है। एक-एक घर में दस-दस, बीस-बीस गाड़ियां हो गई हैं। आप कभी तय नहीं करते हैं कि उपभोक्ता के साथ उत्पादन का संबंध क्या होना चाहिए और यह कब से है? जब उपभोक्ता का उत्पादन से संबंध रहेगा तब ऑटोमोबाइल के लोग तय करेंगे कि हमें कितना उत्पादन करना है।

सभापति जी, मैं एक निवेदन और करता हुआ अपनी बात पूरी करूंगा कि मनरेगा योजना को उनकी सरकार लेकर आयी थी और हमारी सरकार ने उसकी रचनात्मक भूमिका तय की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा को खेती से जोड़िए। मनरेगा रोजगार पैदा करने की योजना है। आप कितने गांवों में सड़क-खड़ंजा लगाएंगे, कितनी नालियां बनाएंगें? इतना पैसा हमारी सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने मनरेगा के लिए दिया है। हम जल संरक्षण के नाम पर नदियों द्वारा जहां कहीं भी कटान होता है, उस कटान को मनरेगा से क्यों नहीं रोक सकते हैं? जल संरक्षण के नाम पर जब मनरेगा का पैसा उपयोग हो रहा है तो हम जल संरक्षण के नाम पर नदियों द्वारा गांव के पास जो कटान हो रहा है, जैसे हमारे बलिया में शेरपुर की तरफ कटान हुआ, मोहम्मदाबाद तहसील में होता है, बैरिया तहसील में दुबे छपरा, उदय छपरा और भूसौला गांव का कटान हो गया। हमारे क्षेत्र में नौरंगा गांव नदी के उस पार पड़ता है, उस गांव का कटान हो गया। उस गांव सभा के मनरेगा के पैसे से उस कटान को रोका जा सकता है। जितना पैसा उस गांव को मनरेगा

में दिया गया है, उससे उसको रोका जा सकता है। उस योजना को हम मनरेगा के साथ क्यों नहीं जोड़ सकते हैं?

सभापति जी, मनरेगा को खेती से जोड़ने की योजना भी बनायी जानी चाहिए। एक सत्र तो बीत गया है और दूसरा सत्र शुरू करना चाहिए। गांव में कितनी सड़क-खड़ंजा, नाली और रास्ता बनाएंगे? मैंने अपने क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से काम शुरू किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। गांव से खेत को जोड़ना है। मनरेगा की योजना से गांव से खेत को जोड़ेंगे और गांव से किसान जब खेत में आवाजाही करते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है। आवाजाही करेंगे, खेती करेंगे, दूसरी खेती की सम्भावना की तलाश करेंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे किसानों को लाभ होगा।

दूसरा, जिस विषय की चर्चा कांग्रेस पार्टी के सुरेश जी ने नहीं की है, उस बात की चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले दिनों बहुत बड़ा नुकसान बाढ़ और बरसात से खेती का हुआ है। उस नुकसान से हमारी सरकार ने और पिछली सरकारों ने फसल बीमा योजना बनायी थी। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड से उसके प्रीमियम काट लिए जाते हैं। हमारी सरकार ने तो कानून बनाया है कि किसानों के नुकसान की भरपायी हम कर सकें और समाधान कर सकें। लेकिन सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियां किसानों को वह पैसा नहीं देती हैं। इस सवाल पर हम सोचते हैं कि हमारे सदन के सभी सदस्य सहमत होने चाहिए कि बीमा कम्पनियों के द्वारा किसानों को भरपाई करने के लिए इस तरह का कानून बनाया जाए कि बीमा कम्पनियां किसानों के नुकसान की भरपाई जरूर करें। सभापति जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इन बीमा कम्पनियों का जो घोटाला चल रहा है, इसके समाधान के रास्ते निकालने पड़ेंगे। एक बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि किसानों को प्रधान मंत्री सम्मान निधि देकर प्रधान मंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किया है। मैं इस सवाल पर बहस करते हुए अपनी बात पूरी करने से पहले कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 60 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र के किसानों को पेंशन देने की योजना जरूर बननी चाहिए। एक योजना बनी है, जो 40 वर्ष के किसान 50 रुपये सालाना देंगे, तो उनको 60 वर्ष के हो जाएंगे, तब पेंशन मिलेगी।

(1455/SJN/RBN)

लेकिन 60 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद सभी किसानों को पेंशन देनी चाहिए।...(व्यवधान) सभापति महोदया, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। जब सेना के जवान, पुलिस के जवान, शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने वाले रिटायर होते हैं, तो उनको पेंशन भी मिलती है, उनको जमाराशि भी मिलती है। यह कहा जाता है कि वे राष्ट्र के लिए काम करते हैं। किसान भी तो अनाज पैदा करता है, खाता भी है, खिलाता भी है। 40 प्रतिशत लोग खेतों के किनारे तक नहीं जाते हैं, वे खेती नहीं करते हैं। उनके लिए भी किसान अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है। वह भी तो राष्ट्र के लिए काम करता है। जब किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तो उनका जीवन बहुत तंगहाली में बीतता है। उनको भी पेंशन देने की योजना सरकार जरूर बनाए, मैं यह निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(इति)

(1455-1510/SM/GG)

SHRI S.S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri S.S. Palanimanickam in Tamil,
please see the Supplement. (PP 331-A to 331-D)}

1502 hours (Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

1512 hours

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, there are a number of reasons for loss of crops in our country. One of the reasons is the use of harmful synthetic chemicals. The policy of the Government is `produce more and become prosperous'. Now it has become `produce more and perish' for our Indian farmers. Farmers are using high external synthetic chemicals during farming, which causes 25 per cent of land degradation. Soil and water get poisoned with the use of synthetic chemicals, which result in the loss of crops in various parts of our country. So, the Government must take a policy decision in regard to utilisation of harmful synthetic chemicals in the agricultural field. Would it continue or would it be discontinued? Where would be the cut off line? What should be done? These decisions need to be taken by the Government.

Now, I come to genetically modified seeds. A number of social activist groups and studies proposed a link between expensive genetically modified crops and farmer suicides. Bt cotton was claimed to be responsible for farmer suicides. Bt cotton seeds cost nearly twice as much as ordinary ones. The higher costs forced many farmers into taking larger loans from private moneylenders, who charge exorbitant interest rates.

(1510/UB/CS)

The money lenders force farmers to sell their cotton to them at a price lower than the price given in the market. According to the study, it created a sort of debt and economic stress, ultimately leading to suicide among farmers, increasing cost in farming sector with decreasing yields.

Secondly, there is a misdirection of Government subsidies and funds. As per reports by the Central Government and NCRB, the Government farming subsidies from 1993 to 2018 went to the dealers to produce the seeds and fertilizers, not to the farmers. It is not that the Government is not doing it, but to whom is it going ultimately? It is going to the dealers. In 2017, Rs. 35,000 crore of loans and subsidies were given to the entities in the cities of New Delhi and Chandigarh which do not have any farmers. Similarly, in Maharashtra, 60 per cent of the Government loans and subsidies were given to the people and entities residing in Mumbai. This has resulted in money being circulated between the Government, large and small corporations and politicians without any of it reaching farmers aggravating their woes. I am not saying that the Government

is not releasing the subsidies but to whom it is going is what I am saying. It is going into the hands of a few entities in Delhi, Mumbai and Chandigarh. It is not going to the farmers in the villages. They are not getting it. The middleman is enjoying the benefits. The Government needs a review of it.

The funds which have been given for subsidies, should be immediately checked or immediate audit should be conducted on the entire scenario to see whether it has gone to the farmers or it is being enjoyed by the middleman.

I want to speak regarding the impact of cyclone. Cyclone in the coastal areas severely affects field crops, horticulture crops through direct damage by high-speed wind, torrential rains and extensive flooding. High tide may bring saline water and sand mass making the field unsuitable for agriculture. Super Cyclone in 1999 and Phailin in 2013 severaly affected the crop production and livelihood of the farmers in coastal areas in eastern coast of India.

Sir, recently, Cyclone Bulbul, that battered the coastal districts of West Bengal has caused a loss of Rs. 23,811 crore in the State. The standing crop was damaged as well as crops like betel leaves. A great loss has been caused there. A total of 14,89,924 hectares of agricultural land was affected in the State of West Bengal and five lakhs houses have been damaged due to Cyclone Bulbul.

Now, the State Government of West Bengal has given Rs. 1,200 crore to the affected people of the State. Sir, I want to point out that when our hon. Chief Minister of West Bengal visited the Bulbul affected area, the hon. Prime Minister also had a conversation over telephone with the hon. Chief Minister and assured that the compensation will be given. But still, no money has been given to West Bengal. But in case of Gujarat, we have seen, you gave the money overnight, overnight compensation had been given; in case of West Bengal, you are not giving the money because another ruling party is there.

(1515/KMR/RV)

Why this discrimination between farmers of different States? Farmers are farmers whether they live in Gujarat, Kerala or West Bengal. I, therefore, would request the hon. Minister to look into this.

Not only in West Bengal, about three lakh hectares of crops including horticulture have been affected because of cyclone Bulbul in Odisha as per a report of the Government of Odisha.

I now come to another problem and that is the human-elephant conflict. In India, 101 elephant corridors are there in the States of West Bengal, Jharkhand, Odisha, Karnataka, Kerala, etc. Elephants damaged crops, primarily paddy and maize, in over one million hectares of agricultural land. We need to reduce this human-elephant conflict to save the crops.

Between 1953 and 2017, India suffered damage to crops worth Rs.1,11,225.621 crore due to floods. That is nearly 30 per cent of the total damage, which is Rs.3,78,247.047 crore. In 2015, as per data from the Central Water Commission, country's total loss due to floods was Rs.57,291.1 crore.

Between 2016-17 and 2018-19, crop losses owing to floods in major States are: 11.71 lakh hectares in West Bengal, 11.82 lakh hectares in Bihar, and 12.67 lakh hectares in Uttar Pradesh.

Impact of pollution on agriculture is also an important factor. Air pollution causing damage to human health is an established fact. Apart from causing heart disease and asthma, pollutants are also damaging the yield of food crops, reducing their nutritional quality and safety, and are posing a major risk to food security. The time is ripe now. I would request the hon. Prime Minister to look into this. Air pollution is not only affecting human beings. It is affecting the crops also. Therefore, pollution control and agricultural production are now interlinked. In major cities in India, the level of pollutants often surpasses the safe limits and it does not look set to change any time soon. An increasing proportion of agricultural land is being affected by air pollution.

Researchers found that between 1980 and 2010, yields were up to 36 per cent lower than what they would have been without air pollution trends. In 2010 this loss was an equivalent of more than 24 million tonnes of wheat in India, which is worth around USD 5 billion.

Suicides by farmers are increasing day by day. I would just like to give the data in brief. We have seen 12,000 suicides being reported in agricultural sector. Every year since 2013, they account for approximately 10 per cent of the total suicides. There were 3,000 farmer suicides in 2015. The victims had unpaid loans from local banks. Maharashtra had 1,293 suicides; Karnataka had 946. When these suicides were committed in Karnataka and Maharashtra, the Government there was a BJP-led Government.

(1520/SNT/MY)

So, all these suicides have happened in these States.

Before concluding, I would like to say two things. Very often I hear that जो लोग किताब पढ़कर किसान की बात करते हैं, वह किसान की बात नहीं होती है। I hear this very often. We are also Members of Parliament. We also have a connection. उनका उत्तर यही कहता है कि क्रिमिनल लॉ को जानने के लिए क्राइम करने की जरूरत है। यह कैसी बात है? Do not just demonize everyone's position. If one is born in the family of farmers, we all have respect for him but please do not disrespect others who are not coming from the farmers' family. That is my request. The hon. Minister is a very senior leader.

Now, what is the solution? I will tell you a few solutions. Small and marginal farmers should be encouraged to pull funds by leveraging their land. The advantage associated with larger land holding is the use of modern and mechanised farming techniques. Water supply for irrigation must be insulated from the vagaries of nature by better water management system. Attention must particularly be paid to rain water harvesting and resolution of inter-State river water sharing disputes. Farmers must be educated about modern farming techniques and practices. Younger professionals must be encouraged to participate in farming activities. Farm loans at soft interest rates need to be made available and loan recovery procedure need to respect human rights. It should be discussed with the farmers as to how to deal with the private money lenders. That is the most important part.

Again, I am requesting the hon. Minister to kindly ensure that – you are giving subsidies, it is going from the Central Government's fund, it is going from the State Government's fund – subsidies go to the farmers, not to the entities in the cities.

Sir, I am grateful to you for giving me time. I am concluding now. You have given me time. I will keep my commitment. Cyclone Bulbul has affected West Bengal. You have seen that. The farmers have really lost a lot. I have already mentioned about the quantum of losses. There was also a telephonic assurance given by the hon. Prime Minister to our hon. Chief Minister on compensation. I will request, through you, the Agriculture Minister to kindly make it expeditious. That is my request. Thank you.

(ends)

1523 hours

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Hon. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me an opportunity to put forth our party YSRCP's views on crop losses.

In India, majority of our population is still dependent on agriculture. There is never an inappropriate time to discuss the issue concerning our farmers. In India, a large number of farmers undertake subsistence agriculture for survival. Farming is also undertaken on loans, which leads to debt trap most of the times. In this light, the worst adversity that farmers could face is crop loss. Such crop losses make survival of farmers a concern, wherein there have been many instances of farmers committing suicide due to loss of crops. The situation of landless and tenant farmers is much worse.

Before entering into the nuances of this issue, I would like to congratulate our hon. Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu for launching the YSR Rythu Bharosa-PM Kisan scheme, through which landless and tenant farmers are set to get monetary support from the Government in our State.

(1525/RK/CP)

Out of all the 29 States of India, through this scheme, maximum support is offered to the farmers of my State. Under this scheme, 51 lakh farmers, which includes more than 3 lakh tenant farmers, belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward community, will receive Rs.13,500 per annum as farm investment support.

A conscious effort has been made to include tenant and landless farmers, as they stand excluded from the vision of PM-KISAN Scheme. Such a move is bound to stoke up positive sentiments amongst the landless and tenant farmers, that the Government cares for them and is concerned about the difficulties faced by them in undertaking a hardworking task like agriculture and crop cultivation.

The support provided by the YSR Rythu Bharosa Scheme is bound to help farmers tide over crop losses, and also help invest in quality farming techniques that can prevent crop losses.

Sir, the reasons for crop losses in India have been studied by different organisations. The foremost reason for crop loss is found to be infestation by pests, weeds and climatic conditions like cyclones and untimely rains. ICAR scientists estimate that about 30-35 per cent of the annual crop yield in India

gets wasted because of pests. The recent infestation by Fall Armyworm is fresh in our memory which affected almost ten Indian States. In a country where farmers do not get remunerative returns for their healthy produce, crop losses due to such avoidable reasons are unforgivable.

The reasons for high prevalence of such losses are:

1. Pesticides may be unaffordable to some farmers. Farmers may thus use other make-shift methods to protect crops from pests which is low on effectiveness. In light of this, the Government support through schemes, like YSR Rythu Bharosa Scheme, will help farmers invest in good quality pesticides.
2. Quality of pesticides is lacking. At present, the quality control regime for pesticides is lacking. The proposed Pesticides Management Bill, 2019 can be a game-changer to ensure accountability in the aspect of effectiveness of pesticides.
3. Pests become resistant to pesticides because of the unscientific use of pesticides by farmers due to poor awareness. The extension programmes of the Government and the newly proposed Bill need to spread awareness about the scientific usage amongst farmers, especially the less empowered farmers.
4. There is poor focus on international best practices and Research and Development on crop protection means. There are good emerging trends and solutions for sustainable crop protection, which include crop protection chemicals, agronomy, fertigation, seed treatment and biotechnology development, which need to be encouraged.
5. Seeds of poor quality have no resilience against damages, which is a serious cause of concern.

Sir, almost 60 per cent of Indian agriculture is rain-fed. It is, therefore, dependent on the vagaries of monsoon for its success. So, another major reason for crop loss is the impact of drought.

Our State of Andhra Pradesh often faces such a situation which is beyond our control, especially in districts such as Anantapur, Kadapa, Chittoor and Kurnool. Our dedicated effort should go into crop-diversification, to grow less water intensive crops in these regions and successfully implement the Drought Mitigation Programme.

There is a need to relook at our MSP Policy which does not incentivise farmers to have a healthy cropping pattern. More often, the MSP announced would be higher but there would not be any procurement at the rates fixed by the Government. The Government should actively procure crops from the farmers at the MSP rates.

In coastal States, such as Andhra Pradesh, cyclones are a looming threat for crops. According to the preliminary estimates, in 2018, the Phethai Cyclone led to the damage of over 10 lakh hectares of crop.

(1530/PS/NK)

Such vagaries of weather conditions are bound to impact Indian agriculture due to its precarious nature. With climate change breathing down our necks, such natural calamities and vagaries are bound to rise, thus we need to consider preventive and damage control mechanisms much more seriously.

Hon. Chairperson, Sir, lastly, post-harvest crop losses also demand our attention. Transport for farmers to take their crops to markets, is also a cause of concern. It becomes vital for us as parliamentarians to deliberate about our responsibility towards '*annadatas*' and steps should be taken to ameliorate their conditions. The PM Fasal Bima Yojana is a significant help to farmers to face the consequences and tide over the losses that have come with crop damage. The Government should ensure its effective implementation and redress grievances in mission-mode to enhance effectiveness. Social audits of the schemes by its beneficiaries can be conducted to incorporate necessary changes.

Firstly, India should focus on R&D to tackle agriculture-specific challenges of climate change. This should include research in quality of seeds and pesticides for enhancing shelf-life of crops. We should also ensure that these technologies travel from lab to land without burdening farmers. Secondly, we have to map the cropping pattern and incentivise the shift wherever necessary.

The policy of farm loan waivers should be seriously re-looked and re-worked upon as it does not seem to tackle core problems of agriculture and crop losses. Rather, more investment is needed in efficient infrastructure for agricultural supply chain, including storage and transport, etc.

This discussion that we are having is not new. We all know the reasons for crop losses and have a general idea about what needs to be done and what

should be our priority. It is high time that we all align together and show a dedicated political will to help our *Rythu*, who are now contemplating suicide and are running from pillar to post for their voice to be heard. Let us pledge to change the situation of agriculture in India. Prof. MS Swaminathan once said, 'if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right in the country.' Thank you, Sir.

(ends)

(1535-1545/SK/RC)

1535 hours

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Vinayak Bhaurao Raut in Marathi,
please see the Supplement. (PP 340-A to 340-D)}

1548 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत फसलों के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव के बारे में हो रही चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। महात्मा गांधी जी का कथन था कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। लगभग 70 प्रतिशत किसान, जो खेतीबारी में लगे हैं, वे लोग गांवों में बसते हैं। आज उनकी जो बदहाली है, फटेहाली है, उस पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं। हम लोग लगातार, लगभग हर बार किसानों के हित में चर्चा में भाग लेते हैं, लेकिन जो किसानों की बदहाली है, वह आज भी वहीं की वहीं है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, आज भी जब हम लोग गांवों में जाते हैं, तो देखते है कि जब किसान को बेटी की शादी करनी होती है, बेटे की शादी करनी होती है तो उसे खेत गिरवी रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, चाहे बेटी की शादी हो, कोई कार्य हो, श्राद्ध हो, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो, वे लोग खेतों को गिरवी रखकर ही ये काम कर पाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी की जो पहल है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि प्रत्येक किसान 2000 रुपये की किस्तों में 6000 रुपये देने का उन्होंने जो वायदा किया था, उसको निभाने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनका प्रयास है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो, लेकिन केवल 2000 रुपये देने से किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं होगी, उसके लिए किसान की स्थिति में मूल रूप से कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए आज हम लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं।

(1550/IND/NKL)

महोदय, लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। हम बिहार से आते हैं। बिहार में एक तरफ नेपाल के पानी से करीब 15 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं और दक्षिणी बिहार सूखे की चपेट में रहता है। झारखंड जब बिहार से अलग हो गया, तो सारे लोग कहते थे कि बिहार में कुछ नहीं बचा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्य मंत्री बने और एनडीए की सरकार बनी, तब से उनका प्रयास हुआ कि हम कैसे बिहार के किसानों को आगे बढ़ाएं। बिहार में 'किसान' ही मेन मुद्दा बन गया था। झारखंड में सारे कोल खदान चले गए थे, लेकिन बिहार को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए तत्कालीन महामहिम ने कृषि रोड मैप का उद्घाटन

किया। उस समय से नीतीश कुमार जी का प्रयास हुआ कि कृषि रोड मैप के आधार पर खेती का काम किया जाए। आज देश में बिहार की सबसे ज्यादा 11 प्रतिशत से भी अधिक जीडीपी है। धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। प्रधान मंत्री जी ने चार बार किसानों को अवार्ड दिया है। मुझे लगता है कि बिहार को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को हमें सीखना चाहिए और केंद्र सरकार को भी शिक्षा लेनी चाहिए। अभी नीतीश कुमार जी ने जल, जीवन, हरियाली योजना चलाई है और हर जिले के लिए उनका प्रयास है कि कैसे किसानों को जल और जीवन के बारे में जागरुक किया जाए। उनका जो प्रयास इस दिशा में है, वह आज सफल होता दिख रहा है।

महोदय, अभी हमारे महाराष्ट्र के साथी बता रहे थे। महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों में लगभग 12 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इससे पहले के आंकड़े में 11379 किसानों ने आत्महत्या की थी। लगातार किसान की बदहाली से लगता है कि कहीं न कहीं किसानों की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से हम सदन में किसानों पर चर्चा करते हैं, उस तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लगातार सरकार का प्रयास होता है, लेकिन जब किसानों की खेती का समय आता है, जब आलू की खेती का समय आता है, उस समय किसान की उपज दो रुपये, तीन रुपये किलो के हिसाब से बिकती है। अभी महाराष्ट्र नासिक में प्याज लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज प्याज सौ रुपये किलो हो गया है। यह हम लोगों के लिए विचारणीय विषय है। आज किसानों का लगातार प्रयास है कि कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, लेकिन वह कैसे हो, इस विषय में कम प्रयास हो रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें समय पर खाद मिले, उन्हें समय पर बीज मिले। आज जब किसान बीज लेने जाते हैं, तो 15-20 दिनों बाद उन्हें बीज मिलते हैं। किसानों को अच्छा बीज न मिलने की वजह से भी उनकी बदहाली हो रही है। बिहार में किसानों की आमदनी कम होती जा रही है। जब अनाज का उत्पादन होता है और जब किसान बाजार में सामान ले जाते हैं तो उसे खरीदने के लिए ग्राहक नहीं मिलते हैं।

महोदय, बिहार में बक्सर से भागलपुर तक गंगा के किनारे माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला किया है कि हम वर्मी कम्पोस्ट के सहारे किसानों को अच्छी उपज देंगे। इसके लिए उनका प्रयास हो रहा है। हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि आप भी

इसमें सहयोग करें और जल, जीवन, हरियाली योजना चल रही है, उसमें लगातार जो भूजल नीचे जा रहा है, उसे कैसे ऊपर लाएं, उसके प्रबंधन के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए।

(1555/RAJ/SRG)

जब तक किसानों की बदहाली रहेगी, तब तक देश की तरक्की होना संभव नहीं है। देश में किसानों को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है। हम लोगों को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सरकार को सस्ते दाम पर खाद, बीज, कीटनाशक दवाई एवं अन्य सभी चीजें किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। किसानों के उपकरणों पर लगातार सब्सिडी देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, कृषि को भी उद्योग का दर्जा देना चाहिए, तभी किसानों की बदहाली दूर होगी। किसानों की उपज की बिक्री को सुनिश्चित करना होगा। उन्हें बिचौलिए के हाथों खेलने को मजबूर होना पड़ता है, उनसे किसानों को बचाना होगा। पिछले साल बिहार में दलहन की काफी पैदावार हुई, लेकिन बिहार के किसानों को, खास कर दियारा क्षेत्र के किसानों को अच्छे रेट्स नहीं मिल पाए, जब कि सरकार का प्रयास अच्छे रेट्स देने का हुआ है, लेकिन वह लेने वाला भी कोई नहीं था।

सभापति महोदय, हम महाराष्ट्र से तुलना करते हैं कि प्याज के मामले में हमारा प्रबंधन खत्म है। इसके लिए बिचौलियों पर ध्यान देना होगा। जमाखोरों को पकड़ना होगा, तभी हम किसानों की बदहाली दूर करने में सफल होंगे। देश में फल एवं सब्जियों के भंडारण को भी सुनिश्चित करना चाहिए। अगर सरकार भंडारण की उचित व्यवस्था कर दे, तो बिचौलियों एवं बड़े-बड़े जमाखोरों पर अंकुश लग जाएगा।

सभापति महोदय, किसानों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जगह-जगह फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगे, जिससे किसान वहां अपने उत्पाद को उचित दाम पर बेच सकें। कुदरत के कहर से बचाने के लिए किसानों को मौसम की जानकारी भी अति आवश्यक है। इससे भी किसानों के आकस्मिक नुकसान को कम किया जा सकता है। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। अब सोलर पम्प की बात हो रही है, लेकिन वह महंगा होने के कारण किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार फ्री में किसानों को सोलर पम्प दे, डीप बोरिंग मशीन 90 प्रतिशत सब्सिडी पर दे, जिससे किसान ट्यूब वेल भी लगा सके। मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(ends)

1558 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you Chairperson Sir. I stand here today to deliberate on the subject that is actually being discussed throughout the country today. I would start with my State Odisha which has repeatedly been affected by natural calamities, be it floods, cyclone or drought. After the devastating super cyclone of 1999, Odisha has developed OSDMA which has rendered a remarkable service to the affected people who were affected by floods and cyclone. Farmers face the brunt of these natural calamities.

Before I deal with the crop loss and its impact on farmers, we should ask ourselves, who is a farmer? What is the Government's definition of a farmer and how many farmers are there in India by that definition? As there is an ambiguity in Government circle, it has its own implication on the design and beneficiaries of the schemes meant to help them including the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. The Government of India provides income support to all farmer families who own cultivable land, but the number of land holdings do not necessarily equate with the number of farming households. What does Dr. M.S. Swaminathan Committee say? It says and I quote:

> "The term 'FARMER' refers to a person engaged in the economic and/or livelihood activity of growing crops and producing other primary agricultural commodities, cultivators, agricultural workers, sharecroppers, tenants as well as persons engaged in various farming related occupations.

(1600/KKD/VB)

> "…It also includes tribal families/persons engaged in shifting cultivation and in collection, use and sale of minor and non-timber forests produce. "

Therefore, should we limit ourselves only to those farmers, who are land owners? PM-Kisan Samman Nidhi does that. Those who are land owners are only getting the benefit.

I am reminded of this year's Noble Laureate, Michael Kremer though nobody talks about him in our country. I am reminded of this year's Nobel Laureate, Michael Kremer, who is less discussed in the elite circles of this country. From Gujarat cotton farmers to coffee growers of Karnataka and paddy farmers of Odisha, the Research of 2019 Economics, Nobel Laureate Mr. Kremer and the company he founded, has impacted the lives of more than six lakh agriculturists in India.

Randomised controlled trials, the research for which the Nobel was awarded, showed that a low-cost mobile phone-based agriculture consulting service, developed by Dr. Kremer's company, led to an annual income growth of about Rs. 7,000 per farmer.

Dr. Kremer's fellow awardees – Esther Duflo and Abhijit Banerjee – have well-documented personal and professional links to India. For the third awardee, the biggest India connection comes *via* Precision Agriculture for Development, the non-profit organisation he co-founded in 2016 along with three others including fellow Harvard professor Shawn Cole.

Precision Agriculture for Development, India began work with 2,000 cotton farmers in Gujarat in 2016, and now reaches six lakh farmers across the country with the biggest contingent of 5.25 lakh coming from Odisha.

When farmers could call a helpline for real-time expert advice on sowing and irrigation decisions, and inputs such as seeds, fertilisers and pesticide, yields rose to a very high percentage.

1602 hours (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

I would urge upon the Government to make conscious efforts to empower the farmers through this modern technology so that the income of farmers will grow.

Sir, I should say that in 2019, Odisha has faced devastating cyclones, that is, Cyclone Fani in May and Cyclone Bulbul in November. Due to Cyclone Fani, the total crop affected is around 1.82 lakh hectares. It affected 12 districts of Odisha and damaged 1.46 lakh hectares of crop. Funds that were allocated to the districts for disbursement of agricultural input subsidies for crop loss till date, is Rs. 117.37 crore as per SDRF-NDRF Norms.

Disbursement of agricultural input subsidies is going on. In addition to agricultural input subsidies, the State Government provided Rs. 50 crore form the Chief Minister's Relief Fund for Assistance to affected coconut growers. Other supports are also being provided to the affected farmers in horticulture sector.

Due to Cyclone Bulbul, coastal districts of Odisha have been affected to a large extent. Standing crops fell flat in the field. More than 2.2 hectaress of crop was damaged in Balasore, Bhadrak, Jajpur, Jagatsinghpur, Kendrapara, Cuttack and Mayurbhanj Districts.

Agricultural input subsidies from crop loss was estimated to be Rs. 151.98 crore as per SDRF-NDRF Norms. But we have not yet received a single pie from the Union Government. Day before yesterday, Rs. 550 crore have been provided for SDRF share.

Sir, I would now come to the issue of crop insurance.

(1605/RP/MM)

The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, if I may say so, is the fourth *avatar* of crop insurance. I need not go into the history of crop insurance in India which goes back to 1915 when Shri J.S. Chakravarti, Finance Secretary of Mysore State, proposed a rain insurance scheme. Repeated attempts have been made to improve it. The C&AG has given its reports. The Finance Committee has given its report. The action taken notes have also been submitted in this House. Between 2011 to 2015-16, in these five years, only 14 per cent and 22 per cent of the total farmers were covered under insurance, which means, 78 per cent to 86 per cent of farmers were outside the insurance

coverage. The small and marginal farmers' case was worse. It was only 5.75 per cent to 13.32 per cent coverage, which means, 86 per cent to 94 per cent were uninsured.

Did the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana improve the situation? The Government may say so but a reply to an RTI question revealed that 11 insurance firms paid claims worth Rs. 31,602.72 crore against gross premiums of Rs. 47,407.98 crore they had received in two years, in 2016 and 2017-18. What is the profit? It is Rs. 15,995 crore from Fasal Bima Yojana. This is the profit which the insurance sector has received within a period of two years. This means, a pay-out of Rs. 50 to the insurance companies for every benefit worth Rs. 100 to the farmer. A little arithmetic calculation which I had done has come to this. Are you considering bringing in reforms? Are you considering reducing the role of private insurance?

I was going through the figure relating to 30 districts of Odisha of last three years. This demonstrates how much loss the farmers are making because they are insuring their crops for the benefit. Anyone who takes a loan from a cooperative society or a bank has to insure his crop. That is compulsory and it has become like this.

Here, I would speak about another aspect relating to Fasal Bima Yojana. The Government has entrusted this job to the respective State Governments to take a decision about which are the districts and who will be the private insurer. We had tried to give such suggestions through the Finance Committee that that private insurance company should be in that district for, at least, three consecutive years. Otherwise, what is happening is that one insurance company is there in my district for this year and next year, when actually the problem starts, we do not know where that insurance company is. He has been shifted to another. Even if he is blacklisted, he goes to another State and does his business. That should be stopped. This type of guideline can be given by the Union Government or by the respective Ministry. Whoever you are engaging, at least, engage him for three consecutive years.

Is the Government not aware that farmers are paying about Rs. 15,000 crore in GST annually? One would ask where would the farmers be paying GST? Why would they pay GST for this? This is a calculation. If the House

decides, I can give it in detail but I would limit that. Let us probe, what input cost a farmer is incurring, on which they cannot claim input tax credit.

(1610/RCP/SJN)

GST is something where input tax credit can be recovered. But farmer is paying 5 per cent GST on fertilizer, 5 to 12 per cent GST on botanicals and biologicals, 12 per cent GST on tractors, 12 per cent GST on pumps, 12 per cent GST on drip and sprinkler system, 12 per cent GST on farm implements, 18 per cent GST on pesticides, 18 per cent GST on pheromone traps, and 18 per cent GST on pesticide safety kits. That is how the farmers are being pauperised. It is because they are paying GST. What we need is a scheme which makes the public expenditure efficacious and which increases the farmers' incomes. A mechanism to compensate farmers in the event of loss due to crop failure, bad weather, pests, or any other reason and more so from adverse market conditions is imperative. This calls for the Government's will and a vision to ensure income and employment security of the farmers and food security of the people.

Odisha is giving some support to farmers through KALIA scheme, so also Telangana, West Bengal, Karnataka, other than the PM Kisan Nidhi. But that is not sufficient. Now, KALIA has been subsumed with the PM Kisan Nidhi. It is a good thing that the Odisha Government has done for the benefit of the farmers of Odisha.

Lastly, I would bring to the notice of the Minister and also of the Government an unequal burden that is imposed on farmers. Farmers are paying, as I said, about Rs.15,000 crore as GST annually on which they are unable to claim input tax credit. Though this does not directly deal with the subject that is being deliberated today. I thought to keep the Government alert on this subject which I may discuss in a bit detail later on if I am allowed to speak. Government needs to support the farmers. They are the food suppliers, the *annadata*. All steps should be taken to compensate their loss and they should not be fleeced.

Thank you, Sir.

(ends)

1613 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : सभापति महोदय, मुझे आपने किसानों की समस्याओं पर हो रही इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान असलियत में गावों में बसता है, खेतों-खलिहानों में बसता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम लोग किसानों के बारे में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। मेरा यह मानना है कि जब तक इस देश में किसान को, गांव को, खेतों-खलिहानों को न्यूक्लियस में रखकर सरकार अपनी आर्थिक नीतियां नहीं बनाएंगी, तब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। हम लोग कहीं न कहीं यह भूल जाते हैं। अभी मुझसे पहले सत्ता पक्ष के एक माननीय सांसद भाषण दे रहे थे कि मैं किसान हूं और वह विपक्ष के कुछ सदस्यों का मखौल उड़ा रहे थे कि आपको क्या पता कि किसानी क्या होती है। अगर मैं यह कहूं कि आपको क्या पता कि किसानी क्या होती है? मैं जानता हूं कि किसानी क्या होती है। किसानी जो है, घोड़े की सवारी करके फ्यूडल अपने आपको किसान नहीं कह सकता है। आपको मालूम है कि किसानी क्या होती है? खाली कार्पोरेट्स को, इंश्योरेंस कंपनियों को मुनाफा देने के लिए आप प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाते हैं। महताब साहब ने अभी आंकड़े दिए हैं कि कितने किसानों को फायदा हुआ है।

(1615/GG/MMN)

कितने किसानों को फायदा हुआ है, आप यह सभा पटल पर रखिए। सभापति महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से कितने किसानों को फायदा हुआ है? महोदय, यह कुछ नहीं सिर्फ कॉर्पोरेट हाऊसेज़ को और इंश्योरेंस कंपनीज़ को फायदा पहुंचाने की नीति साबित हुई है। मैं अभी दिशा की बैठक में अपने जिले में रिव्यु कर रहा था। मैंने पूछा कि कितने किसानों ने इंश्योरेंस कराया है। सभापति महोदय, सिर्फ उन किसानों का इंश्योरेंस होता है, जो किसान बैंक से क्रॉप लोन लेने जाता है। यह मेंडटरी कर दिया गया है कि अगर आप क्रॉप लोन लेंगे तो आपको अपनी फसल का बीमा करवाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने पूछा कि कितने किसानों को उसका मुआवजा मिला तो किसी किसान को मुआवजा नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ किसान को सरकार ने कहा कि हर किसान को छह हजार रुपये मिल रहा है और बड़े जोरों से क्लेम कर के कहा कि खतौनी में अगर छह नाम भी हैं, हो सकता है जिन शख्स का नाम वे ले रहे थे, उनको खसरा-खतोनी नहीं मालूम होगी, लेकिन दानिश अली जानता है कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होती है। हम सब जानते हैं, क्योंकि हम किसान परिवार में पले हैं और हम आज भी किसानी करते हैं, मैं गर्व से इस बात को कहता हूँ। लेकिन आप लोग सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करते हैं। हम कह रहे हैं कि आप किसान को दीजिए, आप दो हजार रुपये तिमाही दे रहे हैं, साल का छह हजार रुपये किसान को दे रहे हैं। अब उसमें से कितने किसानों को मिल रहा है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे यहां आज भी किसान बैंक के चक्कर काट रहे हैं। वे कहते हैं कि साहब, खतौनी में आपके नाम में 'ड़.' की मात्रा लगी हुई है, आपके आधार कार्ड में 'ड़.' की मात्रा नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, धरातल पर जो सच्चाई है, मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है। एक किसान अगर अपनी फसल बोने के लिए दस हजार रुपये का कर्ज ले लेता है और वह टाइम पर नहीं देता है तो तहसीलदार उसको जीप में बिठा कर लॉक-अप में बंद कर देता है, लेकिन अगर कोई नीरव मोदी या कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाऊस हजारों-करोड़ों रुपये लूट कर चला जाए तो उसका कुछ नहीं होता है, उस पर कार्यवाही नहीं होती है। यह मैं किसी राजनीतिक दुर्भावना से नहीं कह रहा हूँ। यह मैं सबके बारे में कह रहा हूँ कि सरकारें किसी की भी रही हों, लेकिन किसान के साथ इस देश में सौतेला व्यवहार होता रहा है।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहां गन्ना किसानों का क्या हाल है? आज तक कोई ऐसा कारोबार है, जिसमें हम अपनी चीज़ पैदा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी बना रहे हैं, अपना कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम उसकी कीमत तय न करें? यह सिर्फ किसान के साथ होता है कि आज उत्तर प्रदेश में किसान साल भर मजदूरी कर, साल भर खेती कर के गन्ना उगा कर आज भी मुँह ताक रहा है कि मेरे गन्ने का भाव क्या होगा। 25 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना चीनी मिलों को दे दिया गया, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने की कीमत तय नहीं की है। कितने किसानों का गन्ना चीनी मिलों पर जाता है? महोदय, आधे से ज्यादा गन्ना प्राइवेट क्रशर्स को जाता है और आधे दाम पर भी नहीं जाता है।

सभापति महोदय, प्रोक्योरमेट के लिए कहा जाता है कि सरकार धान की खरीददारी करेगी, गेहूं की खरीददारी करेगी, लेकिन कितनी खरीददारी होती है, यह हम सब जानते हैं। जो असली किसान है, जो छोटा किसान है, उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, शायद यह हमें मालूम होना चाहिए। पिछले चुनावों में, सन् 2014 से पहले सरकारी पार्टी ने ऐलान किया कि हम किसानों की आमदनी डेढ़ गुना कर देंगे, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इनपुट कॉस्ट तय की जाती है, मैं तो ईमानदारी से यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, अगर ईमानदारी से सिर्फ लागत तय करने का फॉर्म्युला तैयार हो जाए, और सरकार खरीददारी में पारदर्शिता ले आए तो कोई किसान परेशान नहीं रहेगा।

(1620/KN/VR)

लेकिन किसान के साथ बेइमानी पहले दिन से होती है। जो सरकारी अधिकारी किसान की लागत तय करते हैं, इनपुट कॉस्ट तय करते हैं, उनसे बेइमानी कराई जाती है। सब बताते हैं मतलब यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। यह हम सब जानते हैं। आम किसान की पीड़ा यहाँ हम रखने आए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में कहा। बीएसपी की सरकार थी, आदरणीय बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर गन्ना किसानों के दाम बढ़ाए गए तो बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्रित्व काल में बढ़ाए गए। आज क्या हाल है?

सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अभी यहां मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी भी किसान देता है, लेकिन किसान के पास कोई चारा नहीं है कि उसको री-क्लेम करे। कितनी नकली दवाइयाँ बाजार से किसान खरीदता है, कितनी नकली खाद

खरीदता है? बहुत कुछ करने की जरूरत है। मेरे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसानी ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। बिजली, पहले तय था कि इतने हॉर्सपावर का बिल इतना आएगा, लेकिन अब उसमें भी तब्दीली कर दी गई। अगर किसान अपने ट्यूबवेल के ऊपर एक लाइट का बल्ब भी जलाएगा तो उसका बिल अलग से देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी परिभाषा में गांव में किसान के पास इतना पैसा है कि वह बैंकों में जमा करने के लिए लाइन लगा कर खड़ा है तो फिर आरबीआई क्यों झूठ बोल रही है कि बैंक्स खाली हैं। अगर इनकी परिभाषा में ऑटोमोबाइल का स्लो-डाउन इनको दिखाई नहीं दे रहा, खाली सड़कों पर ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है तो फिर ऊपरवाला ही मालिक है कि इस देश की इकनॉमी का क्या हाल होगा? अगर यही परिभाषा इनकी है।

अभी सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे थे कि साहब आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिस सड़क पर निकलो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अरे भाई, वे किनकी गाड़ियां हैं, किसानों की गाड़ियाँ हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का मजाक ऐसे मत उड़ाइए। आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए। जिस देश में रोज 31 किसान आत्महत्या कर रहे हों, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि किसानों के पास इतना पैसा है कि वह बैंक के अंदर लाइन लगा कर खड़े हैं। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि किसानों के पास इतनी गाड़ियां हैं कि सड़कों पर वे जाम लगा रहे हैं। किसानों के पास अपने ट्रेक्टर में डीजल डलवाने के लिए पैसा नहीं है और आप उनका ऐसा माखौल उड़ा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसानी जो है, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा कि किसान की कैश क्रॉप होती है- पशु। जब किसान पर संकट आता है तो वह अपने घर के जो पशु होते हैं, उसके यहां भैंस होती है या भैंसा होता है, उसको बाजार में ले जाकर बेच कर खेती की बुवाई के लिए बीज और खाद लाता है या अपनी बेटी की शादी करने के लिए ऐसा करता है। लेकिन आज क्या हो गया है, मैं उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूँ कि पशु बाजार भी उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। यह कहां इस देश को ले जा रहे हैं? किसान कहां जाए, किससे भीख मांगे? मैं आपके माध्यम से सरकार को इतना ही चेताना चाहता हूँ, माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं जानता हूं कि वे भी किसान परिवार से आते हैं। उनको बिल्कुल दर्द होगा, लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सरकार की नीति कार्पोरेट के फेवर में हैं। किसान को सिर्फ जुमला दीजिए और उनका वोट हासिल करते रहिए।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ, कि सरकार किसानों की समस्या पर कुछ ध्यान देगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

کنور دانش علی (امروہہ): جناب، چیرمین صاحب، آپ نے مجھے کسانوں کے مسائل پر ہو رہی اس بحث میں حصہ لینے کے لئے موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان اصلیت میں گاؤوں میں بستا ہے، کھیتوں اور کھلیانوں میں بستا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہم لوگ کسانوں کے لئے کچھ خاص نہیں کر پائیں ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم اس ملک میں کسانوں کو، گاؤں کو، کھیتوں اور کھلیانوں کو نیوکلیس میں رکھ کر سرکار اپنی آرتھِک نیتیاں نہیں بنائے گی، تب تک اس ملک کا کسان خوش حال نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کہیں نہ کہیں یہ بھول جاتے ہیں ۔ ابھی مجھ سے پہلے رولنگ پارٹی کے ایک معزّز ممبر تقریر کر رہے تھےکہ میں کسان ہوں اور اپوزیشن کے کچھ ممبران کا مکھول بنا رہے تھےکہ آپ کو کیا پتہ کہ کسانی کیا ہوتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ کسانی کیا ہوتی ہے۔ کسانی جو ہے، گھوڑے کی سواری کرکے فیوڈل اپنے آپ کو کسان نہیں کہہ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسانی کیا ہوتی ہے؟ خالی کارپوریٹس کو،انشورینش کمپنیوں کو منافعہ دینے کے لئے آپ پردھان منتری فصل بیما یوجنا لاتے ہیں۔ مہتاب صاحب نے ابھی آنکڑے دئیے ہیں کہ کتنے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ یہاں سبھا پٹل پر رکھئیے۔ جناب چیرمین صاحب، پردھان منتری فصل بیما یوجنا سے کتنے کسانوں کو فائدہ ہوا ہے؟ جناب، یہ کچھ نہیں صرف کارپوریٹ ہاؤسز کو اور انشیورینس کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کی نیتی ثابت ہوئی ہے۔ میں ابھی دِ شا کی بیٹھک میں اپنے ضلع میں ریویو کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کتنے کسانوں نے انشیورینس کروایا ہے۔ محترم، صرف ان کسانوں کا انشیورینس ہوتا ہے جو کسان بینک سے فصل کے لئے قرض لینے جاتا ہے۔ یہ مینڈیٹری کردیا گیا ہےکہ اگر آپ کروپ لون لیں گے تو آپ کو اپنی فصل کا بیما کروانا پڑے گا۔ لیکن جب میں نے پوچھا کہ کتنے کسانوں کو اس کا معاوضہ ملا تو کسی کسان کو معاوضہ نہیں ملتا ہے۔

جناب چیرمین صاحب، میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کسان کو سرکار نے کہا کہ ہر کسان کو 6 ہزار روپئیے مل رہا ہےاور بڑے زور سے کلیم کرکے کہا کہ کھتونی میں اگر 6 نام بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ جس شخص کا نام وہ لے رہے تھے، ان کو خسرا کھتونی نہیں معلوم ہوگی، لیکن دانش علی جانتا ہے کہ خسرا کیا ہوتا ہے اور کھتونی کیا ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم کسان پریوار میں پلے ہیں اور ہم آج بھی کسانی کرتے ہیں، میں فخر سے اس بات کو کہتا ہوں ۔ لیکن آپ لوگ صرف پرسیپشن کرئیٹ کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کسان کو دیجیئے، آپ 2 ہزار روپئیے تیماہی دے رہے ہیں، سال کا 6 ہزار روپئیے کسان کو دے رہے ہیں۔ اب اس میں کتنے کسانوں کو مل رہا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میرے یہاں آج بھی کسان بینک کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب، کھتونی میں آپ کے نام میں ڈا کی ماترا لگی ہوئی ہے، آپ کے آدھار کارڈ میں ڈا۔ کی ماترا نہیں ہے، اس لئے نہیں ملے گا۔

محترم چیرمین صاحب، زمینی سطح پر جو سچائی ہے میں آپ کو اس سے واقف کرانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے کسانوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک کسان اگر اپنی فصل بونے کے لئے دس ہزار روپئیے کا قرض لیتا ہے اور وہ وقت پر نہیں دیتا ہے تو تحصیل دار اس کو جیپ میں بیٹھا کر جیل میں بند کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی نیرو مودی یا کوئی بڑا کارپوریٹ ہاؤس ہزاروں کروڑوں روپئیے لوٹ کر چلا جائےتو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس پر کاروائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں کسی سیاسی دُربھاونا سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاریں کسی کی بھی رہیں ہوں لیکن کسان کے ساتھ اس ملک میں سوتیلا برتاؤ ہوتا رہا ہے۔

محترم چیرمین صاحب، میں اُتر پردیش سے آتا ہوں۔ وہاں گنّا کسانوں کا کیا حال ہے؟ آج تک کوئی ایسا کاروبار ہے، جس میں ہم اپنی کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں، اپنی گاڑی بنا رہے ہیں، اپنا کچھ بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ہم سے کی قیمت طے نہ کریں؟ یہ صاف کسان کے ساتھ ہوتا ہےکہ آج اُتر پردیش میں کسان سال بھر مزدوری کرکے سال بھی کھیتی کرکے گّنا اُگا کر آج بھی مہُنہ تاک رہا ہے کہ میرے گّنے کا بھاؤ کیا ہوگا۔ 25 فیصد سے زیادہ گّنا چینی ملوں کو دے دیا گیا، لیکن ابھی تک سرکار نے گّنے کی قیمت طے نہیں کی ہے۔ کتنے کسانوں کا گّنا چینی ملوں تک جاتا ہے؟ جناب، آدھے سے زیادہ گّنا پرائیوٹ کریشرس کو جاتا ہے اور آدھے نام پر بھی نہیں جاتا ہے۔

چیرمین صاحب، پروکیورمینٹ کے لئے کہا جاتا ہے کہ سرکار دھان کی خریداری کرے گی، گیہوں کی خریداری کرے گی، لیکن کتنی خریداری ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ جو اصلی کسان ہیں، جو چھوٹا کسان ہے، اس کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید یہ ہمیں معلوم ہونا چاہئیے۔ پچھلے چناؤں میں 2014 سے پہلے سرکاری پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسانوں کی آمدنی ڈیڑھ گُنا کر دیں گے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اِن پُٹ کاسٹ طے کی جاتی ہے، میں تو ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہ عزت مآب منتری جی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر ایمانداری سے صرف لاگت طے کرنے کا فارمولہ طے ہو جائے اور سرکار خریداری میں شفافیت لے آئے تو کوئی کسان پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن کسان کے ساتھ بے ایمان پہلے دن سے ہی ہوتی ہے۔ جو سرکاری ملازم کسان کی لاگت طے کرتے ہیں، اِن پُٹ کاسٹ طے کرتے ہیں، ان سے بے ایمانی کرائی جاتی ہے۔ سب بتاتے ہیں مطلب یہ کوئی چھُپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں۔ عام کسان کا دُکھ درد ہم یہاں رکھنے آئے ہیں۔ میں نے اتر پردیش کے گّنا کسانوں کے بارے میں کہا۔ بی۔ایس۔پی۔ کی سرکار تھی، عزّت مآب بہن مایاوتی جی وزیرِ اعلیٰ تھیں۔ سب سے زیادہ اُتر پردیش کی تاریخ میں اگر گنا کسانوں کے دام بڑھائے گئے تو بہن کماری مایاوتی جی کے وزیرِ اعلیٰ کے دور میں بڑھائے گئے ۔ آج کیا حال ہے؟

چیرمین صاحب، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں میرے سے پہلے معزّز ممبر بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی۔ایس۔ٹی۔ بھی کسان دیتا ہے، لیکن کسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو ری۔کلیم کرے۔ کتنی نقلی دوائیاں کسان بازار سے خریدتا ہے، کتنی نقلی کھاد خریدتا ہے۔ بہت کچھ کرنےکی ضرورت ہے۔ میرے یہاں مغربی اُتر پردیش میں زیادہ تر کسانی ٹیوب ویل کےذریعہ

سے ہوتی ہے۔ بجلی، پہلے طے تھا کہ اتنے ہارس پاور کا بِل اتنا آئے گا، لیکن اب اس میں بھی تبدیلی کردی گئی ہے۔ اگر کسان اپنے ٹیوب ویل کے اوپر ایک لائٹ کا بلب بھی جلائے گا تو اس کا بِل الگ سے دینا پڑے گا۔

چیرمین صاحب، میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی پریبھاشا میں گاؤں کے کسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بینکوں میں جمع کرنے کے لئے لائن میں کھڑا ہے تو پھر آر۔بی۔آئی۔ جھوٹ کیوں بول رہی ہےکہ بینکس خالی ہیں۔ اگر ان کی پریبھاشا میں آٹو موبائل کا سلو ڈاؤن ان کو دِکھائی نہیں دے رہا ہے، خالی سڑکوں پر ٹریفِک جام دکھائی دے رہا ہے تو پھر اوپر والا ہی مالک ہے کہ اس ملک کی ایکونامی کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہیں پریبھاشا ان کی ہے ۔

ابھی حکمراں جماعت کے ممبران کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ، جس سڑک پر نکلو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں۔ اے بھائی وہ کن کی گاڑیاں ہیں، کسانوں کی گاڑیاں ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسانوں کا مذاق ایسے مت اُڑائیے۔ آپ ان کے زخموں پر نمک چھِڑکنے کا کام مت کیجیے۔ جس ملک میں روز 31 کسان خود کُشی کر رہے ہوں، آپ کو شرم آنی چاہئیے کہ آپ ان کا مذاق اُڑا رہے ہیں کہ کسانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بینک کے اندر لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ آپ ان کا مذاک اُڑا رہے ہیں کہ کسانوں کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ سڑکوں پر وہ جام لگا رہے ہیں۔ کسانوں کے پاس اپنے ٹریکٹر میں ڈیزل ڈ لوانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور آپ ان کا ایسے مذاق اُڑا رہے ہیں۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کسان جو ہیں، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ کسان کی کیش کروپس ہوتی ہے جانور۔ جب کسان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے گھر کے جو جانور ہوتے ہیں، اس کے یہاں بھینس ہوتی ہے یا بھینسا ہوتا ہے، اس کو بازار میں لے جا کر بیچ کر کھیتی کی بُوائی کے لئے بیج اور کھاد لاتا ہےیا اپنی بیٹی کی شادی کے لئے ایسا کرتا ہے ۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے، میں اتر پردیش میں اپنے حلقہ کی ایک مثال دے رہا ہوں ک جانوروں کے بازار بھی اُجاڑنے کا کام سرکار کر رہے ہے۔ یہ کہاں اس ملک کو لے جا رہے ہیں؟ کسان کہاں جائیں، کس سے بھیک مانگیں؟ میں آپ کے ذریعہ سے سرکار کو اتنا ہی چیتانا چاہتا ہوں ، عزت مآب وزیرِ زراعت یہاں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ بھی کسان پریوار سے آتے ہیں۔ ان کو بالکل درد ہوگا، لیکن ان کی مجبوریاں بھی میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ سرکار کی نیتی کارپوریٹ کے فیور میں ہے۔ کسان کو صرف جملہ دیجیئے اور ان کا ووٹ حاصل کرتے رہئیے۔

میں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ سرکار کسانوں کے مسائل پر کچھ دھیان دے گی۔ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ

(ختم شد)

(1625/SAN/CS)

1625 hours

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this burning issue of Indian farmers. I appreciate the present Chair for drawing the attention of this august House to the issue of crop loss due to various reasons and its impact on farmers.

Our country is passing through a huge farm distress that is breaking the backbone of our economy. Natural reasons and manmade reasons are responsible for this. Natural reasons include flood, drought, cyclone, diseases affecting the crop etc., but I feel that manmade reasons are worsening the situation. Sadly, the Government policies are aggravating the farm distress. Prices are soaring up, but the farmer is still living in poverty.

The anti-farmer policy of this Government is crushing our farmers ruthlessly. They have only one option and that is to end their lives. The electricity charges, unfair import policies and fertiliser prices are responsible for this. At the same time, inflation is also going up every day.

The Prime Minister had announced his plan to double farmers' income at a Kisan Rally in Bareilly, Uttar Pradesh on February 28, 2016, but the real picture of an Indian farmer is there for all to see. Agriculture in India is a death game. It is shocking that over 12,000 farmers in Maharashtra committed suicide in three years. The recent National Sample Survey on the assessment of farmers' situation says 40 per cent of farmers would like to quit agriculture.

Crop failure is recurring every year either due to drought or due to flood or other climatic reasons. What is the fate of this Government's much publicised Crop Insurance Scheme? Insurance companies, under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, have missed the deadline to recognise and pay claims worth over Rs. 5,000 crore made by the farmers. Their failure to deliver crop insurance claims has further aggravated the farm distress. The Government is fooling the farmers. They are only a vote bank for them.

The failure to tackle the middleman is another major issue and there has been an utter failure of the Government in this regard. They have a very powerful lobby and in most cases, goons are acting as middlemen. As a result, 90 per cent of the profit is looted by these middlemen. The Government has taken no

initiative to eliminate the system of middleman. Today, the price of onion has touched Rs. 160 or above, but not a single farmer is going to get that price.

The Kerala farm sector is facing different challenges due to climatic variations and unfair import policies of the Central Government. In 2016, farmers in Kerala were fighting the worst drought in 115 years. In 2018 and 2019, it had to face two floods, which was unheard of in Kerala's history. Agriculture in Kerala is struggling to overcome these challenges.

Raising minimum support prices, providing insurance covers against natural calamities and writing off large amounts of accumulated farm debts are temporary respites to the distressed farmers.

In Kerala, the farmers of 60 years and above are getting Rs. 1,300 every month. Thousands of hectares of land has become unuseable due to wide-spread landslides. Kerala State had requested for Rs. 2,101 crore, but the Centre refused to provide even a single rupee of the Emergency Relief Fund.

A permanent solution to the farm sector can be achieved only through the policy measures that would make agriculture a sustainable business. The Budget can extend fiscal incentives to set up better infrastructure that would minimise post-harvest losses of food grains, fruits, vegetables and other farm produce.

Sir, with this, I conclude my speech and thank you.

(ends)

1629 hours

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Mr. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on crop loss due to various reasons and its impact on farmers.

(1630/RV/RBN)

सर, अभी हाउस में बहुत लोगों ने बातें की हैं। इसका जो भी रीज़न हो, पर कई रीज़न्स की वजह से फार्मर सफर करता है। इसके एक या दो रीज़न्स नहीं हैं। अगर फ्लड आए तो भी फार्मर सफर करेगा, अगर ड्राउट आए तो भी फार्मर सफर करता है। उसी तरह से कुछ ऑनरेबल एम.पीज़. ने बातें की कि बहुत जगहों पर फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने से भी फार्मर सफर करता है। अगर उन्हें टाइमली सीड्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम पर भी फार्मर सफर करता है। अगर उसे टाइमली फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते हैं, उस टाइम भी फार्मर सफर करता है। उसके बाद अगर बैंक में टाइमली लोन नहीं मिलता है तो फार्मर सफर करता है। इन सबके होने के बाद किसान खेती करके अपने माल को मार्केट में ले जाए और अगर उसे उसका सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है तो उस टाइम भी फार्मर सफर करता है। इस तरह कई रीज़न्स की वजह से इंडिया का फार्मर सफर कर रहा है।

अभी हम लोगों के यहां तेलंगाना राज्य बनने के बाद छ: सालों के अन्दर हम लोगों ने फार्मर्स को ध्यान में रखकर इंडिया में आज तक जो किसी ने नहीं किया है, उस तरह का कदम हम लोगों ने लिया है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेन्ट है कि हम अपने यहां फार्मर्स को 24-घंटे फ्री बिजली देते हैं। पूरे इंडिया में कोई स्टेट में ऐसा नहीं दिया जा रहा है, पर हमारे स्टेट तेलंगाना में हमारे चीफ मिनिस्टर चन्द्रशेखर राव साहब फार्मर्स को 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं। उसके लिए हम उनसे एक पैसा भी नहीं लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने उन्हें फ्री बिजली दी है।

इसके साथ-साथ इंडिया में पहली दफा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक-एक किसान को एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये के रूप में 'रायतु बन्धु' दिया है। एक एकड़ के लिए दस हजार रुपये देना कोई मामूली बात नहीं है। अगर किसी के पास छ: एकड़ है तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं। इसे देखने के बाद प्रधान मंत्री जी ने भी देश में छ: हजार रुपये देना शुरू कर दिया है। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि आप छ: हजार रुपये एक फार्मर को देते हैं। अगर छोटा फार्मर हो और उसके पास अगर पाँच-छ: एकड़ की जमीन है तो उसे भी वही छ: हजार रुपये मिलते हैं। अगर यही छ: एकड़ का फार्मर हमारे तेलंगाना में हो तो उसे साठ हजार रुपये मिलते हैं। हम तो यही मांग करते हैं कि पूरे देश के फार्मर्स को एक एकड़ के लिए छ: हजार रुपये की जगह अगर दस हजार रुपये दें तो यह फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारे द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का छोटा फार्मर खेती को बचा कर रखता है। पहले जो किसान खेती करते थे, अगर उनके पास बैंक लोन होता था तो वह आत्महत्या करता था या जो भी किसान उसे मिलता था, उसे वह अपने खेतों को सेल कर देता था। मगर, हम लोगों के द्वारा दस हजार रुपये देने के बाद हमारे यहां का छोटा फार्मर अपने खेतों को संभाल कर रखता है। अब वह अपने खेतों को सेल नहीं कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा

है। जब आज हम लोग हाउस में फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें दस हजार रुपये प्रति एकड़ देने के लिए यह गवर्नमेंट सोचे।

तेलंगाना सी-लेवल से हाई है। वहां के फार्मर्स को पानी नहीं मिलता था। वे बहुत दिक्कत में थे। पूरे वर्ल्ड में किसी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, पर हम लोगों ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट लगाकर पूरे गोदावरी के पानी को लिफ्ट करके फार्मर्स को दे रहे हैं। हम मंत्री साहब को यही बोलना चाहते हैं। हमने पहले भी हाउस में यही बताया कि पूरे देश के फार्मर्स के लिए 40,000 टी.एम.सी. पानी की जरूरत है। हर साल हमारा 17,000 टी.एम.सी. पानी समुद्र में जा रहा है। अगर उस पानी को प्रॉपर्ली फार्मर्स को दे दें तो भी हमारे पास 30,000 टी.एम.सी. सरप्लस पानी रहेगा।

इसके पहले आप लोगों ने रिवर लिंकिंग के बारे में देखा है। अगर आप रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को तुरन्त ले लें तो देश के हर फार्मर को पानी मिलेगा।

चेयरमैन सर, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। हम तो फार्मर के बेटे हैं। फार्मर के बारे में बात करने के समय आप थोड़ा घंटी मत बजाइए।

साहब, हम तो यही सोचते हैं कि फार्मर को पानी मिलना चाहिए, फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, फार्मर को बैंक से लोन मिलने चाहिए। हम तो इस गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि आप पूरा रिवर लिंकिंग के काम को कीजिए। अगर आप रिवर लिंकिंग के काम को करेंगे तो हर फार्मर को पानी मिलेगा। जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, नेशनल हाईवेज़ ग्रिड है, उसी तरह से आप फार्मर्स के लिए रिवर लिंकिंग का वाटर ग्रिड भी बनाइए। ऐसा करने से फार्मर बचेगा।

इसी के साथ-साथ हम लोगों को थोड़ा कॉमर्शियल क्रॉप्स पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में हम लोग 50,000 करोड़ रुपये का पाम ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं।

(1635/MY/SM)

उसके साथ-साथ आपको पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे आंध्र प्रदेश के फार्मर्स भी पाम ऑयल का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन उनको सही रेट नहीं मिलता है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। कमर्शियल क्रॉप में पाम ऑयल के बारे में आपको सपोर्ट करना चाहिए।

सर, अभी इसी हाउस में कई ऑनरेबल मेम्बर्स ने शुगर और गन्ना के बारे में बात की है। गन्ना का भी अच्छा रेट देना चाहिए। इस मामले में हम गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इथेनॉल का काफी अच्छा रेट दिया है। इथेनॉल के रेट की वजह से अगर शुगर मिल में लॉस होता है तो उसमें थोड़ा कम्पन्सेट हो रहा है। इसके साथ-साथ हमारा सजेशन यही है कि अगर शुगर फैक्ट्री वाला पावर प्लांट लगा देता है तो ठीक रहेगा। आप बायोमास का भी अच्छा रेट दीजिए। अगर आपने अच्छा रेट दिया तो फार्मर के पास काफी पैसा जाएगा। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Please conclude now.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इसके साथ-साथ सरकार को फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आज फार्मर चिली, कॉटन तथा गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन जब वह कंज्यूमर के पास जाता है तो उसमें बहुत लोग बीच की दलाली

करते हैं। इससे हमारा फार्मर हर टाइम अफेक्टेड होता है। आप फूड प्रोसेसिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। इसके साथ-साथ हम गवर्नमेंट को यही सजेशन देना चाहते हैं कि हर स्टेट में फार्मर्स के अपने-अपने इश्यूज हैं।

HON. CHAIRPERSON: Nama Nageswara Rao ji, please come to the last point.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): Sir, only minute please, I am concluding. हम सरकार को यही सलाह देते हैं कि हर स्टेट के फार्मर के इश्यूज़ को लेते हुए, आप एक इंडियन किसान पॉलिसी बना दीजिए। इस पॉलिसी को बनाकर हमें हरेक इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज़ में फार्मर्स कार में घूमते हैं। हमारे इंडियन फार्मर्स कब तक पैदल चलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने फार्मर को डेवलप्ड कंट्रीज़ के फार्मर से कम्पेयर करें तो उसमें बहुत दिक्कत है। इसी तरह से आपने मुझे जो भी टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

सर, हम लोगों ने जो प्वाइंट्स रेज किए हैं, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। हमारे मंत्री साहब किसानों के बारे में सोचने वाले है, इसलिए मैं मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चर्चा के बाद फार्मर्स की समस्याओं का जरूर समाधान किया जाए। धन्यवाद।

(इति)

1638 hours

SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE (RAIGAD):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Sunil Dattatray Tatkare in Marathi,
please see the Supplement. (PP 357A to 357C)}

(1645/NK/UB)

1645 बजे

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं नियम 193 के तहत 'फसलों के नुकसान और इसका किसानों पर प्रभाव' पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का औरंगाबाद और गया है। यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहने वाला क्षेत्र है। हमारे ससंदीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। मैं स्वयं एक किसान हूं इसलिए किसान की पीड़ा और समस्या क्या है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान एक ऐसा वर्ग है, किसान के अंदर इतना धैर्य है, इतनी सहनशीलता है, किसान की परीक्षा ईश्वर भी लेते हैं, किसान की परीक्षा प्रकृति भी लेती है। तंत्र भी किसान को परेशान करता है। आजकल आवारा पशु और जंगली जानवरों से भी किसान की फसल को नुकसान होता है। आज की चर्चा का विषय भी यही है।

मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान की मेहनत और श्रम है। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है, किसान देश को खिलाता है। उस वर्ग की स्थिति ऐसी है। आज वह इतनी पीड़ा में है, इतनी परेशानी में है, इतना कष्ट में है। उसकी आज ऐसी दुर्दशा है, जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा। यह ऐसा वर्ग है, जो खरीफ की फसल लगाने के लिए कड़ी धूप में अपनी चमड़ी को जलाकर फसल लगाता है, जब जुलाई-अगस्त में धान की रोपनी होती है तब वह अपनी चमड़ी को जलाता है। जब गेहूं की फसल का समय आता है तब दिसम्बर-जनवरी की कड़ाके की ठंड में रात-रात भर जग कर गेहूं की फसल की सिंचाई करता है, यह वर्ग ऐसा है।

मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति के द्वारा होने वाला नुकसान कोई सरकार, कोई कानून, कोई व्यवस्था और कोई तंत्र न तो रोक सकता है न ही बचा सकता है, लेकिन हम किसान को सम्बल जरूरत दे सकते हैं। हम किसान को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा आए, उसका जो नुकसान होना है वह तो होगा, लेकिन उसको आर्थिक रूप से सम्बल देकर बाद में उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है। फसल नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा अच्छी तरह से की जा सकती है ताकि उसका उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर न पड़े। किसान इस सोच में रहता है, इस तैयारी में रहता है कि अब मेरे बेटे का पढ़ने का समय आया है, इसको किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना है, फी देना है, बेटी शादी योग्य हो गई है और उसकी शादी करनी है, मकान बनाना है या और कुछ करना है। उसकी योजना पूरी की पूरी धरी रह जाती है और उसकी योजना विफल हो जाती है, निष्फल हो जाती है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि और कभी आंधी, कभी तूफान और कभी कीटों के दल का हमला, इस तरह से किसान परेशान होता है। किसान तब राहत महसूस करता है। कभी-कभी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। कभी-कभी फसल कट गई, फसल खलिहान में है, उस समय आगजनी की घटना हो गई, बहुत आंधी-तूफान आ गया। बारिश हो गई, उसकी काटी हुई फसल खराब हो जाती है जिसमें उसने सारी मेहनत और पैसा, खाद, डीजल और श्रम खर्च कर दिया।

(1650/SK/KMR)

उसने सारे पैसे खाद, डीजल में खर्च कर दिए और उसके बाद सब कुछ शून्य हो जाता है। उसके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

किसानों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिनका निदान सरकार के पास या कानून में नहीं है, लेकिन हां, सरकार उन्हें सहायता जरूर पहुंचा सकती है, तंत्र उन्हें मदद जरूर कर सकता है। आज कल एक और समस्या पैदा हुई है। मेरे इलाके में ही नहीं, दक्षिण, उत्तर बिहार और देश के अन्य हिस्सों में आवारा पशुओं की समस्या पैदा हुई है। मेरे इलाके में तो नील गाय का बहुत आतंक है। नील गाय के झुण्ड के झुण्ड आते हैं और तैयार फसलों का चुन-चुन कर फल खाते हैं। इस तरह से किसान की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है।

मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नील गाय और आवारा पशुओं के आतंक के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। अगर मारना नहीं चाहते तो उन्हें पकड़कर सुरक्षित स्थान पर रखे। उनकी नसबंदी की जाए ताकि इनकी जो संख्या बेतरतीबी से बढ़ती जा रही है, वह घटे। हमने बचपन में देखा है अगर पटाखा छोड़ देते थे तो नील गाय डरकर भाग जाती थी। लेकिन अब तो वह गोली, बंदूक किसी से नहीं डरती हैं, गांव तक आती हैं। हमारे यहां गर्मी के दिनों में जानवरों के लिए सब्जी का उत्पादन यानी हरे चारे का उत्पादन करते थे। इसे जेठुआ कहते थे यानी जेठ महीने में फसल होती थी। अब हमारे इलाके में सबने जेठुआ फसल का उत्पादन करना छोड़ दिया क्योंकि जहां हरियाली दिखती है, नील गायों के झुण्ड के झुण्ड आकर फसल बर्बाद करके चले जाते हैं। नील गाय की समस्या के समाधान के लिए सरकार कोई न कोई उपाय करे या तो किसानों को इसे मारने की छूट दे, अगर सरकार इन्हें मारना नहीं चाहती तो उनकी नसबंदी करे या किसी सुरक्षित स्थान पर रखे।

किसान ऐसा वर्ग है, अगर किसी को इनका आशीर्वाद मिल जाता है, तो चाहे कोई पार्टी हो या नेता हो, भला निश्चित रूप से होता है। यह इस देश में एक नहीं कई बार प्रमाणित हो चुका है। हमारे परम आदरणीय अटल वाजपेयी जी ने किसानों को ऐसा ही सम्बल दिया था। पहले देश के किसान महाजनों के कर्ज में डूबे रहते थे, उनसे सूद पर पैसा लेते थे। आदरणीय वाजपेयी जी ने किसानों को केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट दिया। यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने, किसानों की आय में वृद्धि हो, वर्ष 2022 तक आय दुगुनी हो और खेती का खर्च घटे, इसके लिए 2,000 रुपये की तीन किश्त यानी साल में 6,000 रुपये दिए। पहले इसकी सीमा थी कि इतने एकड़ जमीन के लिए किसान को 6,000 रुपये वाली सुविधा मिलेगी, इस सीमा को हमारी सरकार ने खत्म किया। अब हर किसान को यह सुविधा मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही किसान का खर्च कैसे घटे, किस रासायनिक खाद को किस मिट्टी में डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, इसके लिए मिट्टी जांच की व्यवस्था की, सॉएल हैल्थ कार्ड की व्यवस्था की। सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की ताकि यह फसल पर ज्यादा कारगर सिद्ध हो, इसका दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो। जब से नीम कोटेड यूरिया बाजार में आया है, तब से यूरिया की कालाबाजारी बंद हुई है। यह किसानों के

लिए बहुत राहत की बात है। अन्यथा यूरिया और फर्टीलाइजर्स के लिए किसान सड़कें जाम करते थे, लाठीचार्ज में लाठियां खाते थे।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो भी कृषि उपकरण हैं, उनकी खरीद पर किसानों को छूट दी जाए। इन पर किसी भी तरह का जीएसटी या अन्य टैक्स न लगे। एक और बात है, किसान ट्रैक्टर खरीदने जाता है।

(1655/MK/SNT)

अगर कोई व्यावसायिक वाहन खरीदना चाहता है या किसी और चीज के लिए कर्ज लेना चाहता है तो बैंक में ब्याज की दर कम है। जब आप ट्रैक्टर या कोई और कृषि उपकरण खरीदने जाते हैं तो बैंक में ब्याज की दर अधिक है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बैंक में ब्याज की दर न्यूनतम की जाए। अंत में दो-तीन सुझाव देकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना 45 वर्षों से लंबित है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। यदि उस सिंचाई परियोजना का काम पूरा हो जाए, उसके डैम में लोहे का फाटक लग जाए तो सवा लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है। इससे हमारे इलाके के किसान समृद्ध और सम्बल हो सकते हैं।

दूसरा मेरा सुझाव है, अभी नामा नागेश्वर राव जी ने रिवर लिंकिंग के बारे में कहा। यदि नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो सूखे क्षेत्र हैं, सूखे इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, यदि गंगा नदी के पानी को दक्षिण बिहार की नदियों में गिराया जाए जैसे बताने, पुनपुन, अदरी, मदार, मोरहर, निलांजन नदियां हैं, इन नदियों में यदि गंगा नदी के पानी को ज्यादा मात्रा में पहुंचाया जाए तो बहुत बड़ी राहत किसानों को सिंचाई के साथ-साथ आम जनों को पेयजल में भी होगी।

मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार को सहकारी खेती का एक प्रयोग करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री कोडिकुन्निल सुरेश): प्लीज समाप्त कीजिए।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम वाक्य है। सहकारी खेती का प्रयोग हो, जैसे मेरे पास पांच एकड़ जमीन है, हम पांच भाई हैं, हर आदमी ने एक-एक एकड़ जमीन के लिए एक-एक ट्रैक्टर और एक-एक अन्य चीजें खरीद रखी हैं तो पूरा गांव एक सहकारी यूनिट बने और जितनी जरूरत हो उतने ही उपकरण हों ताकि उनका खर्च बचे, वे उसी खेत में काम करें, उनको उसकी मजदूरी मिले, उसका फायदा भी मिले। सरकार को निश्चित रूप से सहकारी खेती का प्रयोग करना चाहिए।

मैं अंतिम बात कह रहा हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है- 'वन ड्राप, मोर क्रॉप' इजरायल इस पद्धति को अपना चुका है। लेकिन, यहां यह पद्धति महंगी है इसलिए किसान इसको नहीं अपना पा रहे हैं। इस पद्धति को किसानों तक पहुंचाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसके उपकरण को सस्ता किया जाए ताकि किसान उसको अपना सके, अपने देश में खेती आसान हो सके, सस्ती हो सके और किसानों की आमदनी बढ़ सके।

(इति)

1658 hours

SHRI COSME FRANCISCO CAITANO SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I must thank you for having given me this opportunity.

Sir, our country is an agrarian country. Around 61 per cent of our population depends on agriculture. It also contributes around 25 per cent to our national income. Though our land holdings are small in proportion to our population, we produce just about to feed our huge population and we suffer massive crop loss due to variety of factors that hit our agriculture sector, our people, and the economy. Unless measures are taken in utmost urgency to prevent such losses, we are certainly in for crop shortage and related consequential effects.

I rise to draw your attention to this recurring problem that cripples our agronomy and urge you to tackle it forthwith. Let me share the magnitude of crop loss. It is estimated by several credible agencies that the annual loss is to the tune of 17 per cent, amounting to 17.28 billion US dollars. The losses were occurred in the main crops like cotton, rice, maize, sugarcane, groundnut, pulses, and wheat. In addition to the normal reasons for crop losses like weeds, insects, fungi, bacteria, and virus, storage, processing, and logistics, are also the new factors.

(1700/RK/RPS)

According to the Economic Survey Report of last year, the crop loss due to these extreme temperature shocks is 4 per cent in kharif season and 4.7 per cent in rabi season. Due to below average rainfall, the loss is 12.8 per cent in rabi season and 12.8 per cent in kharif season. So, overall loss due to climate change is 15-18 per cent in irrigated land and 20-25 per cent in unirrigated areas.

Now, let us look at the specific cases. Due to vagaries of nature and conditions leading to sudden climate change, crops in an estimated 1,53,000 were destroyed. In Odisha, cyclone Fani caused a huge crop loss. Coming to Andhra Pradesh, cyclone Phethai created a heavy loss to the tune of Rs.243 crore. Coming further down to Kerala, due to heavy rains, paddy crops in 31,000 hectares were destroyed. Sir, about 1.21 lakh farmers suffered loss, and their loss was mainly in the paddy fields which is the main staple food of Kerala. Another State that I would like to quote is the State of Gujarat, the State of the hon. Prime Minister and the Home Minister. Only a month ago it was reported

that about 45 lakh hectares of kharif area were affected. Soon after that, there was cyclone Kyarr. The Government has reported a considerable damage to the crop in many parts of Gujarat. The Government has deferred the procurement of groundnut and paddy and also has promised crop insurance to the farmers. Even in my State, though a small State, due to torrential rains this year, there were heavy losses.

1703 hours (Dr. Kirit P. Solanki *in the Chair*)

I know that the Government is giving Rs.6000 per year as minimum income support to the farmers. But this holds good under normal conditions. When such catastrophes occur, the Government should ensure that whatever losses the farmers incur are paid to them immediately as then only we can stop farmers' suicides. Otherwise, this will go on increasing.

Sir, to stop the losses due to various reasons, I would like to propose some solutions. National Disaster Mitigation Authority, though they are doing a good job, should advise the farmers with early warning systems to mitigate the impact of climate change.

Farmers should sow high breed varieties that can withstand diseases and pests and also side-by-side they should go for diversification of crops and use of proper pesticides to control the weeds and insects.

It is not enough to produce but proper preservation of produce, like tomatoes, onions and potatoes, is also necessary. We have seen people throwing tomatoes on the roads. Such things should not occur. On the one hand we do not have food to eat as it is so expensive - we are ranked at 100th position on Global Hunger Index - and on the other hand people throw food on the roads. This does not suit to the dignity of our country.

Having said this, I would request the hon. Minister that whenever the farmers suffer, the Government should come to their rescue so that the farmers' suicides will stop, their income will increase and the farming community of our country will prosper. Thank you.

(ends)

(1705/PS/IND)

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this very important and timely issue of crop loss in the country and its consequential impact on the farmers. The imminent consequence is nothing less than committing suicide by the farmers as they have no other option if there is crop loss due to rains or floods or droughts and if they are unable to pay back their loans.

Sir, I have been in this House for the last six years and I have observed that it has become a ritual to take up the discussion; be it related to farmers' suicides, be it related to distress among farmers and be it related to loss of crops due to floods or heavy rains or droughts. But I do not find any improvement over these last six years in the condition of farmers and farmers' suicides are going on unabated.

I do agree that we cannot avoid natural disasters, but we can certainly take remedial measures through appropriate interventions. I am not standing here to give sermons to the hon. Minister. He knows much better than me about the status of farmers. But I certainly wish to make some suggestions which I feel are important to better the conditions of farmers and the farming community. I will be pointed and specific.

My first suggestion is the implementation of all the recommendations of Dr. Swaminathan Commission, which have been only partially implemented so far. Now, we are giving the A2 and the FL component, that is, paid out costs for seeds and fertilizer, interests on working capital and farm labour. It was introduced two years ago. But in the last two years, we have found no improvement in the conditions of the farmers. So, I suggest for the consideration of the hon. Minister to please add the C2 component, as recommended by Dr. Swaminathan. I am sure it will definitely help the farmers to make farming a more viable proposition.

My second suggestion is that the consumption of food grains has to go up through effective implementation of the Food Security Act, Mid-Day Meal Scheme and other such schemes. It is only then that the full cycle of production, procurement, storage and consumption is completed. Otherwise, stocks will pile up in godowns resulting in wastage since when the new crops come in, they may not have the place needed for the storage.

The Goal no. 2 of the Sustainable Development Goals mandates to double farm productivity by 2030. I think India has actually been even more ambitious and has set the target as 2020. I would like to know from the hon. Minister what blueprint the Ministry has prepared and what roadmap it has, to reach these targets, as we are only days away from entering 2020.

The distribution of seeds is also very important. But unfortunately, good quality seeds are not available. So, I suggest that the availability and distribution of breeder, foundation and certified seeds, have to be improved considerably and same is the case with chemicals and fertilizers.

The next issue is irrigation. It is unfortunate that in spite of being the second largest irrigated country in the world, we have only one-third of our cropped area under irrigation. So, I suggest for granting at least one national project to every State and also request the Government of India to complete the Polavaram Project, which is the lifeline of Andhra Pradesh by approving its revised DPRs within a time-bound manner.

There are two kinds of calamities. One is natural, which as I said in the beginning, we can, to a great extent, avoid, even though it is difficult. The second one is man-made disaster. You cannot stop man-made disaster, more particularly, when one does it with malicious intention. The recent flash floods of the Krishna River in Andhra Pradesh submerged agriculture crops in as many as 5300 hectares and horticulture crops of 1,400 hectares in the Krishna district. Kolluru, Duggirala, Kollipara, Bhattiprolu and Repalle mandals of Guntur districts, were also severely affected.

The point to be noted here is that this disaster was created deliberately. The objective was to score political points and to prove that the earlier Government was wrong.

(1710/RC/RAJ)

The Government of Andhra Pradesh deliberately mismanaged the flow of flood water to prove that the Capital City of Amaravati is prone to floods and also with the intent to submerge the house in which former CM, Shri Chandrababu Naidu Garu, is staying on rent. The new Government has been intent on shifting the Capital from Amaravati to a location preferred by the CM and had allegedly thought that proving that Amaravati is prone to floods would help them in achieving this without considering that there will be thousands of acres of crop loss and thousands of farmers would suffer as a result of their actions.

(ends)

1711 HOURS

*SHRI M. SELVARAJ (NAGAPPATTINAM): Thank you Sir. Vanakkam. Saint Thiruvalluvar says, "They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life". Mahakavi Bharathi says that we should salute farming and industry and we should discourage those who are idle and pleasure seekers. Saint Thiruvalluvar compares farmers with God in Thirukkural. Today farmers live a miserable life. A farmer toils hard to protect the crop from the time of sowing till its harvest. He is concerned about the crop by watching its every minute growth, every day. If the growth is improper, he always thinks about how to ensure its proper growth. He forgets to sleep till its harvest. A farmer faces several difficulties in ensuring the growth of every crop. He spends more time with the crops than with his children. If he is not into agriculture, this society cannot eat. At times of calamity, he faces so many difficulties. There are two types of natural disasters. Tamil Nadu, particularly the delta districts are like a plain area. People of this area are dependent on agriculture. In 12 districts, agriculture is the main profession. Because of inadequate water for agriculture, farmers are not able to follow periodic farming activities. Union government should therefore ensure supply of water to agricultural areas of Tamil Nadu. All the southern rivers should be interlinked. This Scheme should be implemented immediately. Ganges-Cauvery link scheme was announced when Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister. This scheme is pending till now. This Ganges-Cauvery link scheme should be implemented, Southern rivers should be linked soon. So that agricultural activities may be protected. Farmers spend approximately Rs. 1800 per quintal production of paddy. He produces 20 quintal of paddy in an acre. He is unable to get remunerative price for his produce. MSP is fixed by the Union Government. This should be increased. Dr. M.S. Swaminathan Committee's Report says that we can protect the lives of farmers only by providing 50 per cent extra cost in addition to the production cost. This government should act in accordance to the suggestions of Dr. M.S. Swaminathan Committee. I belong to Nagappattinam parliamentary constituency. There are two districts in my constituency. There are adjoining districts like Thanjavur, Pudukkottai, Perambalur and Cuddalore. Whenever there is a cyclone in the Bay of Bengal, Nagappattinam district is the district which will be affected followed by the districts like Thanjavur, Thiruvarur, Cuddalore, Perambalur and Tiruchirappalli. Almost 12 districts of Tamil Nadu were affected because of Gaja cyclone. As many as 80 lakh coconut trees were uprooted. Many of the beneficial trees were uprooted. As much as 12 lakh hectares of land was inundated. But till date crop insurance claims have not been settled. We have two companies, New India Assurance Company and National Insurance Company which are into crop

* Original in Tamil

insurance business. There should be a national crop insurance scheme. Though that scheme farmers can get insurance cover for their crops and can get compensation. Private players should be restricted. Farmers affected by Gaja cyclone last year did not get their insured amount for loss of crops till now. As many as 196 revenue villages of Nagappattinam district and 206 villages of Thiruvarur district did not get this insurance amount. More than 200 villages of Thanjavur district did not get crop insurance compensation. The coconut growers are suffering till now because of non receipt of compensation for loss of trees. I urge upon the Union Government to intervene in this matter and ensure that compensation is given to farmers who lost their crops due to Gaja cyclone. Thank you Sir.

(ends)

(1715/VB/SNB)

*DR. PRITAM GOPINATHRAO MUNDE (BEED):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Dr. Pritam Gopinathrao Munde in Marathi,
please see the Supplement. (PP 367A to 367F)}

* Origional in Marathi

1726 बजे

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, आज इस सदन के अंदर नियम 193 पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। किसानों के ऊपर बेमौसम बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और जो विभिन्न आपदाएं आती हैं, उससे देश का किसान बहुत-सी तकलीफों से गुजरता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और विशेषकर माननीय अध्यक्ष जी को भी, जिन्होंने नियम 193 पर किसानों के इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा रखी है। मुझसे पूर्व विभिन्न दलों के विद्वान-वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी है। देश के कोने-कोने में किसान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इन पांच सालों के अंदर और उससे पहले जब अटल जी के समय सरकार बनी थी, उस समय भी नदी-नालों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए तकलीफ हो गई थी।...(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछले पांच सालों के अंदर इस देश की तमाम समस्याओं को एक साथ तथा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या को, चाहे भारत को संसार के नक्शे पर मजबूत राष्ट्र बनाना हो या दूसरी जो भी समस्याएं थीं, उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया है। किसान के कर्ज़ माफी को लेकर भी बड़ी योजना बनाई है। मैं प्रधान मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं, जो इस देश के अंदर 70 सालों में नहीं हुआ है। आप धारा 370 खत्म कर सकते हैं, आप 35ए खत्म कर सकते हैं। आप किसानों के लिए कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि किसान टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से किसानों को गर्त में डुबो दिया है, 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सिवाय आत्महत्याएं, अशिक्षा और बेरोजगारी के अलावा इस देश को कुछ भी नहीं दिया है।

सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकारों ने देश के धन्नासेठों का तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती है। हमारे राजस्थान में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। वहां पर राहुल गांधी जी प्रचार के लिए गए थे। उन्होंने तब कहा था कि 1,2,3,4,5 या 10 दिनों के अंदर जैसे ही सरकार बनेगी, तब राजस्थान का संपूर्ण कर्ज़ा माफ कर दिया जाएगा। कई राज्यों के अंदर वोट भी लिया है। लेकिन कर्ज़ माफी के नाम पर जीरो है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी की जो योजनाएं हैं, प्रत्येक खेत को सिंचाई के लिए पानी देना, निश्चित रूप से जब इस देश का किसान मजबूत होगा, तो 70 प्रतिशत बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। पहले तो किसानों के पास बहुत बड़ी जमीनें होती थीं, बहुत बड़ी जोत होती थीं, लेकिन जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, किसी दादा के पास 100 बीघा जमीन थी, तो उसके पोते के पास 30 बीघा, 20 बीघा जमीन आती थी। अब हमें यह चाहिए कि जो अकालग्रस्त इलाके हैं, जहां पर अकाल पड़ रहा है, वहां नदी-नालों को जोड़कर देश के प्रत्येक किसान के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, तो निश्चित रूप से किसान का बहुत बड़ा भला हो सकता है।

(1730/GG/SRG)

सभापति महोदय, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की हमेशा मांग उठी। हमने भी राजस्थान की धरती पर बहुत बड़े किसान आंदोलन किए हैं। कई फसलें जो एमएसपी की श्रेणी में नहीं आती थीं, प्रधान मंत्री जी ने उनको भी एमएसपी की श्रेणी में लिया है। कई जगह किसानों के कर्जे माफ किए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की। जो मूंग चार-चार रुपये किलो बिकता था, वह आज सात हजार रुपये बिक रहा है। तमाम वे फसलें, तमाम वे उपज जो बाजार मूल्य से घाटे के अंदर जाती थीं, जिस तरह से जापान अमरीका के अंदर किसान को उपज का दाम बाजार मूल्य से तीन गुना मिलता है, यहां भी उसको बराबर लाने का प्रयास किया है। …(व्यवधान) सभापति महोदय, एक मिनट किसान का मामला है और मैं राजस्थान की तरफ से एक ही सदस्य बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): मेरा सभी से अनुरोध है कि पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। आपको बोलते हुए साढ़े चार मिनट हो गए हैं। …(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): साहब, अभी तो मैंने भूमिका ही बनाई है। दो-चार मिनट तो दीजिए, ये जो पन्ने लिख कर लाया हूँ, ये तो बोलूंगा न? …(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए। …(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, दो-तीन मिनट का समय दीजए। …(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से मांग करूंगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और नरेन्द्र मोदी जी ऐसे प्रधान मंत्री है, उनकी अगर सोच जग जाएगी, उस दिन यह काम भी हो जाएगा। अभी उनके मन के अंदर है, मैं सुबह ही उनसे मिल कर आया था, वे चिंतित हैं, देश के किसान को ले कर, देश के जवान को ले कर। अभी महाराष्ट्र के अंदर नासिक और लासलगांव, जहां प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे देश में होता है, वहां बेमौसम बारिश से प्याज खराब हो गयी, प्याज के दाम बढ़ गए, किसान आंदोलित है।

सभापति महोदय, एक-दो मिनट दीजिए। आप सामने देख रहे हो, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। सुनो साहब, चार मिनट का समय और दे दो, छह मिनट हो चुके हैं। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: kindly conclude your speech in one minute.

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। किसान पर चर्चा हो रही है और किसान को मजबूत करने के लिए हम सब एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस वालों ने तो किसानों को धोखा दिया है। …(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री और सरकार से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के साथ जो जालसाजी की जा रही है, प्रीमियम पूरा लिया जाता है, लेकिन किसान की फसलें जब खराब हो जाती हैं, उस समय बीमा कंपनियां भाग जाती हैं। बीमा कंपनियां मनमानी करती हैं, वसूली तो पूरी करती हैं, लेकिन मुआवजे की बात आती है तो आंकलन के लिए समय पर कोई एक्शन नहीं होता है। बैंकों के अधिकारी दलालों की मिलीभगत से पैसे ले कर बीमा क्लेम करते हैं। जिस मंशा के साथ प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू की है, वह प्रभावी रूप से कैसे लागू हो, इस मामले पर, इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। …(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं सन् 2019 में हुई

बारिश के आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् 2019 में देश के 31 प्रतिशत क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुई। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, समाप्त कीजिए। …(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। देखो छह मिनट और 57 सैकेंड्स हो गए हैं, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। 15 प्रतिशत क्षेत्र में कम वर्षा हुई है, 54 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य वर्षा हुई है, जिसकी वजह से किसान अलग-अलग तरह से प्रभावित हुआ है। मेरे राजस्थान की लगभग 27.36 लाख हैक्टेयर जमीन पर किसानों का नुकसान हुआ है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: हनुमान जी, आपका समय समय सात मिनट प्लस हुआ है। मैं अनुप्रिया जी को बोलने के लिए कहता हूँ।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर) : सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अनुप्रिया जी, एक मिनट रूकिए। …(व्यवधान) साहब, आप गैलरी में तो हमसे इतनी अच्छी तरह बात करते हैं। …(व्यवधान) एक मिनट दे दो बस। …(व्यवधान) ज्यादा क्षेत्र में हुआ है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि खराब होने के तुरंत बाद नुकसान का आंकलन किया जाए। …(व्यवधान) मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि छह हजार रुपये, जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्रत्येक किसान तक पहुंचा है, कांग्रेस ने साठ सालों के अंदर जो गड्डे खोदे हैं, उनको भर के किसानों को नई दिशा देने का काम अगर कोई करेगा तो प्रधान मंत्री जी इस देश के किसानों के लिए करेंगे। …(व्यवधान) किसानों के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित और गंभीर सरकार है तो मोदी जी की सरकार है। …(व्यवधान)

(इति)

1734 बजे

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे `Crop loss due to various reasons and its impact on farmers'. की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में फसल की कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जोखिम होता है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का एवं अत्यधिक बारिश हो जाना, बाढ़ सा सूखा हो जाना।

HON. CHAIRPERSON: Please do not interrupt.

… (*Interruptions*)

(1735/KN/KKD)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Jagdambika Pal-ji, please take your seat. पूरा देश देख रहा है कि किसको किसानों के प्रश्न में इंट्रेस्ट है।

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Jagdambika Pal-ji, you are a senior Member. Please take your seat.

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। अनुप्रिया जी, आप अपनी बात कहिए।

…(<u>व्यवधान</u>) *… (Not recorded)*

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने crop loss due to various reasons and its impact on farmers की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान किया। कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के पहले अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम की हम जो बात करते हैं, वह जलवायु परिवर्तन है और तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं- अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखा। जून, 2019 से नवम्बर, 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश, जो मेरा अपना राज्य है, वहाँ पर बाढ़ और हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल हेजार्ड्स के कारण 8.8 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र का नुकसान हुआ है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 63.9 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा कीटों का हमला, वन्य जीवों का हमला या आवारा पशुओं द्वारा फसलों का नुकसान होता है। आवारा पशुओं द्वारा जब नुकसान होता है तो राज्य सरकारें उसका ख्याल रखती हैं, लेकिन अन्य जो कारण मैंने बताए हैं, उसका ध्यान रखने के लिए हमारी सरकार ने नए स्वरूप में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ मौसम 2016-17 से लागू किया है। इसके साथ ही पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी शुरू की है। इस बीमा योजना के संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2017-18 में यह दर्शाया गया था कि अपनी फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। मुख्य रूप से जो गेहूं और धान की खेती करते हैं, ऐसे किसान भी पाँच प्रतिशत से कम हैं, जो फसलों का बीमा कराते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि या तो किसानों को फसल बीमा के बारे में जानकारी नहीं है, वह इस बात को नहीं समझते कि सरकार द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में स्कीम की ऑपरेशनल गाइडलाइन्स को रिवाइज्ड करते हुए इंश्योरेंस कम्पनीज के लिए यह मेनडेटरी किया था कि हर मौसम में जो टोटल प्रीमियम उन्हें

प्राप्त होता है, उसका 0.5 प्रतिशत वह पब्लिसिटी और अवेयरनैस के लिए खर्च करें। मैं माननीय मंत्री जी से छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पब्लिसिटी और अवेयरनैस के लिए जो गाइडलाइन इंश्योरेंस कम्पनीज को दी गई थी, उसमें कहां तक उसका अनुपालन हो पाया है?

दूसरी बात, सीएजी ने गौर किया था कि पिछली फसल बीमा योजनाओं में जो गैर कर्जदार किसान होते हैं, उनका कवरेज काफी कम था और विभाग को गैर कर्जदार किसानों का कवरेज बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए भी इंश्योरेंस कम्पनीज को कहा गया था कि पिछले मौसम की तुलना में 10 प्रतिशत, जो गैर कर्जदार किसान हैं, जिन्होंने ऋण नहीं लिया होता है, उनका कवरेज उन्हें बढ़ाना है। इसमें कहाँ तक प्रगति हुई है, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी। यह ज्वलंत प्रश्न है।

तीसरी बात, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने वर्ष 2017 में गौर किया था कि राज्य सरकारें फसलों के नुकसान का जब आकलन करती हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी ऐड्स को अडॉप्ट नहीं करती हैं, सैटेलाइट इमेजनरी का भी उपयोग नहीं करती हैं। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने किसान कल्याण मंत्रालय से कहा था कि राज्य सरकारों से आग्रह करें कि ये सारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐड्स हैं, इनको अडॉप्ट करें। इसके साथ ही जो फसल की कटाई के संबंधित परीक्षण होते हैं, ये भी पूरी ईमानदारी से राज्यों के अंदर नहीं किए जाते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है।

चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो बीमा के दावों का निपटारे का समय है, वह कम होना चाहिए। दो महीने में निपटारा होना चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव भी दिया था कि लंबित दावों का जो निपटारा है, उसकी निगरानी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेट-अप किया जाए। कहां तक इन सारे सुझावों का अनुपालन हुआ है, मैं यह माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी।

मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि कृषि को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आपने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए सात सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है, जिसमें 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप', 'सॉयल हेल्थ कार्ड', भंडार एवं कोल्ड स्टोरेज पर भारी निवेश, खाद्य प्रसंस्करण के जरिये मूल्य संवर्धन, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ, कृषि, डेयरी, पशु पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को बढ़ावा देना। पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक मदद किसानों को देना और पीएम किसान मान धन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये की पेंशन का प्रावधान करना, सरकार ने ये सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

(1740/CS/RP)

मैं इसके साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले तक को यह अधिकार है कि वह अपने उत्पाद की कीमत स्वयं तय करे। सिर्फ इस देश के 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले अन्नदाता किसान को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी उपज का दाम, उसकी कीमत स्वयं तय करे। यह तभी संभव होगा जब भारत की सरकार एक ऐतिहासिक फैसला लेगी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और मैं सरकार से यह माँग करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

आपने मुझे आज की इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पुन: आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। (इति)

1741 बजे

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे खासदारों, एमपीज ने यहाँ पर महाराष्ट्र के किसानों के बारे में, अपने-अपने क्षेत्र से, पूरे महाराष्ट्र से संबंधित किसानों के बारे में बात की है। आज हमारे महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में और हमारे क्षेत्र में ओवर रेन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हर जिला, हर तालुका में घूमकर जब हमने ग्राउंड लेवल पर किसानों की परिस्थिति देखी तो आज उनकी आँखों में आंसू नहीं, खून निकल रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, 24 घंटे खेती करने के बाद, मिट्टी में रहने के बाद आज उनके हाथों में कुछ नहीं है। किसी ने इकरी में दो लाख रुपये लगाए हैं, किसी ने इकरी में 50 हजार रुपये लगाए हैं, लेकिन अगर आज ऐट दी लास्ट मूवमेंट देखते हैं तो किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। सोयाबीन का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, कॉटन का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है, तूर का नुकसान हुआ है, मूँग का नुकसान हुआ है। विदर्भ में सबसे ज्यादा संतरा होता है, उसे संतरा सिटी बोलते हैं। आज हमारे पूरे विदर्भ में पूरे संतरे का नुकसान हो गया है। धान का नुकसान हुआ है। ये सब चीजें देखते हुए मैं मंत्री महोदय से सिर्फ इतनी विनती करूँगी कि आप यहाँ से एक स्पेशल टीम महाराष्ट्र के लिए भेजिए, जो यह पता लगाए कि पूरे विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कितना नुकसान हुआ है। कहीं पर शुगरकेन का नुकसान हुआ है। हमारे विदर्भ में, जहाँ पहले बहुत सूखा हुआ करता था, आज वहाँ पर ज्यादा पानी से नुकसान हुआ है। एक दूसरी समस्या हमारे किसानों को रात के समय में दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी से है। वहाँ रात के समय में 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। 12 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पूरा दिन किसान खेतों में काम करता है और रात में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। पूरे दिन तो किसान खेतों में मजदूरी करता है और रात में जब उसके सोने का समय होता है, तब उन्हें लाइट दी जाती है। दिन में वह सो नहीं सकता और रात में लाइट उसे सोने नहीं देती है। मेरी मिनिस्ट्री से विनती है कि अभी जो आप लोग निर्णय लेंगे, तो यह लोड शेडिंग का जो मुद्दा हमारे महाराष्ट्र में है, इसे खत्म करना चाहिए। दिन में जो किसान खेत में मजदूरी करता है, कम से कम रात में वह चैन से सो पाये, इस तरीके की मदद उन्हें मिलनी चाहिए। जितने भी खेतों के आजू-बाजू जंगल हैं, ऐसे बहुत सारे खेत हैं, जिनके आजू-बाजू जंगल होते हैं। वहां कभी पानी से नुकसान होता है, कभी सूखे से नुकसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जंगली जानवरों के हल्ले से होता है। इसके लिए चेनिंग, फेंसिंग मिनिस्ट्री को करके देनी चाहिए। इसके लिए उनकी मदद देनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। पानी जब आयेगा, वह तो ऊपर वाले की देन है, जब पानी आयेगा तो पानी लेंगे, पर जो हम खेतों को सेव कर सकते हैं, जंगलों के आसपास जो खेत हैं, वहाँ पर अगर स्पेशियली चेनिंग, फेंसिंग किसानों के खेतों में लगाकर दें, ताकि उनके खेतों को जानवारों से नुकसान न हो, मैं इतनी आपसे माँग करती हूँ।

मैं कर्जमुक्ति की बात पर आती हूँ। जिस तरीके से हमारे एक खासदार ने अभी यहाँ पर बताया कि कर्ज मुक्ति पवार साहब के टाइम पर हुई थी। मैं केन्द्र से इतनी माँग करूँगी, मुझे पता है कि केन्द्र में और राज्य में अलग-अलग सरकारें हैं, तो यह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी माँग रखती

हूँ कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में आज किसानों की परिस्थिति बहुत खराब है। पक्षों का भेदभाव छोड़कर केन्द्र से राज्य को बहुत ज्यादा मदद मिलनी चाहिए। राज्य और केन्द्र से मिलकर कम से कम 50 हजार करोड़ रुपये की मदद हमारे राज्य के किसानों को मिलनी चाहिए। हमारे राज्य में किसानों की कर्जमाफी होनी चाहिए, जिससे हमारे किसान आने वाले समय में जी कर लोगों को जिन्दा रख सकें। उस तरह से हमारे किसानों की मदद होनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ। जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, जब हमारा किसान बैंक में जाता है, तो उनसे कहा जाता है कि आप ऑनलाइन कीजिए, इस समय पर आइए, उस दिन आइए, चार-चार दिन, एक-एक हफ्ता उन्हें सिर्फ घुमाते रहते हैं।

(1745/RV/RCP)

200 से 300 रुपये कमाने वाले किसान को अगर आप एक महीने, दो महीने बैंकों में घुमाएंगे, उन्हें आप खेती करने के लिए लोन नहीं देंगे तो वे मजबूर होकर लाइनों में खड़े होंगे। महाराष्ट्र में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं और जहां पर भी किसान हैं, तो मैं सिर्फ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों को आदेश दें कि जितने भी किसान आते हैं, उन्हें ईज़ी एवलेबल कराके वन-विंडो करके सभी सुविधाएं दें, ताकि उनके लिए लोन लेना आसान हो और आने वाले समय में वे अच्छे तरीके से खेती कर पाएं।

सभापति महोदय, मैं बस इतनी विनती आपसे करती हूं।

(इति)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहुत सारे सदस्य इस पर बोलने वाले हैं, इसलिए आप अपनी बात पाँच-पाँच मिनट में समाप्त कीजिए।

1745 बजे

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज बोलने की परमिशन दी। श्री सुरेश और श्री कीर्तिकर जी आज यह नियम 193 के तहत चर्चा को लेकर आए हैं और इसके तहत हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, मैं झालावाड़-बारां से चुना गया हूं। पार्टी ने मुझे बोलने का समय दिया और पार्टी की वजह से ही मैं सब कुछ हूं। मुझे यह कहना है कि बारिश आने के कारण लगभग 13 प्रान्तों में फसलें खराब हुईं। इनमें केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और अन्य राज्य हैं। मैं हड़ौती क्षेत्र से आता हूं, जहां के माननीय स्पीकर सर हैं। एक जगह पानी है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। वे बाड़मेर से आते हैं। वहां रेगिस्तान है। पर, इस बार मैं आपको पानी के आंकड़े देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बारिश हुई। वहां नॉर्मल बारिश 760 मिलीमीटर है। पर, इस बार बारां में 1087 मिलीमीटर की बारिश हुई। झालावाड़ में 813 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी जबकि वहां बारिश लगभग 1492 मिलीमीटर हुई। इतनी बारिश होने से हमारे यहां फसलें खराब हुईं। फसलें खराब होने से हमारे यहां की वर्तमान राज्य सरकार के पटवारी से लेकर तहसीलदार को इसकी जांच करनी थी, पर अब तक नुकसान हुए फसलों के लिए राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया है। हमारे यहां कुछ महीने में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि किसानों को मिलने वाले पैसे उन चुनावों के आने से कुछ ही दिन पहले उनके खाते में जाने चाहिए। आदरणीय मोदी साहब ने प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत सभी लोगों के खाते खोले। राज्य सरकार ने यह कहा है कि उनके खातों में पैसे तभी जाएं जब वहां पंचायत चुनाव आने वाले हों। एक तरफ हमारे किसान हैं, जो सबके लिए अन्न उपजाते हैं और खुद भूखे सो जाते हैं। हम उनके कर्जदार हैं और फिर वे हमसे अपना हक मांगते हैं तो हमें उन्हें उनका हक देना चाहिए। राज्य सरकार ने पूरा काम नहीं किया है तो मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि आप इसका सर्वे कराएं, ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को भी पैसे मिलने चाहिए।

हमारे यहां जैसे खरीफ की फसल खराब हुई, उसी तरह से हमारे यहां रबी की फसल भी खराब हुई। हमारे यहां हेलस्टॉर्म आए। इसे देखते हुए हमें वहां जाकर इससे हुए नुकसान की जांच करनी चाहिए।

महोदय, आज मुझे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण हो रहा है, जिन्होंने रिवर लिंकिंग की बात की थी। पहले के वक्ताओं ने भी इसके बारे में बात की। इसे देखते हुए पूर्व की राजस्थान सरकार ने एमजीएसए का काम किया था। राजस्थान की पूर्व सरकार ने वहां 3,53,700 हेक्टेयर्स को पानी दिया, जिससे वहां का वाटर लेवल बढ़ा। पर, आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जहां से स्पीकर सर आते हैं, वहां परवन डैम है, जिसके पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। इसके लिए राजस्थान की पूर्व सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपये दिए थे। वहां वाटर लिंकिंग का काम बहुत स्लो चल रहा है। मैं आपसे गुज़ारिश करूंगा कि आप राज्य सरकार के साथ बात करके उस काम को जल्दी कराएं।

महोदय, मुझे आज यह कहने की बहुत जरूरत है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने बाजरे के एम.एस.पी. को बढ़ाया है।

(1750/MY/MMN)

वर्ष 2010-11 में बाजरे का एमएसपी 880 रुपये था। अब उसका एमएसपी प्रति क्विंटल लगभग 2,000 रुपया हो चुका है। मेज का एमएसपी 880 रुपये से बढ़कर 1760 रुपया हो गया है। मूंग का एमएसपी 7,050 रुपये हो चुका है। उड़द का एमएसपी भी बढ़ चुका है। हमारे क्षेत्र में सोयाबीन भी होता है और उसका भी दाम बढ़ चुका है। हमारे क्षेत्र में पानी आने के कारण सोयाबीन की पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी।...(व्यवधान)

सर, मुझे दो मिनट और दीजिए। इसके साथ-साथ हमारे कपास के लिए भी राशि बढ़ाई गई है। इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलाई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 में फसल बीमा योजना के लिए 31,062 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। आज इसकी राशि भी हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने बढ़ायी है। इसको देखते हुए, हम चाहेंगे कि यह राशि हमारे किसानों को मिले। हमारे किसानों की जो फसल खराब हुई है, उसके लिए भी मदद देनी चाहिए।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए भी काम किया है। इससे हमारे क्षेत्र का क्रॉपिंग पैटर्न भी बढ़ा है।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): कृपया,कनक्लूड कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): सर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुझे यह कहने की जरूरत है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की बात की है। हमारे राजस्थान में केवल 27,000 लोगों को ही इससे लाभ हुआ है। बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उनको भी लाभ मिलना चाहिए। पेंशन के लिए जो राशि रखी गई थी, उसको देखते हुए ऑयल सीड मशीन के काम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती होती है। हमारे हड़ौती में अश्वगंधा तथा सफेद मूसली की खेती होती है। इन सभी चीजों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। राजस्थान में हमारे किसान दिन-रात काम करते हैं, जैसे आपके गुजरात में करते हैं।

माननीय सभापति: दुष्यंत जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): सर, आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2018 में चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हम दो लाख रुपये का लोन वेवर करेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने लोन वेवर नहीं किया है। आज देश में जो भी काम हुआ है, वह आदरणीय मोदी साहब और उनकी सरकार ने किया है। धन्यवाद।

(इति)

1752 hours

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, the farmers in the entire country, right from Jammu and Kashmir in the northern part of India to Kerala in the southern part of India, are in great distress. Today we have seen so many hon. Members mentioning about the plight of farmers in Maharashtra. The price of onion has gone beyond Rs.100. But just before three months, in Maharashtra there were no takers for the onion. So, this is the plight of the farmers. They should be assured of a minimum basic price for all the agricultural produces.

In Kerala, we have around 11 lakh farmers who are doing farming in natural rubber. These farmers do not get the minimum price. Once they were getting around Rs.300 but now they are getting only Rs.120. The cost of production is more than Rs.180.

So many Members were mentioning about Dr. Swaminathan who is the father of Indian Green Revolution. Dr. Swaminathan has mentioned that the farmers should get a minimum of one-and-a-half times more of the cost of production, that is, 150 per cent more of the cost of production. But the farmers do not get even the cost of production anywhere in India.

So, this should be avoided and they should be made eligible to get a minimum support price. In case of rubber, they should get a minimum of Rs.200. I have mentioned it earlier also. Everywhere in India, almost in every State, we have the human-animal conflict. The farmers do the farming but the wild as well as all species of other animals come to their farms and destroy their crops.

(1755/VR/CP)

The farmers cannot touch the animals. They cannot shoot them. Earlier, they were permitted to do that. But now because of the directions from the Forest and Wild Life Department, they cannot do anything. So, these restrictions should be lifted. In Kerala, six out of 14 districts are affected by this problem. In Kannur, there is a very big agitation going on in this regard. About one lakh farmers have decided to go on march before the Collectorate Office. This is a great problem. It has been mentioned by many hon. Members. This should be seriously considered by the Government of India at the earliest because the farmers are not in a position to do farming.

Sir, India has entered into many international trade agreements of which more than 10 are Free Trade Agreements and six are Preferential Trade

Agreements. These agreements have adversely been affecting the farming community. The farmers of all sectors of agriculture are not getting proper prices of their produce because of the tariff free import of agricultural products from foreign countries. This should be avoided. This is applicable to rubber, coffee, pepper and even for milk products. This should be reviewed at the earliest.

Recently, we were talking about The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement. If we get into this agreement, it would have 16 countries as its members, including India. If we go for this agreement, there will be free trade among these countries and India will have to import their products without any tariff, which will again badly affect farming in India.

I also request the Government to consider giving a minimum pension to the old age farmers. The Government employees get regular increments. Moreover, they get Dearness Allowance according to the Cost-of-Living-Index. But the farmers do not get even the cost which they invest. They should be given a minimum pension of Rs.10,000 instead of any other financial support given by the Government.

(ends)

1757 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you, Sir, for allowing me to participate in this discussion under Rule 193 regarding crop loss due to various reasons.

Sir, despite technological development, IT development, service sector development and industrial development, India's backbone is agriculture and more than 60 per cent of the population in the country still depends on it. But, unfortunately, due significance and importance is not given to the farming community in India even after 70 years of Independence.

Sir, in 1996, when I came to Parliament in the 11th Lok Sabha, I remember that in the Budget discussion we used to say that 33 per cent of the total GDP was contributed by agriculture. Now, the contribution of agriculture has just come down to 11 or 12 per cent. That means, agriculture production in the country is shrinking because of the loss of crop due to various reasons which has to be addressed on top most priority.

Sir, the Government is following a policy to formalize almost all the informal sectors in the country. We know what happened to the retail sector. After implementation of GST, informal sectors being formalized means it will affect the largest population of our country. If you formalize the informal sectors, major population of the country, especially the common people of the country will be excluded from the mainstream. That is happening in the agricultural field also.

Sir, we have passed the Food Security Act. Do we know what is the food need of the country? Are we able to produce to satisfy the need of the country? This has to be first taken into consideration. The statistical report goes to show that by 2050 India's population will be 1.65 billion which is now 1.32 billion. Suppose, by 2050, India's population increases to 1.65 billion, whether we will be able to meet the food demand of the population at that time of our country. ....*(Interruptions)*

(1800/SAN/NK)

RE: EXTENSION OF TIME

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा देते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

DISCUSSION RE: CROP LOSS DUE TO VARIOUS REASONS AND ITS IMPACT ON FARMERS – Contd.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the question is whether by 2050, we will be able to meet the food needs of the population of India, which is increasing.

What is the main reason? Animal-man conflict is there, but according to me, definitely the animals should be protected and also, the farmers should be protected, for which a huge investment is required. I know that in the areas of western ghats in my constituency, farmers are suffering like anything because of the animals. So, the animal-man conflict can be prevented by using scientific methods now-a-days.

Sir, climate change or weather change is the main reason for loss of the crop. If we examine the so many studies which have been made, they say that wheat, maize and sorghum are the worst hit by this phenomenon of climate change. By 2030, rice and wheat are likely to see six to ten per cent decrease in yields. There are also examples of crops like potato, soybean, chick pea and mustard on which climate change will have a neutral or positive impact. If that be the case, the position will be very devastating because we will not be able to meet the minimum requirements to feed the people of our country.

Sir, now we are importing onions from Egypt. Suppose, if this goes on like this, there will be a disastrous condition. That is why, Pandit Jawaharlal Nehru decades back had said, 'If you are not considering the concerns of the agricultural community in the country, India will be going on to a disastrous way.' Now-a-days, that is coming true, if we examine. My suggestion is that an innovative system based on indigenous and traditional knowledge that protects the natural resources' base while increasing the productivity is needed. Mere productivity increase will never meet the purpose because after the Green

Revolution, we all know, the entire focus was on increasing productivity and production. Unfortunately, we were not concerned about the environmental impact, climate change, soil health and all such things. Subsequent to the Green Revolution, if we examine, the fertility of the soil has gone down. So, we have to protect the environment and the ecological system also.

My last point is regarding the compensation. If there is a crop loss due to flood, drought or any other natural calamity, the compensation, which is being provided according to the National Disaster Management Act, is very meagre. It is an insult to the farming community. So, I urge upon the Government to kindly review the compensation which is enunciated in the National Disaster Management Act as it is very meagre. It has to be increased according to the cost of production. The main problem the farmers are facing is that there is a big difference in the cost of production and the price of product. That is the basic reason. This anomaly has to be rectified for which I fully support the suggestion made by Shri Thomas Chazhikadan that the farmers should be considered equal to the Government servants for all purposes.

With this, I conclude.

(ends)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपनी बात चार मिनट में समाप्त करें।

1804 hours

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में बाढ़ से सर्वाधिक नुकसान हुआ है और पूरी कहानी कहने के लिए मुझे आपका थोड़ा संरक्षण चाहिए।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): समय नहीं है, आप अपनी बात मर्यादित समय में कनक्लूड कीजिए।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): सभापति महोदय, मेरे हयात और मेरी जिन्दगी में इस साल मेरे क्षेत्र में जितने किसानों का नुकसान हुआ है, इसके पहले मैंने कभी इतना नुकसान नहीं देखा। (1805/SK/RBN)

मौसम की बदमिजाजी के जितने तरीके और रूप हैं, सबका हमला देश के किसानों पर हुआ है। कहीं ज्यादा बारिश हुई, कहीं तूफान आया, कहीं आंधी आई, कहीं साइक्लोन से नुकसान हुआ और कहीं कम बारिश से नुकसान हुआ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों की दीवाली फीकी गई। देव उठनी एकादशी के लिए किसान कहने लगे कि यह देव उठनी एकादशी नहीं है, यह तो देव रूठनी एकादशी है, देव रूठ गए हैं। मेरे इलाके में हुए नुकसान पर किसी एक नौजवान ने इसी प्राकृतिक आपदा पर सोशल मीडिया पर कविता डाली जो लाखों लोगों ने पढ़ी।

जमीन जल चुकी, आसमान बाकी है,
दरख्तो तुम्हारा इम्तिहान बाकी है,
वो जो खेतों के मेढ़ों पर उदास बैठे हैं,
उन्हीं की आंखों में अब तक ईमान बाकी है,
बादलो, अब तो तरस खाओ किसानों पर,
किसी का मकान गिरवी, किसी का लगान बाकी है।

सभापति जी, यह कहानी मेरे लोक सभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की विडम्बना तो यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों की राहत के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र में उनको लाभ नहीं मिला है। किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं। बुरहानपुर जिले में 64,000 किसान पंजीकृत हैं, लेकिन इसमें से मात्र 22,000 किसानों को ही किसान सम्मान निधि मिली है। दो लाख रुपये का कर्ज माफ करने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की थी इसलिए किसानों ने कर्ज नहीं भरा। जब नया कर्ज उठाते हैं तब ही फसल बीमा प्रीमियम कटता है। नया कर्ज इस आस में किसानों ने नहीं उठाया कि कर्ज माफ हो रहा है, लेकिन फसल बीमा प्रीमियम भी नहीं कटा, इस कारण आज वे फसल बीमा के लाभ से भी वंचित हो चुके हैं।

आप मध्य प्रदेश की …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के बारे में कहने का वक्त कम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों का सबसे भारी नुकसान प्रदेश सरकार की गलत

नीतियों के कारण हुआ है। मैं …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) के बारे में कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): आप मध्य प्रदेश सरकार कहिए।

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खण्डवा): मध्य प्रदेश सरकार मुफलिसों पर यह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है।

मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है। इस संकट के साल में मेरा सुझाव है कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाए। मनरेगा की राशि खेती से जुड़ जाने से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। ऐसा करके किसानों को बहुत राहत दी जा सकती है। मोदी है तो मुमकिन है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यही आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश को बहुत राहत पहुंचाई है, एक हजार करोड़ रुपये की राहत दी है, यदि आप और राहत देंगे तो बहुत कृपा होगी।

(इति)

1809 hours

*SHRI ABU TAHER KHAN (MURSHIDABAD):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Abu Taher Khan in Bengali ,
please see the Supplement. (PP to 384A to 384C)}

*Original in Bengali

1814 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me an opportunity to talk about the most important subject which is the need of the hour for the country. I will take only four minutes, as you have suggested, to speak on four important points.

The first point is regarding the insurance claim that is to be made by the farmers. As of now, under the Fasal Bima Yojana, the time given is only three days for the farmers to submit the proposal. As you know, farming is a sensitive subject and farmer is the most sensitive person. He needs considerable time to recover and come out of the shock of any calamity that happens. In this regard, I would request to change the present time of three days to submit the claim and fulfil the formalities. At least ten days' time should be given to address this particular important issue.

Another issue is that, Sir, when there is drought in some districts, the State Government gives the information to the Centre to send the team. For example, in Andhra Pradesh, we have south-west monsoon as well as north-east monsoon.

(1815/SPR/RPS)

If there is a failure of the south-west monsoon, by the time we give the representation and the team is sent, due to north-east monsoon, rainfall must have been there. Due to this, there is a misunderstanding that this claim is a wrong claim. If the team is sent at the right time, then, this kind of anomalies would not happen.

In our State, our hon. Chief Minister has started a scheme, Cultivator Credit Card. Instead of Farmer Credit Card, it is the Cultivator Credit Card because more than 50 per cent of farming in this country is being done by the cultivators. We call it `*kaulu daru'* in our language, Sir.

For the cultivators, unfortunately, there is no availability of credit. Any bank that gives the loan, takes land as collateral. Cultivators are not getting a loan under any other scheme. Hence, they go to private lenders to get a loan at the highest rate of interest. They are in tremendous trouble. To come out of this hardship, our State has started a scheme. I would request the hon. Minister of Agriculture, who is a largehearted man and who knows the problem of the

people, to kindly see how since between 50 and 60 per cent land is with the cultivators, protect the rights of the cultivators at the Government of India level.

The hon. Prime Minister is implementing the *Fasal Bima Yojana.* In our State, our Chief Minister is giving 50 per cent, in addition to the insurance that is given by the Government of India. In our State, we are asking farmers to pay only one rupee. This is giving a lot of comfort to the farmers. Without farmers, there is no life; there is no humanity. Farmer is greater than God, according to me.

I would urge the Government of India, through you, ánd our beloved hon. Prime Minister to consider giving premium under the *Fasal Bhima Yojana,* with a request to kindly make it 100 per cent. Every farmer would be immensely happy with this act. We all feel that the farmer is God. Right from our childhood, we have been saying, *`Jai Kisan', `Jai Kisan.* Let us do justice to the farmers by giving crop insurance at the national level by the hon. Prime Minister, through our hon. Minister.

(ends)

1818 बजे

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): महोदय, आज सारा देश चिन्तित है कि किसान का जिन्दा कैसे रखा जाए और लगभग हर सेशन में यह चर्चा होती है। मैं हैरान हूं कि विपक्ष के कुछ भाई, जिनको कभी न कभी अपनी स्टेट में या कहीं न कहीं सरकार चलाने का मौका मिला है, इतना एग्रेसिव होकर बोलते हैं कि जैसे आज केवल बीजेपी की सरकार ने ही कुछ नहीं किया, जबकि सच्चाई यह है कि माननीय मोदी जी ने जब से एमएसपी लागू की, प्रधान मंत्री बीमा योजना लागू की, मैं अपने राज्य हरियाणा और अपने क्षेत्र की बात करता हूं, पिछले 50 साल में हमें इतनी ज्यादा फसल बीमा योजना नहीं मिली, जितनी हमें पिछले चार साल में मिली है। एमएसपी के तहत जिस प्रकार से बाजरा और सरसों के रेट्स बढ़े हैं, अगर इसी प्रकार से दो-चार बार और बढ़ोतरी हो जाए तो मैं मानकर चलता हूं कि किसान दोबारा खेती की ओर बढ़ेगा।

इसके साथ ही, आज जरूरी है कि हम केन्द्र सरकार की तरफ से केवल 25 प्रतिशत खरीद करते हैं, प्रदेश की सरकार को कहकर, जिस भी फसल का एमएसपी है, वह दाना-दाना खरीदा जाए, ताकि किसान अपनी चीजों को बेच सकें। आज जिस प्रकार से दिल्ली और सारे देश में प्याज का झगड़ा पड़ा हुआ है, अगर हम किसान को प्याज का भी एमएसपी देने की बात कर लें, उसकी भी कीमत तय कर लें तो मैं यह मानकर चलता हूं कि अकेला हरियाणा दिल्ली की पूर्ति कर देगा। यह जरूरी है कि हम टमाटर हो या प्याज हो, इनके लिए एमएसपी लागू कर लें।

दूसरी तरफ जहां भारत सरकार और एफसीआई वेयरहाउसेस नहीं बना सकतीं और प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, वहां एफसीआई एक साल का जितना पैसा एफसीआई प्रति क्विंटल लोडिंग, अनलोडिंग और रखरखाव के लिए खर्च करता है, जो करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल होता है, वही पैसा अगर हम किसान को दे दें तो वह खाद्यान्न खराब नहीं होगा, उसका रखरखाव किसान अच्छी तरह से कर पाएगा और आपका पैसा भी बचेगा।

आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार स्टेट्स को फूड पार्क्स दिए गए हैं, बहुत-सी सरकारों ने अभी तक उनको टच भी नहीं किया है।

(1820/IND/UB)

आप कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के तहत एक जिले में एक फूड पार्क की मंजूरी जरूर दें, ताकि छोटा किसान सब्जियों की फूड प्रोसेसिंग करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए।

महोदय, पराली के बारे में, अवशेषों के बारे में पर्यावरण मंत्रालय, एनजीटी भी बार-बार कहती है। मेरा कहना है कि रैपर की मशीन को भारत सरकार या प्रदेश की सरकारों के माध्यम से किसान की सोसायटी को दे दें, तो पराली से जो चारा बनेगा, वह गौशालाओं में भेज जा सकता है। इससे गायों को खाने के लिए अच्छा चारा मिल सकता है। आज सीमांत किसानों के काम के लिए मनरेगा लागू है किंतु नीचे के अधिकारी, खास कर जिला केंद्र अधिकारी पंचायतों को काम नहीं करने देना चाहते हैं। पंचायतें डरी हुई हैं। यदि सही निर्देश चला जाए, तो मनरेगा को छोटे किसानों पर लागू कर सकते हैं। किसान पशु भी पालते हैं, क्योंकि अकेली फसल से काम नहीं चलता है। मिल्क प्रोडक्ट्स

और दूध को एमएसपी में शामिल कर लिया जाए, तो किसान पेट पाल सकता है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर सैट या ड्रिप इरीगेशन में जो भी सामान होता है, किसान यह सामान किसी भी कम्पनी से खरीद सके तो ठीक है, क्योंकि सब्सिडी देने के बाद भी जिस कम्पनी का वह सामान खरीदता है, दूसरी कम्पनी का सामान बिना सब्सिडी के भी उस कम्पनी से सस्ता मिलता है। आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें ज्यादा बढ़ना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि जो भी आर्गेनिक फार्मिंग करे, उसे 20 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा मिलकर जरूर दिए जाने चाहिए।

(इति)

1821 बजे

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति जी, आपने मुझे एक गंभीर और हर वर्ष आने वाली त्रासदी के विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। बाढ़ एक नैसर्गिक आपदा ही नहीं, मानव निर्मित भी है। इसमें देश भर के किसानों की फसल के साथ-साथ उनके जानवरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। किसानों का कभी न भरने वाला नुकसान होता है। पत्नी, बच्चे बेसहारा हो जाते हैं और अंत में वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी आत्महत्याएं महाराष्ट्र में करीब 13 हजार किसानों ने की हैं। इसी कड़ी में मेरे मातृस्थल महाराष्ट्र के किसानों और असंख्य गरीब परिवारों के लिए भयानक संकट की कहानी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, बीते अक्तूबर और नवम्बर में बेमौसमी ओलावृष्टि और बाढ़ ने सम्पूर्ण महाराष्ट्र को हिला कर रखा है, जिसमें कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर और पुणे परिसर में खेती पूरी तरह से नष्ट कर दी है। महाराष्ट्र के विशेषत: सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिले के साथ ही राज्य के कुल 34 जिलों में 23806 गांवों में इस अक्तूबर, नवम्बर में भारी ओलावृष्टि हुई है। बाढ़ और तूफान से गांव, शहर और खेती, लगभग 93,89,000 हेक्टेयर की खड़ी फसल और बागवानी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है तथा बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हुई है। यह भयानक दृश्य देखने वाले के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जगह-जगह मरे हुए जानवर दिखाई दे रहे हैं। भारी ओलावृष्टि और बाढ़ में 1,04,000 किसानों का भारी नुकसान हो चुका है। महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने खड़ी फसल का नुकसान मुआवजा आठ हजार रुपये प्रति एकड़ और बागवानी के लिए 18 हजार रुपये प्रति एकड़ और कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपये की राशि घोषित की थी। भयानक बाढ़ और उससे हुए नुकसान को देखते हुए घोषित सहायता राशि अत्यंत अधूरी और कम है। जितना पैसा घोषित किया गया था, उससे भी बहुत कम पैसा वितरित किया गया। दुर्भाग्य से उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन था। राज्यपाल महोदय ने जितना हो सका, उतना एनाउंसमेंट किया, लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, उसी कड़ी में नुकसान की भरपाई नहीं दी गई। अभी नई सरकार आई है और उद्धव जी ने काम करना शुरू कर दिया है और कास्तकार के लिए जो मदद देनी है, निर्णय ले चुके हैं।

(1825/RAJ/KMR)

मैं यहां केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों को तूफान बचाया जाए।…(व्यवधान)

सर, अभी तीन मिनट 26 सेकेंड्स हुए हैं। कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दें। मैं मछुआरों के बारे में कहना चाहता हूं।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): Conclude in four minutes.

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH-WEST): Sir, actually it is I who proposed this discussion. My name appeared in today's List of Business.

Unfortunately, I could not come in time. So, please give me two minutes and I will conclude.

सभापति महोदय, तूफान और बाढ़ से नुकसान के कारण किसानों की दयनीय स्थिति हो गई। उसे देखते हुए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि किसानों के लिए कम से कम 40 हजार करोड़ रुपये की सहायता निधि घोषित करे। खेती के लिए आठ हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की जगह 20 हजार रुपये और बागवानी खेती के लिए 18 हजार प्रति हेक्टेयर की जगह 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि पीड़ित किसानों के लिए तत्काल दी जाए, जिससे किसानों को कुछ दिलासा मिले। इसके अलावा खेती उत्पादनों पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया जाए, बच्चों के स्कूल की फीस माफ कर दी जाए, खेती कर्ज पर लगने वाला ब्याज पूर्णत: माफ किया जाए, खेती कर्ज की अवधि अगले मौसम एवं उत्पादन मिलने तक स्थगित की जाए, खेती के लिए बिजली पंप का बिल भी माफ किया जाए। 'रोजगार हमी योजना' के तहत किसानों एवं पीड़ित परिवार के सदस्यों के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध किया जाए।

महोदय, बेमौसम ओला वृष्टि और बाढ़ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।…(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : रितेश पाण्डेय जी, यह रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप अपनी बात शुरू करें।

…(व्यवधान)…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

1828 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में इम्प्लॉयमेंट रेट कृषि में सबसे ज्यादा होता है। करीब 70 प्रतिशत लोग खेती और किसानी में लिप्त हैं। जाहिर-सी बात है कि जब इस देश के आंकड़े सामने आते हैं और यह दिखता है कि खाद्य पदार्थों की खरीद ग्रामीण इलाकों में गिर गई है, इससे सीधे यह दर्शाया जा सकता है कि कहीं न कहीं किसानों पर भारी संकट मंडरा रहा है। इसका प्रमुख कारण मैं बार-बार कह चुका हूं एवं अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि वह जलवायु परिवर्तन है और उसके साथ-साथ सरकार की कुछ खराब नीतियां हैं।

अगर आप नम्बर एक पर देखेंगे तो किसानों की खेती सबसे ज्यादा छुट्टा पशुओं से प्रभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और खास तौर से मेरे जिले अम्बेडकर नगर में, मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत छुट्टा पशुओं का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि उन्होंने हर एक फसल को नष्ट किया है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि अभी हाल ही में बारिश बहुत लंबे समय तक हुई, जिससे फफूंदी बीमारी फैली, जिसको अंग्रेजी में राइस ब्लास्ट कहते हैं। इससे उनके चावल की फसल पर फंगस लग गया, जिससे उनके धान के बीज काले पड़ गए और वे बाजार में बिक नहीं पा रहे हैं। इससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत इसका सर्वे नहीं करवाया गया और किसानों को बहुत नुकसान हुआ। माननीय मंत्री जी को इसे संज्ञान में लेने की बहुत जरूरत है।

मान्यवर, जलवायु परिवर्तन से खास तौर से मानसून के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। उसके कारण सूखा पड़ जाता है और यदि मानसून आता है तो वह बहुत भारी तरीके से आता है। अभी आप ने हाल ही में इसे महाराष्ट्र में देखा। अभी लोग बता रहे थे कि कपास और सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है।

(1830/VB/SNT)

इसी प्रकार से, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, तो सूखा पड़ने पर तमाम जगहों पर नुकसान होते हैं। जब मानसून के पैटर्न में इस तरह से बदलाव आएंगे, तो कहीं-न-कहीं सरकार को इसका संज्ञान लेने की जरूरत है और क्लाइमेट चेंज के लिए भारी मात्रा में पैसे देने की जरूरत है। हमने किसानों के कल्याण के लिए बहुत पैसे दिए हैं। यह एक अच्छी चीज है। लेकिन जब तक हम क्लाइमेट चेंज पर अच्छी तरह से शोध नहीं करेंगे, जब तक उसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जो पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे हिमालय पर हिम पिघलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम गंभीरता से इसका संज्ञान नहीं लेंगे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम इसमें लीड नहीं लेंगे, तो कहीं-न-कहीं यह हमारे लिए एक बड़ी क्षति का समय होगा।

मान्यवर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जलवायु परिवर्तन खास तौर से किसानों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि जब मानसून का पैटर्न बदलता है, आज भी 60 से 70 परसेंट किसान सिंचाई के लिए मानसून पर पूरी तरह से निर्भर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लीजिए

और क्लाइमेट चेंज पर एक विस्तृत पॉलिसी बनाइए, जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने कहा था, ताकि आने वाले 50 सालों में इसका प्रकोप कम हो सके और हम अपने किसानों को बचा सकें।

हमारे किसानों के लिए यहाँ पर पेंशन की बात उठाई गई थी। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार से पशुओं ने फसलों का नुकसान कर दिया है, कम-से-कम आप उनको पेंशन देकर उसकी भरपाई करें। दस हजार से अधिक रुपये की पेंशन देकर आप किसानों को लाभान्वित करें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1833 hours

*SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Ramulu Pothuganti in Telugu,
please see the Supplement. (PP 393A to 393B)}

*Original in Telugu

1837 बजे

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): सभापति महोदय, सदन आज नियम 193 के तहत फसलों के नुकसान और किसानों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कर रहा है। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 60 परसेंट लोगों का जीवनयापन कृषि पर आधारित एक्टिविटीज़ पर चलता है। इसी कारण हम इसे कृषि प्रधान देश कहते हैं। स्वतंत्रता के 72 साल बाद से अब तक इस देश ने करीब 22 गवर्नमेंट्स देखी हैं और 15 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, लेकिन भारत का यह सौभाग्य है कि भारत को श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी जैसा प्रधान मंत्री मिला है, जिन्होंने इस देश में किसी एक राज्य में 12 साल तक सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी मुख्य मंत्री के रूप में काम किया है। देश का प्रधान मंत्री बनने के बाद उनका गुजरात के मुख्य मंत्री के रूप में कार्य, इस देश के काम आया है। इस देश में अनेक समस्याएं हैं। करीब-करीब चार सौ से अधिक जिलों में उन्होंने रात गुजारी है। इस देश की कृषि समस्या को विस्तृत और दूरदृष्टि के साथ समझने के बाद वह प्रधान मंत्री कृषि विकास योजना, प्रधान मंत्री बीमा योजना और अन्य योजनाएं लेकर आए हैं। सोइल हेल्थ कार्ड से लेकर, हम कह सकते हैं फार्म से बाजार तक की अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। इन योजनाओं के कारण ही देश की कृषि विकास दर, जब वे गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो गुजरात की कृषि विकास दर करीब-करीब नेगेटिव थी। उन्होंने जब गुजरात के मुख्य मंत्री का पद सम्भाला तब उन्होंने अपनी काबिलियत और दूरदृष्टि से गुजरात की कृषि विकास दर को दस परसेंट से ज्यादा किया था। यहां तक कि डॉ. स्वामीनाथन जी ने यह कहा था कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेन्द्र भाई मोदी कृषि के लिए जैसा कर रहे हैं, वैसा ही सारे देश को करना चाहिए। आज वही देश के प्रधान मंत्री बनकर आए हैं। उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं। आज हम क्रॉप लॉसेस की बात कर रहे हैं। बाढ़, ओलावृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि, जानवरों या कीढ़ों से क्रॉप लॉसेस होता है। इसका असर विशेष तौर पर ग्रामीण जीवन पर होता है।

(1840/SJN/PS)

तब प्रधान मंत्री जी ने उनकी रक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना चलाई थी। पहले जो योजना चलती थी, उसमें बहुत सुधार लाया गया है। आज प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए मेरा एक छोटा-सा सुझाव भी है। मेरे साथ काफी अनुभवी सांसद हैं। उनका भी यह मानना है कि अगर हमारे यहां पर सही मायने में किसानों की रक्षा करनी है, उनकी क्राप के नुकसान/क्षतिपूर्ति को पूरा करना है, तो इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट कंपनी की बजाय राज्य अपनी इंश्योरेंस चलाए। अगर राज्य इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, तो राज्य के पास अपना पूरा मैकेनिज्म होता है। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक का पूरा मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के चलते, गावों में जिसे पानी-पत्रक बोलते हैं, गांवों में क्राप कटिंग का जो रिकार्ड रखते हैं, अगर उस क्राप कटिंग का रिकार्ड सही हुआ है, तो सही मायनों में जिसका नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई कर सकते हैं।

ऐसे में जब क्लाईमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, आज दिसंबर है, आज भी गुजरात में बारिश हो रही है। इस क्लाईमेट चेंज के सबसे बड़े इम्पैक्ट के कारण गुजरात में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। करीब-करीब 40 साल के बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा ही ऐतिहासिक निर्णय गुजरात के संवेदनशील मुख्य मंत्री विजय भाई रूपाणी जी ने लिया है। करीब-करीब चार हजार करोड़ रुपये का पैकेज देकर, जो किसान इंश्योरेंस से कवर्ड हैं और जो किसान इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं हैं, उन दोनों को समाहित करके पूरे गुजरात के 18,000 गांवों के किसानों को करीब-करीब 248 ब्लाक और 33 जिलों के 56 लाख किसानों को यह लाभ मिलने वाला है। मैं यह मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से गुजरात के अनुभवी मुख्य मंत्री...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी) : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा) : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। 130 डैम ऐसे थे, जो पूर्व की सरकारों ने उनको पूरा करने के लिए प्रारंभ तो किया था, लेकिन वह कंप्लीट नहीं किया, 30 प्रतिशत किया, 40 प्रतिशत किया, 50 प्रतिशत किया और डैम की बाकी योजनाओं को छोड़ दिया था। मोदी जी ने 130 डैमों में से 100 डैम पूरे किए हैं। गुजरात में 3 बड़े डैम पूरे किए, राजकोट में 2 डैम पूरे किए और जामनगर में 1 डैम को पूरा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो पूर्व की सिंचित योजनाएं हैं, हमारे यहां बिना पीएफ और पीएफ दोनों हैं। मैं यह मानता हूं कि इंश्योरेंस में भी बिना पीएफ और पीएफ को समझकर दोनों का इंश्योरेंस भी अलग होना चाहिए। गुजरात सरकार या और कोई भी राज्य हो, वह खुद की इंश्योरेंस कंपनी बनाए, खुद का पानी पत्रक बनाए, तो ही हम सही मायनों में किसानों को लाभ दे सकते हैं।

(इति)

1843 बजे

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगी। मेरे जो तीन-चार सुझाव या सवाल हैं, अगर मुझे उन पर स्पष्टीकरण मिल जाए, तो अच्छा होगा। मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं। वहां इस साल बहुत ज्यादा सूखा भी था और बाढ़ भी थी। इसीलिए, मैं समझ सकती हूं कि पालिसीज़ जो भी करें, लेकिन सूखा और बाढ़ के कारण महाराष्ट्र में और देश के अनेक राज्यों में किसानों को बहुत मुश्किलें हो गई हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यों में चल रहा है, आप टीवी खोलिए, घर जाइए, किसी भी किसान के यहां जाइए, नहीं तो शहरों में किसी के भी घर में जाइए, तो आज सिर्फ एक ही चीज भड़की हुई है, वह प्याज है। प्याज में देश का जो किटी है, वह मेरे राज्य से आता है। नासिक का जो लासलगाव एरिया है, मंत्री जी जानते ही होंगे कि तीन-चार महीने पहले जब अच्छी फसल थी, तब किसानों की यह मांग की थी कि हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री जो निर्णय लेती है, वह जल्द से जल्द लिया जाए। तब यह मांग हुई थी, लेकिन पता नहीं तब सरकार की क्या सोच थी, इसीलिए इस बार निर्णय नहीं हो पाया था। उसके बाद बाढ़ भी आई, उसके बाद क्राप भी बहुत कम लिया गया, क्योंकि हम सब किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं। आप सबको पता है कि प्याज की जो क्राप है, जो छोटे हैं, जिनके पास जमीन कम है, ऐसे किसान लेते हैं और इसके लिए पानी भी बहुत कम लगता है। हम लोग यह साल में तीन-चार बार ले सकते हैं। जब प्याज की क्राप आती है, अगर हम उस वक्त उनको एक्सपोर्ट की परमीशन दे देते, तो शायद हमको आज का दिन नहीं देखना पड़ता।

मेरी सरकार से यही विनती है कि जो प्याज का किसान है, आप उसकी रेगुलर मॉनीटरिंग कीजिए। शहरों की महंगाई और किसान का पैसा, जब दोनों का बैलेंस होगा, तभी इससे कुछ हल निकल सकता है। इसलिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम गेहूं के लिए करते हैं, धान के लिए करते हैं। वैसे ही एक अच्छी क्लीन पॉलिसी अगर प्याज के किसानों के लिए बनाई जाए, तो किसानों को बहुत राहत मिल सकती है और प्याज का दाम भी शहरों में कंट्रोल हो सकता है।

(1845/GG/RC)

महोदय, दूसरी जो बात क्लामेट चेंज की बात है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बोला है, मैं सिर्फ एक छोटा सा कैविएट उसमें एड करना चाहती हूँ कि आईसीएआर के बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी एक साइंटिस्ट का बड़ा ऑर्गनाइजेशन है, जो आपकी ही केन्द्र सरकार चलाती है। वहां साइंटिस्ट्स की वैकेंसीज़ बहुत ज्यादा हैं। कल निर्मला जी के भाषण में ऐसा आया है कि सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि प्याज़ के लिए कुछ रेडिएशन आप यूज़ करने वाले हैं। उनके भाषण में ऐसा आया है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपकी पक्की पॉलिसी क्या है? यह क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जब रिसर्च होता है या जीई क्रॉप्स के बारे में मैंने पढ़ा है कि सरकार के जो विचार हैं, उसमें आप थोड़े से उसके लिए नेगेटिव हैं या खिलाफ हैं, ऐसा पढ़ने में आता है। रिसर्च के लिए आपके मन में क्या है कि यह जो जीई ब्रिंजल हो, पॉटेटो हो, इनकी रिसर्च के लिए आगे कैसे ले कर जाएंगे कि कम पानी में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे हो। इसके लिए आपकी नीति क्या है, इसका थोड़ा सा अगर आप स्पष्टीकरण करें तो बहुत मदद होगी। आईसीएआर के साइंटिस्ट्स की जो वैकेंसीज़

वेकेंट हैं, साइंटिस्ट्स की कमतरता नहीं है, टैलेंट की तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट्स की वेकेंसीज़ अगर आप फिल करें तो बहुत अच्छा होगा।

सर, एक लास्ट पॉइंट, जो मेरे राज्य से है, सब परिस्थितियों में किसान बहुत-बहुत दिक्कत में है। न वह बच्चों की फीस भर पा रहा है, न उसकी दवाइयां खरीद पा रहा है या घर के छोटे-छोटे जो खर्चे होते हैं, उनको भी नहीं संभाला जा रहा है तो एक जो सोच थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने वह काम किया था - कंप्लीट वेवरव, यानी पूरी कर्ज माफी की थी। क्या वह आप करने की सोच रहे हैं? उसके बाद जब नया लोन होगा, उसका अच्छा स्ट्रक्चर कर के ही करना चाहिए। हमारी सरकार थी तो महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार ने मिल कर जीरो इंट्रेस्ट रेट किया था। ऐसा अगर कुछ आप कर सकें तो किसानों की जो परिस्थिति है, उसमें बहुत राहत मिलेगी। आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। सभी किसानों की तरफ से मैं इतनी ही गुजारिश आपसे करती हूँ।

(इति)

1848 hours

*DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Dr. Sujay Vikhe Patil in Marathi,
please see the Supplement. (PP 398A to398C)}

*Original in Marathi

(1850/SNB/KN)

1852 hours

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion under Rule 193.

In the previous Lok Sabha Session, I asked a question related to the rate of farmers' suicide in the country. Unfortunately, the reply given was indifferent. The Ministry of Agriculture did not have any data on this. We had to approach the Crime Records Bureau to get the details. If this is the state of affairs, then how will the Government achieve the target of doubling the income of farmers by the year 2022? Not having enough data about farmers indicates the pathetic situation of the farming community. The issues of farmers differ from State to State. We have to adopt State-centric policies for resolving the issues of farmers.

The economy of our area is based on agriculture. The notable cultivations are pepper, cardamom, rubber, tea etc. The drastic fall in prices of these commodities have affected their livelihood. They are struggling to meet their financial obligations.

Sir, I hail from Idukki district in Kerala. Kerala is a flood-affected State and I can say one thing that more than 11,000 hectares of agricultural land was washed away during the last floods. Thousands of households have been destroyed and seventy people have lost their lives due to flood and other natural calamities. As a side effect, our crops and plants got infected with deadly diseases. This resulted in low production and consequently the income of farmers also went down and similarly they lost their repayment capacity. The unfortunate thing is that during that time only the bank authorities started confiscation process. Having no other way, our farmers committed suicide. In my district 10 farmers committed suicide and all over the State the number is 30. It is unfortunate to report that even yesterday one farmer committed suicide. We have to adopt policies that help in income generation of farmers.

(1855/RU/RV)

We have to adopt income generation policies. The suicide rate of farmers is low now only because of the moratorium policy. Whenever the moratorium policy is withdrawn by the State Government, maybe, the temptation of committing suicide may restart.

Sir, I am reminding this day about the loan waiver policy of UPA Government and Congress-ruled States. I will go ahead with my speech by referring to certain points.

As far as pepper farmers in my area are concerned, there has been a drastic fall in the price of pepper in 2019 as compared to the price in 2017. It is Rs. 290 per kilogram now. The provisions of the South Asian Foreign Trade Agreement permit Sri Lanka to export 2500 tonnes without any duty. This import from Sri Lanka to our domestic market is affecting our pepper farmers. So, the MIP of pepper should be increased by Rs. 750. I am also requesting a pepper cluster for Idukki District by way of this discussion.

As far as cardamom farmers are concerned, the price of cardamom is little bit high but due to low production, there is no benefit for the farmers. The Minister of Commerce, Shri Piyush Goyal announced Idukki as cardamom cluster but the benefits are not yet received by the farmers even today. The Spices Board Field Offices closed earlier have not been reopened so far.

More than 90 per cent of rubber production is from Kerala. We have to address the issues of rubber farmers by increasing the MSP to at least Rs. 200 per kilogram.

(ends)

1857 hours

*SHRI PRATAPRAO JADHAV (BULDHANA):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Prataprao Jadhav in Marathi,
please see the Supplement. (PP 401A to 401B)}

*Original in Marathi

(1900/MY/NKL)

RE: EXTENSION OF TIME

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): माननीय सदस्यगण, अभी 10 माननीय सदस्यों को बोलना बाकी है, यदि सदन की सहमति है तो मेरा सदन से निवेदन है कि सदन का समय इन 10 सदस्यों की चर्चा पूरी होने तक या एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: ठीक है। सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। श्री देवजी एम. पटेल।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): माननीय सदस्य, आपकी माइक बंद कर दिया गया है। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: जाधव जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान) (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

DISCUSSION RE: CROP LOSS DUE TO VARIOUS REASONS AND ITS IMPACT ON FARMERS – Contd.

1902 बजे

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, जिस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एक कहावत है, उसी प्रकार से आज हम इस मंदिर में नियम 193 के अधीन अन्नदाता की चर्चा कर रहे हैं। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।

सभापति महोदय, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जब देश में अन्न की कमी हो तो एक टाइम भूखे रहकर ज्यादा अन्न का उत्पादन करो और देश को भूखमरी से बचाओ। इसके लिए हमारे देश के किसानों ने कार्य किया था, लेकिन आज वही किसान परेशान हैं। पहले किसान के घर में कोई भी कार्य होता था, तो वह सारा अनाज पर होता था। जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसान अन्नदाता के रूप में हमें अनाज पैदा करके देता है। कई लोगों के पास पैसे बहुत है। मैं हर बार जरूर यह चर्चा करता हूं कि सोने से पेट नहीं भरा जाता है। पेट भरने के लिए अन्न की जरूरत होती है। पिछले 54 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है। यहां बहुत लोग किसान परिवार से आते हैं। यह ठीक है कि उसके बाद कोई दूसरे व्यवसाय में गया होगा, लेकिन आज वही किसान इतनी गरीबी की गर्त में जा रहा है, उसके बारे में किसी ने इतने सालों तक चर्चा नहीं की। आज जब वर्ष 2014 के बाद प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसके बारे में अच्छे कदम उठाये तो कई लोगों ने आँकड़े पूछना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय, यह ठीक है कि जो किसानों के लिए योजना है, उसमें कुछ विषय पेंडिंग हैं। उस विषय पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। पहले अगर हम एक बोरी बाजरा लेकर बाजार में जाते थे तो उससे एक तोला सोना मिल जाता था। आज वही बाजारा है, अगर आप 27 बोरी बाजारा लेकर जाइए तो शायद आपको एक तोला सोना मिले। आज सोने की कीमत बढ़ी है, लेकिन अनाज को 54 सालों तक पीछे रखा गया। उसी बाजरे को आगे बढ़ाने का काम जिस प्रकार से अभी मोदी जी ने किया, अगर उस टाइम पर किया गया होता तो शायद आज एक बोरी बाजरे में वापिस एक तोला सोना मिल जाता। अनाज से ही हमारा पेट भरता है। कई लोग बोलते हैं कि किसानों के बारे में हमें यह काम करना चाहिए, किसानों के बारे में हमें वह काम करना चाहिए।

(1905/CP/SRG)

अगर किसान का बेटा पढ़ने जाता है, तो आज भी वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। कोई बड़ा किसान होगा, तो उसका बेटा पढ़ सकता होगा, लेकिन एक आम किसान का बेटा नहीं पढ़ सकता है। इसके बारे में एक ही विषय है कि पैसा तो वह लेकर आएगा, लेकिन पैसे के लिए जो पानी चाहिए, उस पानी की चिंता करनी पड़ेगी। नदियों से नदियां जोड़ने की बात हमने की, जिसकी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी।

आज मेरे मित्र ने कहा कि बाढ़ बहुत आती है। बाढ़ इसलिए आती है कि पानी का बहाव हमने रोक दिया है। जिस बहाव को रोका है, उसको वापस सुचारु रूप से शुरू करने की जरूरत है। चेक

डैम के माध्यम से इसे गुजरात में करके दिखाया। इसके बाद मुख्य मंत्री कहते हैं कि राजस्थान में किया और महाराष्ट्र में भी यह काम हुआ था।

हमें किसान को समृद्ध करना है। आज भी किसान की औसत आय 36 से 48 हजार रुपये आ रही है। एक मजदूर 350 से 500 रुपये में मिल रहा है। आप जाकर किसी किसान से पूछिए, अगर उसको एक मजदूर चाहिए, तो उसे 350 रुपये देने पड़ते हैं। एक किसान के परिवार के 4 लोग कृषि में लगे हुए हैं। 4 लोगों की अगर हम नरेगा के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 350 में 100 का गुणा करें, तो 35,000 हजार रुपये एक आदमी के होते हैं और 4 लोगों के मिलाकर 1,40,000 होते हैं और किसान के घर में 35,000 रुपये आ रहे हैं। नरेगा को क्यों न कृषि से जोड़ा जाए? नरेगा के साथ में हर किसान के घर में, हर किसान के अकाउंट में एक परिवार का पैसा पहुंचे, तब जाकर हम उसे समृद्ध कर सकते हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। मेरे कई मित्रों ने उसे देखा होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि उस योजना के तहत, अभी कुछ दिन पहले ही 300 करोड़ रुपये मेरे जिले के अंदर आए और वे किसानों के खाते में गए, इसके लिए धन्यवाद है। मैं एक छोटा सा निवेदन इसमें जरूर ऐड करूंगा। जब फसल खराब हो, तो 72 घंटे में आपको हेल्पलाइन पर फोन करना है। यह नहीं हो सकता है। इसकी जगह पर हम 4 आंकड़े का नंबर इश्यू करें, जिससे वह किसान को याद रहे। इंश्यारेंस कंपनी वहां 3 साल तक रहे और हर ब्लॉक के अंदर उसका ऑफिस हो। उस ऑफिस के माध्यम से हर खेत में हर खसरे का फोटो खींच कर वह अगर उसे देगा, तब जाकर किसान समृद्ध हो पाएगा।

मैं पानी की बात पर जरूर आपसे निवेदन करूंगा। मेरे क्षेत्र में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। साबरमती बेसिन से जवाई पुनर्भरण की जो योजना है, उस योजना को लागू करें। साबरमती का एक एक्सेस सिरोही के अंदर जितने भी बांध हैं, अगर उसके अंदर दे दिया जाए, तो सिरोही, पिंडवाड़ा और रेवदर के जितने किसान हैं, उनको फायदा मिल सकता है।

महोदय, माही का पानी गुजरात में लेते हैं, इसलिए एक छोटा सा निवेदन सुन लीजिए। राजस्थान में हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि नर्मदा का पानी आ जाएगा, तब माही का पानी राजस्थान को मिलेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप माही का पानी हमें नहीं दे सकते हैं, वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नर्मदा का पानी दांतीवाड़ा और सिपू डैम के माध्यम से अगर जालौर जिले को मिल जाए, तो भीलवाड़ा और रानीवाणा के लोगों को पानी मिल सकता है, उनको सिंचाई मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(इति)

1908 hours

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, thank you for allowing me to speak on a very important topic of post-harvest facilities. Every year, farmers lose around Rs. 63,000 crore for not being able to sell their produce for which they have already made investments. Except for cold storage, the country is lagging behind in all other agri-logistics required to bring the produce from farm to markets.

Another major proposal which can ensure that crop losses are minimised is to shift from road to rail for transportation of all perishable products, horticulture produce, and sensitive handling of demand and also adequate transportation support. As per the National Horticulture Board, in the absence of robust and sustainable logistic mechanism, more than half of fruits and vegetables end up as waste even before they arrive in the market, especially tomatoes at Anantapur and Kadapa districts in Andhra Pradesh. However, the vegetables and fruits are categorized as perishable products which need a provision for fastest transportation with storage at the receiving front. It should also be noted that the perishables must not be stored at production centres, but moved to places while still fresh and firm to withstand the rigours of transport.

(1910/KKD/NK)

It is heard that the Indian Railways, with it Pan India network, is the optimal and preferred choice for movement of horticultural produce. Yet, this exploding demand is not tapped or planned for, in full. Among the top 21 commodities moved by rail and road, fruits and vegetables have the lowest share there.

Sabhapati-ji, we cannot change the climate and its side effects on the crops as it is not in our hands. However, we can change whatever is possible, like increasing transportation from road to rail and by building more post harvest facilities.

So, through you, Sabhapati-ji, I would request the Central Government to take proper steps to reduce the crop losses and increase the farmers' income.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1911 hours

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): सभापति महोदय, मैं नियम 193 के तहत 'फसलों के नुकसान और इसका किसानों पर प्रभाव' पर चर्चा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं। सभी ने किसानों के बारे में बात की। आज मैं आपसे गुजराती में बोलने की परमिशन मांगता हूं।

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Parbatbhai Savabhai Patel in Gujarati,
please see the Supplement. (PP 406-A to 406-B)}

(1915/SK/RP)

1916 बजे

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): आपने मुझे अपॉरच्युनिटी दी है, मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं सतारा क्षेत्र से आता हूं। यहां जो बाढ़ आई थी, इसमें भीमा, कृष्णा, वारणा, पंचनगंगा, सतारा, सांगली, शोलापुर और भीमा नदी का भाग पानी में डूबा हुआ था। मेरे क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत होती है। यहां कम से कम 40-45 शुगर फैक्ट्रियां हैं। अगर गन्ना एक दिन पानी में डूब जाए तो दूसरे दिन खड़ा रह सकता है लेकिन दस दिन तक डूबा रहा। इससे गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। मुझे लगता है कि इस साल काश्तकारों के हिस्से का पैसा आधा हो गया है।

हमारे क्षेत्र से दिल्ली तक मिल्क आता है। पशुओं की मृत्यु के कारण मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है। पोल्ट्री कम होने के कारण अंडे कम हो गए हैं। हॉर्टिकल्चर में पोमग्रेनेट और अन्य सब्जियों के उत्पादन में कमी आई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी जी जब पंत प्रधान थे, तब मैं पुणे का कलैक्टर था। बाजार में जो प्याज भेजा गया था, उसकी दस पैसे भी कीमत नहीं मिल रही थी। वहां जितना प्याज पड़ा था, धूप की वजह से दुर्गंध आने लगी थी। इसे दफनाने में तीन लाख रुपये का खर्च आया था। अगर सरकार जान ले कि क्या फसल होने वाली है, उत्पादन कितना होगा, निर्यात के लिए काश्तकारों को कितना पैसा मिलेगा तो इसके लिए तुरंत पॉलिसी बनानी चाहिए।

मैं सिक्किम में राज्यपाल था तब काश्तकारों के लिए पेंशन योजना शुरू हुई थी। मैं अन्य राज्यों को आह्वान करूंगा कि काश्तकारों के बारे में सोचें, तभी उनको फायदा मिलेगा। मेरा निवेदन है कि जिन किसानों की हानि हुई है, उनके कर्ज माफ किए जाएं या छोटी इंस्टालमेंट्स की जाएं, ताकि उनको राहत मिले और इंटरस्ट भी कम पड़े।

यहां गन्ने की फसल ज्यादा होने वाली है। अगले साल पानी की वजह से कृषि नहीं होगी तो फिर समस्या आएगी। इसके लिए अभी से ही सोचना चाहिए कि अगले साल क्या करना है। धन्यवाद।

(इति)

(1920/MK/RCP)

1920 बजे

श्री भगवंत मान (संगरूर):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Bhagwant Mann in Punjabi,
please see the Supplement. (PP 408-A to 408-B)}

1923 बजे

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत किसानों, इस देश के अन्नदाताओं के ऊपर चर्चा करने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद। आज देश को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं। आज इस देश का अन्नदाता दु:खी है, पीड़ित है। आज हिन्दुस्तान में अगर कोई दु:खी वर्ग है तो वह किसान वर्ग है और किसान की कोई जाति नहीं होती है। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किसान है। परन्तु आज किसान की ऐसी दयनीय स्थिति क्यों है? आज यहां सारा विपक्ष खाली पड़ा है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं वर्ष 1975 की बात कर रहा हूं। उस समय डीजल 95 पैसे लीटर था और बाजरा दो रुपये किलो था। आज किसान की जो इतनी माली हालत खराब है, उसके लिए इसकी तह तक जाने की जरूरत है। वर्ष 1975 में डीजल 95 पैसे लीटर था और बाजरा दो रुपये किलो था। आज डीजल और बाजरे के क्या रेट्स हैं। किसान का लागत मूल्य बढ़ गया है, लेकिन उसके जिन्स की कीमत नहीं बढ़ी है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने किसानों का समर्थन मूल्य, एमएसपी बढ़ाया। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। 55-60 सालों तक इन्होंने राज किया, क्या किया इन्होंने? आज किसान के दो आधार हैं, एक किसानी और दूसरा पशुधन।

(1925/RPS/MMN)

आज यह हालत है कि किसान के बाड़े के अंदर उसके कृषि उपकरण हैं, चारा है और पशुधन हैं, आज अगर उसका दस लाख रुपये का चारा जल जाए, अब जाकर उसके लिए कुछ किया गया है। इन्होंने मुझे बताया है और जब मैं वर्ष 2003 में विधायक बनकर सदन में गया था, उसे 1500 रुपये की इमदाद मिलती थी। अरे, क्यों उनके घाव पर नमक छिड़क रहे हो? कांग्रेसियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया। आज किसान को क्या चाहिए? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में सिर्फ नदियों को जोड़ दीजिए। जो मनरेगा है, हिन्दुस्तान की आम जनता ने अपना स्वाभिमान खो दिया है, वे कामचोर हो गए हैं, उनका स्वाभिमान खत्म हो गया है।...(व्यवधान) सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मनरेगा की बात कर रहा हूं। आज जो खेती बर्बाद हुई है, वह मनरेगा की वजह से हुई है। मनरेगा में हर व्यक्ति का स्वाभिमान खत्म हो गया, वह कामचोर हो गया। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. किरीट पी. सोलंकी): अब आप अपनी बात समाप्त करिए। अपने सजेशन्स दीजिए।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मैं सजेशन्स दे रहा हूं। मनरेगा को खेती से जोड़ना चाहिए। सरकार को मनरेगा की पेमेंट करनी चाहिए और किसान को मनरेगा से जोड़ना चाहिए। ...(व्यवधान)

(इति)

HON. CHAIRPERSON (DR. KIRIT P. SOLANKI): The Minister to present the Report of Business Advisory Committee.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

11th Report

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to present the Eleventh Report of the Business Advisory Committee.

माननीय सदस्य : सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बात ढाई मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल।

DISCUSSION RE: CROP LOSS DUE TO VARIOUS REASONS AND ITS IMPACT ON FARMERS—contd.

1927 बजे

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): सर, पंजाब का किसान, जिसने कड़कती सर्दी में, नंगे पांव, सांपों के सिरों पर पैर रखकर सारे देश का पेट पाला है, आज वही किसान अपने गले में फन्दा डाल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके हमारी जो तीन-चार बड़ी मुश्किलें हैं – एक सबसे बड़ी मुश्किल है कि हमारे यहां चार दरिया पड़ते हैं, इन चारों नदियों – व्यास, रावी, सतलुज और घग्घर – के किनारों पर बांध बनवा दीजिए। जब भी बारिश आती है या बाढ़ आती है, लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती है और वह उस कीमती जमीन को काटकर साथ ले जाती है, जिससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज हमें क्रॉप ऑडिट कराने की जरूरत है। क्रॉप आडिट का मतलब है कि कौन सी फसल की हमें कितनी जरूरत है, कितना आलू चाहिए, कितना धान चाहिए, कितनी कनक चाहिए, कितना बाजरा चाहिए और कितनी मक्का चाहिए, उसकी ऑडिट करके, उतनी ही फसल बोने के लिए हम किसान को बोलें। तीसरा, पंजाब में सबसे बढ़िया क्वालिटी की सब्जी होती है। पहले पाकिस्तान के जरिए हमारा व्यापार आगे चलता था, जो अफगानिस्तान और उधर के देशों को जाता था, मगर अब वह व्यापार बन्द है। पंजाब एक लैण्ड लॉक्ड स्टेट है। वहां की सब्जी बहुत बढ़िया है और ब्रोकली से लेकर लेटस तक, सब कुछ वहां होता है। अगर हम इसके बाई-एयर एक्सपोर्ट के लिए कुछ व्यवस्था करा सकें, वहां पर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से एक्सपोर्ट करवा सकें तो इसका बहुत बड़ा फायदा पंजाब के किसानों को होगा।

सर, आज हमारे एनिमल हस्बैंडरी के मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी यहां बैठे हैं, वह खुश भी हैं, मैं आज उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बॉर्डर एरिया के हमारे किसान की लैण्ड होल्डिंग बहुत कम है, वहां पर कुछ समय से...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल (खडूर साहिब): सर, वहां उन्होंने पोल्ट्री और दूसरे सहायक धन्धे अपनाए हैं। अगर आप वहां बॉर्डर एरिया को एक वेटरिनेरी साइंस यूनिवर्सिटी दे दें, उसके साथ हमारा किसान दूसरे भी काम कर सकेगा। ...(व्यवधान)

(इति)

(1930/IND/VR)

1930 बजे

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): सभापति जी, आज किसानों की समस्या के लिए सदन में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जिस पार्टी ने इस देश में 55 साल शासन किया, आज जब किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही है, तो आप देख लीजिए कि विपक्ष की सीटें खाली हैं। विपक्ष सड़कों पर आकर *... (Not recorded)* करते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने *... (Not recorded)* की कि किसान परेशान हैं और किसानों के लिए आप राहत दिलाइए। मैं हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे निवेदन पर एक हजार करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को राहत राशि के रूप में दिया है। अगर वास्तव में देखा जाए कि अन्नदाता की पिछले 70 सालों में किसने फिक्र की है, तो देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, जिन्होंने किसानों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़कर गांवों को विकसित करने का काम किया और अन्नदाता की फसल को मंडी तक ले जाने का काम किया। उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया कि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले। किसानों को 'किसान क्रेडिट कार्ड' देकर उन्हें साहूकारों से छुटकारा दिलाने का अगर किसी ने काम किया है, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद अगर किसी ने अन्नदाता की चिंता की है, तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। प्रधान मंत्री जी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया और छ: हजार रुपये सालाना देने का काम किया। वृद्धावस्था में किसानों को, जो 60 साल से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं और वे काम करने में अयोग्य हो जाते हैं, उन्हें तीन हजार रुपये पेंशन 'प्रधान मंत्री मान धन योजना' के तहत देने का काम किया है। प्रधान मंत्री जी ने किसानों का आय संरक्षण किया। प्रधान मंत्री जी ने मौसम फसल बीमा योजना शुरू की, जिससे लाखों किसानों को फायदा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं लागू कर रहे हैं, ऐसे ही किसानों को भी मनरेगा से जोड़ने का काम किया जाए।

(इति)

1933 बजे

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): सभापति महोदय, मैं मराठी भाषा में अपना भाषण देने की आपसे विनती करता हूं।

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Dhairyasheel Sambhajirao Mane in Marathi,
please see the Supplement. (PP 413-A to 413-B)}

1936 बजे

श्री अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे दो-तीन पॉइंट्स के बारे में बोलना है। किसानों के लिए मोदी जी की सरकार ने जितना किया है, वे सभी चीजें उत्तराखंड सरकार को मिल रही हैं। हमें अभी 1500 करोड़ रुपये जैविक खेती के लिए मिला है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हम पूरे प्रदेश को सिक्किम की तरह पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा दिलाएं।

मान्यवर, वहां पर एक प्रॉब्लम है कि पर्वतीय राज्य में जोतें बिखरी पड़ी हैं। बंदर और सूअरों ने लोगों के खेत खलिहान खाली कर दिए हैं। लोगों ने कृषि का काम करना छोड़ दिया है। मैं सदन में इस बात को कह रहा हूं कि कहीं पर मजाक भी हो सकता है कि क्या बंदर और सूअर ऐसा भी कर सकते हैं। जब डेढ़ सौ और दो सौ के झुंड में सूअर निकलते हैं तो वे पूरे खेत को खोदते चलते हैं। कोई भी फसल लगाइए, दूसरे दिन चौपट हो जाती है। यही हाल बंदरों का है। वे घरों के अंदर से सामान उठा कर ले जाते हैं और खेतों में कोई भी फसल होती है, बंदर उसे समाप्त कर देते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक नीति बननी चाहिए। मैं समझता हूं कि और प्रदेशों में भी यह परेशानी होगी, पर्वतीय क्षेत्र में विशेष कर यह परेशानी होगी। इससे निजात मिलनी चाहिए। तराई क्षेत्रों में हाथी फसल को रौंद देते हैं। अभी दो दिन पहले ही एक आदमी ने गाड़ी के अंदर से एक आदमी को निकाला और निकाल कर वहीं उसे पटक कर मार दिया। वे खेतों को बुरी तरह से रौंद डालते हैं, गन्ने की खेती बर्बाद कर देते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कृषि नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि जंगली जानवरों से होने वाली हानि को कैसे रोका जाए।

अंत में, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 'प्रधान मंत्री सिंचाई' योजना की किश्त कहीं पर रुकी पड़ी है, अगर माननीय कृषि मंत्री जी उसे जल्दी से भेज देंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। पहले हमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 84 करोड़ रुपये मिलते थे। अब इस साल उसे 21 करोड़ रुपये कर दिया गया। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य को 54 करोड़ रुपये दिए गए हैं और उत्तराखंड को 21 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह कैसे आया होगा, कहीं न कहीं कलम की गलती जरूर हुई होगी। मैं इसकी ओर कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, वे जरूर गौर फरमाएंगे। धन्यवाद

(इति)

1938 बजे

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): सर, मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। फसल का जो नुकसान हो रहा है, उसका एक कारण क्लाइमेट चेंज है। उसे चेंज इन एनवायर्नमेंट कहते हैं, उसके लिए हमारी प्रेपरेशन बहुत साइंटिफिक और सॉलिड नहीं है। यह मेरी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मंत्री जी और सरकार को ज्यादा पता होगा। अगर तीन महीने लेट बारिश हुई तो हमारे बीज कैसे होंगे, किसान कैसे काम करेंगे, कहीं सूखा पड़ गया तो क्या होगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है।

सेकेंड, पंजाब में और मेरे लोक सभा क्षेत्र में जितना फ्लड से नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान आवारा पशु कर रहे हैं। वह हर किसान के बाजू में खड़े हैं। किसान रो रहे हैं। वं झुंड के झुंड खेतों में घुस जाते हैं और सारा कुछ खा कर निकल जाते हैं। इसके लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हमें किसानों को बचाना होगा, इन आवारा पशुओं से बचाना होगा।

(1940/VB/RBN)

सर, वाइल्ड लाइफ की तो पॉलिसी है, लेकिन एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर पशु किसानों की फसलों को खा जाए, तो उनका क्या होगा, आप इसके बारे में सोचिए। पंजाब में बहुत हो-हल्ला हो रहा है, क्योंकि किसान इससे बहुत दु:खी हैं।

मुझे सभापति महोदय के द्वारा मंत्री जी से एक और बात कहनी है कि जो कम्पेंसेशन है, वह 100 परसेंट लॉस के लिए आठ हजार रुपये हैं, 50 परसेंट लॉस के लिए चार हजार रुपये हैं। इसमें चार हजार रुपये केन्द्र सरकार और चार हजार रुपये राज्य सरकार देगी। लॉस ज्यादा होता है, इसलिए इसको बढ़ाकर कम-से-कम बीस-पच्चीस हजार रुपये किया जाए।

(इति)

1941 बजे

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): माननीय सभापति महोदय, आज भारत के लिए सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि किसान का बेटा आज प्रधान मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के नाते आज मैं बहुत गर्वित हूँ कि मैं आज किसानों के लिए कुछ बोल रहा हूँ।

1941 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजनाएँ आईं। केन्द्र सरकार की ओर से जो छ: हजार रुपये किसान निधि सम्मान योजना के तहत मिलते हैं, उसे पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ के किसानों को नहीं देना चाहती है। मेरी विनती है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग इसे देना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार इसे पश्चिम बंगाल में नहीं देना चाहती है।

आज रिवर लिंकिंग की जो बात उठी है, मेरे क्षेत्र में द्वारकेश्वर और दामोदर रिवर्स हैं, अगर दोनों का लिंकेज हो जाएगा, तो यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छा होगा।

अभी किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग उनकी मदद करेंगे, तो यह सभी के लिए अच्छा होगा।

मुझे दु:ख इस बात का है कि आज प्याज का दाम डेढ़ सौ रुपये किलो हो गया है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सब चले गए, सब चले गए और प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं केवल यही कहता हूँ कि अगर प्याज का दाम बढ़ेगा, तो किसानों को लाभ होगा। आज चावल के दाम को 28 रुपये से 48 रुपये करना चाहिए। हम कोई इमारत खरीदते हैं या कोई रद्दी गाड़ी खरीदते हैं, तो जिसका दाम पहले छ: हजार रुपये था, आज उसका दाम आठ हजार रुपये है। अगर किसानों के किसी सामान का रेट बढ़ जाता है, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आलू के दाम बढ़ रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों के फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। मेरा पूरा क्षेत्र किसानों का एरिया है। जब आलू के दाम बढ़ जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आलू के दाम बढ़ गए। ऐसा क्यों? आज सारे सामानों के दाम बढ़ रहे हैं। फैक्ट्रीज में जो सामान बनते हैं, गाड़ियों के सामानों के दाम बढ़ गये हैं, लेकिन किसानों के फसलों के दाम बढ़ते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि दाम बढ़ गए।

जो मिडिलमैन है, उसको बंद किया जाए और किसानों तक डायरेक्ट पैसे जाएं। इसके लिए सोचना चाहिए। किसानों की पहुँच डायरेक्ट कंज्यूमर तक होनी चाहिए। ऐसा होने से सबको प्रॉफिट होगा। सभी पार्टियों के लोग बोलेंगे कि हम किसानों के साथ हैं। सबसे ज्यादा दु:ख की बात है कि आज किसानों की बात हो रही है और कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार, जो किसानों को छ: हजार रुपये महीने में नहीं देती है। किसानों पर भी गोलियाँ चलती हैं।

मेरे क्षेत्र में हाथियों की बहुत समस्या है। मैं कहना चाहता हूँ कि हाथी आकर पूरी फसलों को नष्ट कर देते हैं। सोनामुखी, बोरचड़ा, बिष्णुपुर, बांकादा, जॉयपुर में यह बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे खेतों में फसलें नष्ट होती हैं और किसानों को कोई देखने वाला नहीं होता है।

सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार से आपको यह कहना चाहिए।

मेरे क्षेत्र में रिवर लिंकिंग होनी चाहिए। रिवर लिंकिंग होने से किसानों को लाभ होगा। मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

(1945/MM/SM)

1945 hours

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी बात मराठी में रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मराठी भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए एक घंटे पहले मराठी भाषा में बोलने के लिए नोटिस देना होता है।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सर, मैंने पहले बोला था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोल सकते हैं।

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil in Marathi,
please see the Supplement. (PP 417-A to 417-B)}

1947 बजे

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 193 के तहत पहली बार बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, मैं बराबर देख रहा हूं, क्योंकि मैं चौदहवीं लोक सभा में भी था और इस लोक सभा में भी चुनकर आया हूं, हर बार किसानों के मुद्दे पर लम्बी-लम्बी चर्चा लोक सभा में हुई है। लेकिन हमने देखा है कि चर्चा के बाद इसके सार्थक परिणाम आते हैं और सरकार किस-किस तरह से कदम उठाती है, उसके लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कदम उठाए हैं और किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और खास तौर से हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, खासकर देवरिया और कुशीनगर का इलाका, जहां एक जमाने में 13 चीनी मिलें हुआ करती थीं, पूर्ववर्ती सरकारों के अदूरदर्शी निर्णयों के कारण वे चीनी मिलें बंद हो गयीं और हमारे गन्ना किसान बर्बाद हो गए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज प्याज के दाम को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोक सभा के अंदर भी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश के किसान अधिक संख्या में आलू, प्याज और टमाटर पैदा कर देते हैं तब उसके खरीददार नहीं मिलते हैं, जिस कारण से उनको अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है और हमारे किसानों को आलू, प्याज और टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता है। उस समय न कोई मीडिया बोलती है और न संसद के अंदर चर्चा होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं और सदन से भी कहना चाहता हूं कि हमारे किसान जो आलू, प्याज और टमाटर पैदा करते हैं, अगर उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में उनकी फसल के भंडारण की उचित व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1950/SJN/SPR)

1950 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। एक आदमी दिल्ली में इसी प्रकार की*... (Not recorded)* इसीलिए, मैं भी आज टाई लगाकर किसानों की बात बोलने के लिए आया हूं।*... (Not recorded)* लेकिन संवेदनशीलता नज़र आती है। अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है, सिर्फ दो ही आदमी बैठे हैं और किसानों का नाम लेकर चर्चा करने के लिए किसानों की दुहाई देते हैं।

महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है। यहां पर 360 गांवों में किसान हैं। पहले तो किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करने के बाद उनको ठगा गया है। अधिग्रहित करने के बाद जो लोग बाहर से दिल्ली में आकर बसे हैं, वे भी कहीं न कहीं मजदूर और छोटे किसान ही रहे होंगे, जो रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे। वे लोग भी एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ के मालिक हैं। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वे भी किसान के बेटे हैं, चाहे वह किसी भी राज्य से आकर कालोनियों में बसे हों या दिल्ली में बसे हों। जो दिल्ली की सरकार है, मैं उसकी संवेदनशीलता बता रहा हूं। हमारे दोनों माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एक मध्य प्रदेश से हैं और एक बिहार से हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि ज्यादातर लोग इन्हीं राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं। वह संवेदनहीन सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, अगर 'आयुष्मान भारत' जैसी योजना यहां पर लागू हो जाए, तो किसानों के बेटों की व्यवस्था दिल्ली में हो जाती, ताकि उनको भी अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में पांच लाख रुपये तक की बीमारी के इलाज की सुविधा मिल जाती। दिल्ली के जो किसान हैं, जिनकी जमीनें अधिग्रहित हुई हैं, जमीनें अधिग्रहित होने के बाद आज भी दिल्ली के इंटीरियर इलाकों में खेती करने वाले 20 प्रतिशत किसान हैं। जो दिल्ली सरकार है, वह उनको बिजली नहीं देती है। अब उनके कनेक्शन कॉमर्शियलाइज़ कर दिए गए हैं। उनके ट्यूब वेल्स सूख गए हैं और वाटर लेवल नीचे चला गया है। कोई एक-दो एकड़ में सब्जी बोना चाहता है, जिनके पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन बची हुई है, उनको रीबोर की इजाज़त नहीं दी जाती है। उनको इस सरकार के माध्यम से इजाजत नहीं दी जाती है, ताकि वे रीबोर करके अपने ट्यूब वेल्स को चालू करके अपनी सब्जी उगा लें और अपना गुजारा कर लें, क्योंकि वे किसान के बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की है, इसलिए दिल्ली में नौकरी नहीं कर सकते हैं। वह छोले-भटूरे की रेहड़ी-पटरी नहीं लगा

सकते हैं, क्योंकि यहां समाज के सभी लोग रहते हैं। कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर दूर जाकर तो मजदूरी कर सकता है, लेकिन उसको समाज के बीच में शर्म महसूस होती है। इसीलिए दिल्ली के लोगों की यह एक बड़ी ही गंभीर समस्या है। अभी हमारे प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से दिल्ली के अंदर धारा 81 खत्म की गई है, जिसके अंदर उनकी जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है। अनियमित कालोनियों में जो जमीनें आ गई हैं, वे तो खत्म हो गई हैं। लेकिन जो किसान बढ़ी हुई आबादी में अपने घर बनाकर रह रहे हैं, उनके खिलाफ आज भी धारा 81 के तहत मुकदमे चल रहे हैं।

महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवदेन है कि कहीं न कहीं उसकी गाइडलाइंस देकर धारा 81 को समाप्त किया जाए।...(व्यवधान) महोदय, बस एक मिनट दीजिए। यह बड़ी ही गंभीर समस्या है। गांवों के जो किसान हैं, जो यहां रहते हैं, उन किसानों से संबंधित है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं केवल एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझे आपने बड़े ही सेंसिटिव मामले पर बोलने का मौका दिया है। दिल्ली के 360 गांवों में जो लोग रहते हैं, जिनकी जमीनों को सरकारों ने एक्वायर कर लिया है, उनको सरकार के द्वारा अल्टरनेटिव प्लाट्स दिए जाते थे, ताकि वे शहरों में जाकर बसें और अपनी रोजी-रोटी चलाएं और मजदूरी करें। सरकार ने उन लोगों की जमीनें अधिग्रहित की हैं। उस समय जो लोग बच गए थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ थे, सरकार उनको अल्टरनेटिव प्लाट्स देने में कोताही बरत रही है, नहीं दे रही है। केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। पहले किसी एक को मिल गया, आज किसी बेचारे को नहीं मिल रहा है, तो उसे लगता है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए, सरकार के द्वारा उनके लिए अल्टेरनेटिव प्लाट्स की व्यवस्था की जाए और उनको दिए जाएं, मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।

(इति)

1953 hours

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, we are discussing a very burning issue. Crop loss is really an issue to be discussed in detail. This discussion was really a very fruitful one in that sense.

As far as possible, we will have to make maximum efforts in addressing all the issues concerning farmers. What are the reasons for crop loss? We all know the reasons. It is because of many factors. Climate change is one of the most important factors. Due to climate change, a lot of things are happening. We have to give preference and priority for controlling the climatic conditions. Global warming, floods, droughts and other things are taking place. What we have to do is that we have to be very serious about that. We must make very earnest efforts for controlling and resolving these issues. India is a party to the Paris Agreement pertaining to global warming. In that also, we have to fix a target or to set a goal. That also should be taken very seriously.

Similarly, pest and disease control is an important issue. Unfortunately, we have not been able to register our success in that. We have not even achieved a small portion of the target in that.

(1955/UB/GG)

We have to give emphasis on pest control as well as disease control. Sir, the issue of man-animal conflict also needs serious attention.

Sir, I would like to talk about mechanisation in the agricultural sector. Unfortunately, we are not giving that much importance to mechanisation which is the most important area. We can improve the situation of the farmers through mechanisation. The awareness should also be created among peasants about mechanisation. Mechanisation increases production, efficiency, per man productivity and yield per unit land. It lowers the cost of work like ploughing by animal, lifting water, harvesting and transporting. Now, we are not getting agricultural labourers, they are migrating to cities because they do not find any employment in the agricultural sector. In order to keep them in the agricultural sector, we have to promote these kinds of activities. In addition to that, if we bring innovation in the farm technology, it will make farming more attractive. It will modify the social structure in the rural areas. The youngsters will be attracted to go to the fields and engage in farming. It will also lead to commercialisation because less input would give more output which will increase the income of the

farmers. We all know that there is a shortage of labour and manpower. Mechanisation will result in better use of land. What I am suggesting is that we have to promote mechanisation in the agricultural sector.

Sir, I want to speak about the agricultural universities. We are proud of them because there is tremendous contribution made by the agricultural universities, but unfortunately, agricultural universities are not up to the mark. I suggest that we have to revamp the curriculum of the agricultural universities and modernise them.

Sir, in my constituency of Ponnani, there is a big project, Thrissur-Ponnani Kole Land Development Project. The first phase of the project is over. Now, we are trying for the completion of the second phase of the project. The hon. Minister may kindly take steps in that regard. A proposal in that regard has already been submitted to the Government.

(ends)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज 51 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 06 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1958 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2019/15 अग्रहायण, 1941(शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।